लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

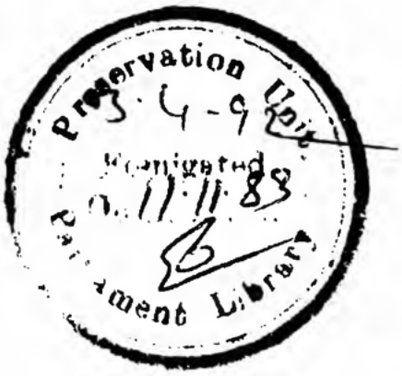

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ अप्रैल १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दी बोलियों में प्रसारण

*२४७७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से वर्ष १९५३-५४ में हिन्दी की विभिन्न बोलियों में कितनी वार्तायें और लोक गीत प्रसारित किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा हैं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ४६**]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो विवरण दिया गया है, १९५३–५४ का उस के बाद १९५४–५५ में इन कार्यक्रमों में कितनी वृद्धि की गई है ?

डा० केसकर : क्या वृद्धि से आप का तात्पर्य विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों को बढ़ाने से है ?

श्री भक्त दर्शन: जी हां।

डा० केसकर : कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन कितनी हुई है यह कहना मेरे लिये मुश्किल है।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि इन कार्यक्रमों के, सम्बन्ध में जनता की मांग बढ़ती जा रही है और क्या उनका समय आदि बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

डा० केसकर : जी हां, हमारा तो पूरा उद्देश्य है कि लोक गीत, और लोक गीत अधिकांशतः बोलियों में ही होते हैं, के कार्यक्रम को बढ़ाया जाय। बल्कि हम संगीत के कार्यक्रमों में लोक गीतों को बहुत प्रधान स्थान देना चाहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि इन कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने के लिये इन बोलियों को बोलने वाले लोगों की सलाहकार समितियां बनाई जायें ताकि उन से परामर्श लिया जा सके।

डा० केसकर : जी हां, इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी की किन-किन बोलियों में यह ग्राम गीत और ग्राम वार्तालाप प्रसारित किये जाते हैं ?

डा० केसकर : यह विवरण में बताया गया है।

शहतूत के बाग

*२४७८. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देश में शहतूत के बागों के विस्तार में अभिवृद्धि करने के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार के पास शहतूत की खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोई निश्चित प्रस्थापना नहीं है। परन्तु शहतूत की पत्तियों की

किस्म सुधारने तथा उनके परिमाण को बढ़ाने वाली प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। मध्य भारत में शहतूत की खेती के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं और शहतूत की खेती का भावी विस्तार इन प्रयोगों के परिणाम पर निर्भर होगा।

श्री केशवैयंगार : बिना किसी प्रस्थापना के योजना का परिपालन कैसे हो रहा है ?

श्री कानूनगो : योजनायें शहतूत के पौदों की नस्ल में सुधार करने की हैं। मध्य भारत में तथा अन्य स्थानों में भी उसके सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : उत्तर प्रदेश के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ?

श्री कानूनगो : वही शहतूत के पौदों की अच्छी नस्लों को लगाना।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या किसी राज्य में शहतूत के कलमों की नरसरियां स्थापित की गई हैं, और यदि हां, तो उन के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

श्री कानूनगो : शहतूत की नरसरियां मैसूर, मद्रास तथा बंगाल में और अब मध्य भारत में स्थापित की गई हैं। इन योजनाओं पर दो तीन वर्ष में खर्च की गई कुल राशि की गणना करने में कुछ समय लगेगा।

सिक्किम के लिये विकास योजना

*२४७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** १७ दिसम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ के उत्तर के संबंध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सहायता से सिक्किम की सप्तवर्षीय विकास योजना के परिपालन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) योजना के परिपालन में अभी तक कितना व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) विकास योजना के परिपालन में सिक्किम दरबार द्वारा कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वर्ष भर में सड़कों तथा भवनों, परिवहन, वनों तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विकास कार्यों में क्रमशः ४,१३,०००, २,१०,०००, ५४,८७८ तथा ४३,५५५ रुपये खर्च किये गये हैं। दुर्भाग्यवश प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव के कारण अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्यानविद्या, पशुपालन, कुटीर उद्योगों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा में कम उन्नति हुई है।

(ख) इस संबंध में फरवरी, १९५५ के अंत तक ७,७९,२०५ रुपये ७ आने खर्च हुए हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सिक्किम होकर तिब्बत को जाने वाली सड़क तैयार हो गई है ? यदि हां, तो उस पर लागत क्या आई है ?

श्री सादत अली खां : यह असैनिक निर्माण के अंतर्गत आयेगा। माननीय सदस्य किस सड़क की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: सिक्किम होकर तिब्बत को जाने वाली सड़क।

श्री सादत अली खां : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सिक्किम सरकार भी इस सप्तवर्षीय योजना में अनुदान दे रही है ?

श्री सादत अली खां : यह एक सहायता कार्यक्रम है। सहायता हम दे रहे हैं। सिक्किम की सरकार इस निधि में अंशदान दे रही है या नहीं यह एक पृथक प्रश्न है।

श्री भक्त दर्शन : क्या सिक्किम दरबार ने इस योजना को सफल बनाने के लिये भारतीय

विशेषज्ञों की मांग की है, और यदि की है तो कितने अधिकारियों को यहां से भेजा गया ?

श्री सादत अली खां : इसके लिये मुझे स चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*२४८०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये मंझोले प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भेजे हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): नहीं । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केवल पूर्णा परियोजना के संबंध में प्राप्त हुआ है जो एक बड़ी परियोजना है और जिस की लागत का अनुमान सात करोड़ रुपया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को ठीक समय पर प्राप्त करने का सुनिश्चय करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है ?

श्री हाथी : योजना आयोग इस संबंध में राज्यों को निरन्तर लिखता रहा है । हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि हैदराबाद की १४ मंझोली सिंचाई योजनाओं की जांच की जा चुकी है । परन्तु अभी हमें परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या परियोजना प्रतिवेदनों पर प्रविधिक समिति द्वारा जब भी वह प्राप्त होते हैं विचार किया जाता है या सब परियोजना प्रतिवेदनों को एक साथ लिया जाता है और तब उनकी जांच की जाती है ?

श्री हाथी : जैसे और जब भी वह प्राप्त होते हैं प्रविधिक परामर्शदात्री समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है । उनको इकट्ठा करके उन सभी की एक साथ जांच नहीं की जाती है ।

श्री आर० एस० दीवान : बहु भाषाभाषी राज्यों का जहां तक संबंध है, विशेषत: हैदराबाद का जहां तक संबंध है, क्या सरकार ने इसका कोई प्रबंध किया है कि विभिन्न प्रदेशों में निधि का बंटवारा समान रूप से किया जाय ?

श्री हाथी : प्राथमिकता का निर्णय करते समय धन का समायोजन करना तत्संबंधी राज्यों का काम होगा । फिर भी यदि किसी मामले विशेष में आवश्यक समझा गया तो योजना आयोग प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक बंटवारे के संबंध में विचार कर सकता है ।

चीन के साथ व्यापार

*२४८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में चीन को किये जाने वाले निर्यात तथा चीन से होने वाले आयात के, मदवार, परिमाण तथा मूल्य; और

(ख) क्या भारत-चीन व्यापार करार को देखते हुए व्यापार का परिमाण संतोषजनक है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ४७]**

(ख) अभी इस करार के परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इन सम्पर्कों के परिणामस्वरूप स्थापित होने वाले मैत्रीपूर्ण व्यापार संबंध विशेष रूप से भारतीय तम्बाकू के निर्यात के विषय में सफलीभूत हुए हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : १९५४ में किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ चीन से आयात किये गये थे ?

श्री कानूनगो : इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ?

श्री डी० सी० शर्मा : १९५४ में चीन से किस प्रकार की मशीनें आयात की गई थीं ?

श्री कानूनगो : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सरकार दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने के लिये चीन को एक व्यापार शिष्ट मण्डल भेजने का विचार करती है ?

श्री कानूनगो : अभी नहीं ।

श्री केलप्पन: विवरण से ज्ञात होता है कि खालें भी आयात की एक वस्तु है । क्या हम वास्तव में भारी परिमाण में कच्ची खालों का निर्यात नहीं कर रहे हैं ।

श्री कानूनगो : हम कच्ची खालों का निर्यात नहीं कर रहे हैं।

जूट जांच आयोग का प्रतिवेदन

*२४८२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के प्रति जूट उद्योग में क्या प्रतिक्रियायें हुई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : जूट जांच समिति ने जूट उद्योग तथा अन्य सभी हितों से परामर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें की हैं। आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, सरकार ने, ४ दिसम्बर १९५४ के संकल्प संख्या १४ (३) पटसन/५४ में अपना विनिश्चय घोषित करने के पूर्व जिसकी एक प्रति ६ दिसम्बर, १९५४ को सभा पटल पर रखी गई थी आयोग से परामर्श किया था और उस के विचारों को अपने ध्यान में रखा था।

मशीनरी (निर्माण)

*२४८३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीनों तथा मशीन के पुर्जों के देशज निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार योजना काल में कौन से उपाय करने क विचार करती है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार यह चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक संख्या में मशीनों तथा मशीन के पुर्जों का निर्माण होने लगे । इसी अभिप्राय से सरकार मशीन उद्योग की स्थिति का पुनरीक्षण करती रही है, और समग्र औद्योगिक उत्पादन के योजना-लक्ष्यों को प्राप्त करने लिये अपेक्षित सीमा का ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में उन तरीकों का अध्ययन करती रही है कि जिनसे कि मशीन उद्योग प्रगति करे । इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री के उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्योगपति अत्यंत विवशता की स्थिति में एक बार किसी भी मशीन का आयात कर सकते हैं परन्तु उन्हें दूसरी बार ऐसा नहीं करना चाहिये ? क्या इस पर गम्भीरता से विचार किया गया है, और यदि हो, तो सरकार इस संबंध में क्या करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कैबिनट एक एकाई के रूप में कार्य कर रही है और प्रधान मंत्री जो कुछ कहते हैं उसके द्वारा कैबिनट के विचारों को ही व्यक्त करते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कुटीर उद्योग संबंधी मशीनों के लिये कितना प्रतिशत विनियोजन किया जायेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें यह नहीं ज्ञात है कि कुटीर उद्योगों के लिये हमें किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है । जब इसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने हो तभी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं अपना काम करने वाले कारीगरों के प्रयोग में आने वाली मशीनों के लिये कितना प्रतिशत विनियोग आवश्यक है तथा कितने प्रतिशत का नियतन किया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कोई पुराना सूती वस्त्र उद्योग किसी मशीन या मशीन के किसी भाग के निर्माण करने के लिये आगे आया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सूती वस्त्र मशीनरी का संबंध है , ब्लो रूम मशीनरी को छोड़कर लगभग सारी मशीनरी का निर्माण हमारे देश में किया जा रहा है । कपड़ा मशीनों में नये नये विकास किय जा रहे हैं इसलिये हमारे देश के मशीन निर्माताओं को उनकी बराबरी करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री सारंगधर दास : इतनी भारी संख्या में नई चीनी मिलें खुलने वाली हैं इसलिये चीनी मिल की मशीनों का निर्माण करने के लिये मशीन निर्माताओं के साथ क्या प्रबंध किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चीनी मिल की मशीनों में से अभी केवल तीस पतीस प्रतिशत मशीनों का देश में निर्माण होता है और जो भी नई चीनी मिल खुलती है उससे कहा जाता है कि वह इस प्रकार की मशीनों की अपनी आवश्यकताओं को स्थानीय निर्माताओं से मशीनें क्रय करके पूरी करें । चीनी मिलों के संस्थापन के लिये अपेक्षित अन्य मशीनों के निर्माण की स्थिति का सरकार अध्ययन कर रही है ।

विदेशों में भारतीय

***२४८६. चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **प्रधान मंत्री** इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ तथा १९५४ में विदेशों में मृत्यु दण्ड पाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी थी;

(ख) कितने मामलों में भारत सरकार ने उन व्यक्तियों को बचाने के लिये तत्संबंधी प्राधिकारियों से इस विषय में बातचीत की; और

(ग) उससे क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) एक । परन्तु उस मामले में अन्त में मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास दण्ड में बदल दिया गया था । सिंगापुर तथा गोआ समेत साथ कुछ अन्य क्षेत्रों से अभी जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चौधरी मुहम्मद शफी : जिस आदमी को मौत की सजा दी गई क्या मैं उसका नाम जान सकता हूं ?

श्री सादत अली खां : इस का नाम है जसवंत सिंह लेकिन जैसा में ने कहा गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाये ।

चौधरी मुहम्मद शफी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह आदमी हिन्दुस्तान के कौन से हिस्से से है ?

श्री सादत अली खां : इसका मुझे इस वक्त पता नहीं है।

श्री ए० बी० चौधरी : निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कस प्रकार का अपराध किया गया था ?

श्री सादत अली खां : उसे केनिया एमर्जेंसी रेगूलेशंज़ के अंतर्गत गोला बारूद रखने तथा माऊ माऊ आतंकवादियों के साथ षडयंत्र करने के अपराध के लिये मृत्य दण्ड दिया गया था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि ऐसे ६ आदमियों को जिन पर स्पाई होने का इल्जाम था पाकिस्तान सरकार ने मौत की सजा दी थी और...

श्री सादत अली खां : ऐसी किसी बात का हमें इल्म नहीं है ।

चौधरी मुहम्मद शफी : किन-किन मुल्कों से हमने इस बारे में ट्रीटीज की हुई हैं ?

श्री सादत अली खां : ट्रीटीज कोई नहीं की गई हैं । हम ने एम्बेसीज से इन्फारमेशन मांगी थी, कुछ आ गई है और कुछ आनी बाकी है ।

प्रेस आयोग

*२४८७. **श्री वोडयार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने अभी तक प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अपने विचार बता दिये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : तेईस ।

श्री वोडयार : क्या यह सच है कि प्रेस आयोग की इस सिफारिश के अनरेक्ष कि बंगलौर रेडियो स्टेशन को जुलाई में चालू कर दिया जाये तो भी उस के संबंध में विलंब हो रहा है, तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा वह कौन सी निश्चित तिथि है जब तक आकाशवाणी का बंगलौर केंद्र खोल दिया जायेगा ?

डा० केसकर : प्रेस आयोग तथा आकाशवाणी के बंगलौर स्टेशन में मुझे कोई संबंध दिखाई नहीं देता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि प्रेस आयोग ने प्रसारण के विषय के बारे में कहा है—परन्तु संभव है कि यह बताया हो कि अमुक कार्य किया जाना चाहिये तथा अमुक नहीं ।

डा० केसकर : प्रेस आयोग ने कितने ही विषयों के संबंध में निर्देश दिया है —परन्तु किसी स्टेशन विशेष के संबंध में नहीं प्रत्युत सामान्यतः ही कहा है । सभी पर यहां प्रश्न किया जा सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्रालय ने प्रेस आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है तथा क्या उसने उसके सम्बन्ध में निर्णय किया है, और यदि हां, तो अभी तक कितनी सिफारिशों पर विचार किया जाकर निर्णय किया गया है ?

डा० केसकर : कुछ समय पूर्व, उस समय की स्थिति को बताते हुए हमने एक विवरण सभा पटल पर रखा था । इस समय स्थिति यह है कि इस समय प्रेस आयोग की मुख्य सिफारिशें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं । मुझे आशा है कि शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : परसों या कल मंत्री महोदय ने एक बयान दिया था जिस में बताया गया था कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सम्बन्ध में एक बिल तैयार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स के बारे में तो प्रेस कमीशन की सिफारिशों को कार्यरूप दिया जा रहा है लेकिन बाकी सिफारिशों पर बिल कब बनाये जायेंगे ?

डा० केसकर : वर्किंग जर्नलिस्ट्स की कंडिशन के बारे में और जो दूसरे महत्वपूर्ण निश्चय या सिफारिशें प्रेस कमीशन ने की हैं

उन सब के बारे में जैसे मैंने कहा कि मामला कैबिनट के सामने है और जब तक वहां कोई फैसला नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रधान मंत्री के पिछले नवम्बर के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए कि प्रेस आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार को मान्य थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कब तक अन्तिम रूप से निर्णय करेगी तथा निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

डा० केसकर : विलंब के कारण मैं प्रारम्भ में ही बता चुका हूं। प्रेस आयोग की सिफारिशें बहुत विस्तृत तथा व्यापक हैं अतः ऐसे मामलों में शीघ्र ही कोई निर्णय करना अथवा सभी पहलुओं पर पूर्णतया विचार करना संभव नहीं है।

दूसरे, सिफारिशें बहुत ही विभिन्न प्रकार की हैं तथा हमें सभी विचारों का समन्वय करके उन्हें श्रेणीबद्ध करना है कि कौन सी उद्योग से संबंधित है तथा कौन सी श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बन्धित है, क्या वह समाचार-पत्र पढ़ने वाली जनता से संबंधित हैं, इत्यादि। जैसा कि मैंने बताया, ये सभी महत्वपूर्ण विचार तथा सिफारिशें इस समय सरकार के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये हैं।

रबड़ का कारखाना

*२४८८. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी गैर-सरकारी संस्था की रबड़ की वस्तुयें बनाने के लिये रबड़ का एक नया कारखाना चालू करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री नूनगो) : कुछ व्यक्तियों ने सरकार को इस प्रकार का सुझाव भेजा था तथा इनसे एक औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या इसमें विनियोजित होने वाली पूंजी केवल भारतीय ही है ?

श्री कानूनगो : माननीय सदस्य का ध्यान किस प्रस्ताव की ओर है ?

श्री विश्वनाथ राय : उद्योग में विनियोजित की जाने वाली पूंजी के प्रस्ताव की ओर है।

श्री कानूनगो : कितने ही प्रस्ताव इस प्रकार के हैं जिनमें केवल भारतीय पूंजी का ही ध्यान रखा गया है तथा कितने ही प्रस्ताव औपचारिक रूप में नहीं आये हैं।

श्री विश्वनाथ राय : इस उद्योग में किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाने को है?

श्री कानूनगो : रबड़ के टायर खिलौने, शीटिंग, रबड़ की बनी औद्योगिक वस्तुयें, लेटैक्स की बनी वस्तुयें, होज पाइप, आदि।

श्री वेलायुधन : क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन राज्य से, जो कि रबड़ उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, आधुनिक प्रणाली पर कोई नये कारखाने चालू करने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

श्री कानूनगो : अभी तक हमें इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

आदर्श भवन

*२४९०. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बनाये गये कम व्यय वाले मकानों की देश के विभिन्न भागों में उपयुक्तता की जांच पूर्ण हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह जांच अभी की जा रही है तथा परिणाम ज्ञात होने में कुछ समय लगेगा।

श्री सिद्धनंजप्पा : देश के किन भागों में जांच प्रारंभ की जा चुकी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : प्रविधिक विशेषज्ञों की एक सुविधा सर्वेक्षण समिति बनाई गई है जिसके सदस्य मेजर जनरल विलियम्स, प्रधान इंजीनियर; आर० पी० बर्मन, मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग; सी० पी० पटेल, आवास सलाहकार, एच० के० एल० सेठी, निदेशक (असैनिक इंजीनियरिंग) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली; सभापति, वन गवेषणा संस्था, देहरादून; निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा, नई दिल्ली; निदेशक केन्द्रीय भवन गवेषणा रुड़की तथा निदेशक एन वी ओ, नई दिल्ली, हैं । वे नमूनों की जांच कर रहे हैं तथा यह जांच देश के विभिन्न भागों में नहीं हो रही है ।

श्री सिद्धनंजप्पा : देश के विभिन्न भागों में इन नमूनों की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का निर्णय किन आधारों पर किया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पूर्ण विश्वास है कि विशेषज्ञ सभी पहलुओं पर विचार करेंगे । वे पहलू कौन-कौन से ह गे यह एक प्रविधिक प्रश्न है ।

श्री आर० एस० दीवान : बहुत से मामलों में तथा विशेषतया भवन गवेषणा संस्था रुड़की द्वारा बनाये गये 'शल हाउस' पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित मकान से कहीं अधिक वास्तविक लागत आती है । क्या सरकार इस तथ्य की जांच कर रही है तथा यह जानने का प्रयत्न कर रही है कि यह सच है अथवा नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बिना किसी परीक्षण के माननीय सदस्य की बात को गलत बताना मेरे लिये निस्तांत कठिन है ? परन्तु मेरी धारणा है कि विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों द्वारा बताये गये मूल्य--तथा रुड़की गवेषणा संस्था लगभग एक सरकारी संस्था ही है, ठीक थे । मेरे लिये इस सुझाव को स्वीकार करना कि बताये गये मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न थे निस्तांत कठिन है । उन पर संदेह करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है ।

कर्नल जैदी : उक्त प्रदर्शनी में प्रदर्शित आवासों का क्या हो रहा है ? क्या उनको किराये पर दे दिया गया, अथवा वे खाली पड़े हैं ?

सरदार स्वर्णसिंह : जी नहीं । सूचना संग्रहीत की जा रही है तथा नमूनों की जांच की जा रही है जिससे कि उपयुक्त नमूनों को स्वीकार किया जा सके ।

सीमेंट का अभ्यंश

*२४९१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४-५५ के पहले दो चतुर्थांशों में पिछले दो चतुर्थांशों की तुलना में बिहार राज्य को दिया गया सीमेंट का कोटा बहुत कम कर दिया है; और

(ख) १९५४-५५ के पिछले दो चतुर्थांशों में विभिन्न राज्यों की मांग कितनी थी तथा उनको कितना आवण्टन किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). बिहार राज्य के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है, प्रत्युत अभ्यंश बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है । दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ४८]**

पंडित डी० एन० तिवारी: विवरण से हमें ज्ञात होता है कि बिहार ने, जो कि भारत का दूसरा सब से बड़ा राज्य है, २०,००० टन की

मांग की थी परन्तु उसके लिये नियतन ९,००० टन का किया गया था तथा १९५४ के तीसरे काल में इसे १४,००० टन कर दिया गया था। परन्तु अन्य राज्यों में जैसे विशेषतया आन्ध्र की मांग १७,००० टन की थी और १५,००० टन का आवंटन किया गया, त्रावन-कोर-कोचीन की मांग ६,००० टन की थी और उसको ६,००० टन ही दिया गया था।

मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों को जनसंख्या तथा प्रारंभ किये गये कार्यों के अनुसार सीमेन्ट का नियतन करने के लिये कोई प्रणाली या आधार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं। मुख्याधार राज्य का उत्पादन तथा उसको हमारे उठाने की क्षमता है। मामला यह हुआ कि आन्ध्र राज्य से रेलवे उक्त राज्य में से कुछ भी परि-मात्रा नहीं ला सकी जिसके कारण उसको उपभोग के लिये स्थानीय क्षेत्र को ही आवंटित कर दिया गया।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले दो वर्षों में उत्तर बिहार में बहुत अधिक बाढ़ें आई हैं जिसके कारण उन स्थानों की सीमेंट की मांग बहुत बढ़ गई है तथा क्या सरकार ने सीमेंट का आवंटन करते समय इन सब बातों पर विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इन सब बातों पर हमने विचार कर लिया था तथा इ सीलिये हमने अपने लक्ष्य को बढ़ा कर १०० लाख टन कर दिया है।

श्री केलप्पन : कुछ राज्यों के लिये किया गया आवंटन मांग से बहुत कम है। क्या यह इसलिये है कि हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने योग्य सीमेंट का उत्पादन नहीं कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमारी मांग सदैव ही हमारी उत्पादन करने की क्षमता से अधिक रही है। तथा इसी कारण हम अपने लक्ष्यों को बढ़ा रहे हैं।

फरीदाबाद में बिजलीघर

*२४९३. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में फरीदाबाद के बिजली घर के लिये कितने मूल्य का कोयला खरीदा गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि बिजली घर के लिये कोयला खरीदने के लिये कोई मूल्य कथन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):

(क)—

१९५२–५३	२,२७,७२७ रु. १० आ. १० पा.
१९५३–५४	३,०९,५४७ रु. ७ आ. ११ पा.

(ख) कोयला उप कोयला आयुक्त (वितरण) कलकत्ता द्वारा नियंत्रित दरों पर ही खरीदा गया है।

श्री गिडवानी : जैसा कि मैं समझता हूं कि जब मूल्य कथन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये तो उस विशिष्ट सार्थ को इस कार्य के लिये किस प्रकार चुना गया था तथा बिजली घर के चालू हो जाने के बाद से कुल कितने मूल्य का कोयला खरीदा गया था ?

श्री जे०के० भोंसले : वह एक पुराना प्रसिद्ध प्राप्त सुस्थापित सार्थ है जिसकी स्वयं की कोयले की खानें भी हैं। कभी कभी प्रासंगिक परीक्षण किये जाते हैं तथा यदि इस प्रकार खरीदा गया कोयला परीक्षण में खरा उतरता है तब हमें प्रदाय के सम्बन्ध में संतोष हो जाता है। जहां तक खरीदे गये कोयले का सम्बन्ध है उसका परिमाण लगभग ११०० मन प्रतिमास है।

श्री गिडवानी : मेरा प्रश्न यह था कि कुल मल्य क्या था ?

श्री जे० के० भोंसले : १६ रुपये ४ आने प्रति टन :

श्री गिडवानी : १९५० से १९५५ तक बिजली घर के चलाने में कुल कितना व्यय हुआ है तथा जनता को बेची गई विद्युत शक्ति से इसी अवधि में सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री जे० के० भोंसले : १९५० से १९५३ तक हुई आय २,५७,२८८ रुपये ८ आ. ६ पा. थी परन्तु १९५३–५४ में यह २,३८,२१६ रुपये १ आ. ६ पाई थी ।

श्री गिडवानी : इन दो वर्षों में कुल कितनी हानि हुई थी ?

श्री जे० के० भोंसले : १९५२–५३ में लगभग ५ लाख रुपये तथा १९५३–५४ में ४ लाख रुपये । मैं इसको हानि नहीं कहूंगा, यह एक प्रकार से वित्तीय सहायता है ।

श्री गिडवानी : इस हानि को अथवा जो आप इसे कहें, दृष्टि में रखते हुए सरकार ने ठेकेदार से कोयला खरीदने की अपेक्षा सीधा कोयला खान से कोयला खरीदना वांछनीय क्यों नहीं समझा ?

श्री जे० के० भोंसले : मैंने बताया वह सुस्थापित सार्थ हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमने मूल्य कथन पत्र के आधार पर कोयला खरीदने का विचार किया होता तो मूल्य कथन वाले अपने लाभ को छोड़ सकते थे तथा आशंका केवल यही रहती कि कहीं (क) प्रकार के कोयला का संभरण न किया जाय ।

सरकारी खरीद

*२४९४. **श्री राम शरण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में खरीद विभाग (सप्लाई विंग) ने, कपड़े को छोड़कर ,ग्राम तथा कुटीर उद्योगों, भारतीय कारखानों और विदेशों में तैयार हुए माल किन अनुपातों में खरीदे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

ग्राम और कुटीर उद्योग	०.३ प्रतिशत
भारतीय कारखाने	५७.१ प्रतिशत
विदेशी	४२.६ प्रतिशत

श्री राम शरण : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम और कुटीर उद्योगों का अनुपात इतना कम क्यों है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : क्योंकि विभिन्न विभागों सम्बन्धी सरकारी आवश्यकतायें ग्राम तथा कुटीर उद्योगों से पूरी नहीं हो सकतीं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विलेज और काटेज इंडस्ट्रीज से क्या-क्या सामान खरीदा गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कुछ चीजें मैं बता सकता हूं : फर्नीचर, केन बास्केट्स हाइड्स और टैन्स, जूते, चप्पलें, कोयर परोडक्ट्स और हैम्प, होज टैप्स और इसी तरह की चीजें खरीदी गयी हैं ।

झींगा मछली

*२४९५. **श्री कासलीवाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि ब्रह्मा सरकार ने भारत से झींगा मछली के आयात के सम्बन्ध में खुली सामान्य अनुज्ञप्ति प्रणाली को समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस से मछली उद्योग को गम्भीर आघात पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) . हां श्रीमान,

कोचीन में विशेष रूप से बर्मा के लिये तैयार की गई झींगा मछलियों के स्टाक के इकट्ठा हो जाने का समाचार मिला है ।

(ग) बर्मा सरकार ने हमारे बर्मा स्थित दूतावास को सूचित किया है कि बर्मा में झींगा मछली आयात करने के लिये बहुत शीघ्र ही अनुज्ञप्तियां जारी की जायंगी ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बर्मा सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति न दिये जाने की स्थिति में आवश्यकता से अधिक होने वाली अतिरेक झींगा मछलियों के उपयोग की कोई योजना बना रही है ?

श्री कानूनगो : झींगा मछली तो एक नष्ट हो जाने वाला माल है । उनके उपयोग की सर्वश्रेष्ठ योजना यही है कि देश में उन्हें और अधिक खाया जाय ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ३ १।२ करोड़ रुपये की झींगा मछलियां कोचीन और मालाबार तट से निर्यात की गई थीं, और यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि अनुज्ञप्तियों के बंद कर दिये जाने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार इसी देश में इस के लिये कोई बाजार खोजने या उन बाजारों का विकास करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जिन परिस्थितियों में बर्मा को भेजी जाने वाली झींगा मछलियों की आठ दस हजार टोकरियों को कोचीन में रोक दिया गया था वे कदाचित सभा को ज्ञात है । बर्मा सरकार ने सहसा अपनी आयात नीति बदल दी थी । अनेक बातों के लिये उसने खुली सामान्य अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया । कोचीन से भेजी जाने वाली झींगा मछलियों के लिये केवल बर्मा ही एक बाजार था । जब व्यापार में सहसा कोई परिवर्तन होता है, तो सरकार के लिये हस्तक्षेप करना तथा शीघ्र ही कोई क़दम उठाना बहुत कठिन हो जाता है विशेषकर झींगा मछलियों जैसे मामले में जिन्हें खाने की देश में विशेष रुचि नहीं है । विश्व में ऐसी बातें और सभी जगह सरकारी नीति में ऐसे आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं । सरकार इस विषय में यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है, और बर्मा सरकार को आयात प्रतिबन्धों को ढीला कर देने के लिये कह रही है जिससे कि किसी आकस्मिक परिवर्तन से इस क्षेत्र विशेष के लोगों पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

पुनर्वास गृह-निर्माण निगम

*२४९८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास गृह-निर्माण निगम, दिल्ली में सरकार के कुछ हिस्से हैं ;

(ख) यदि हां, तो कीर्तिनगर में उस संस्था द्वारा कितने प्लाट बेचे गये ; और

(ग) प्लाट के ख़रीदारों को क्या सुविधायें दी गयीं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) ८०८

(ग) (१) आवश्यक सेवाओं का प्रबंध निगम द्वारा होगा ।

(२) आसान क़िस्तों में भुगतान किया जाता है ।

(३) ऐसे ख़रीदारों को जो, दिल्ली में भीड़भाड़ में रहते हैं और जिनके पास सत्यापित दावे हैं, गृह-निर्माण ऋण दिये जायेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों ने प्लाट्स का पूरा मूल्य चका

दिया है उनको अब तक सेल डीड्स नहीं दिये गये हैं जिस से उन्हें सरकार से सस्ते गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां, थोड़ी कुछ दिक्कत थी लेकिन अभी हमने दिल्ली स्टेट गवर्नमट को लिखा है कि यह बात जल्द से जल्द खत्म कर और थोड़ी उसके बीच में अगर लीगल डिफकल्टीज भी हों, तब भी जो पैसा उनको देना है, वह कारपोरेशन दे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह तथ्य है कि पुनर्वास गृह-निर्माण निगम ने रक्षित मूल्यों में वृद्धि कर दी है, यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले: आप की भाषा मेरे लिये कुछ अधिक कठिन है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों का निगम

*२५०१. **श्री राम शंकर लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम ने किन-किन उद्योगों को सहायता देने का निश्चय किया है; और

(ख) यह सहायता किस प्रकार की होगी और किन शर्तों पर दी जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). छोटे पैमाने के उद्योगों का निगम अभी हाल में ही स्थापित किया गया है। इसका विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री कानूनगो तीन महीने के अन्दर तैयार हो जायगा

फुलकारी

*२५०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में विदेशियों को कितनी फुलकारियों (पंजाब का एक दस्तकारी का काम) का निर्यात किया गया ; और

(ख) इसके निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हमारे निर्यात व्यापार के आंकड़ों में फुलकारी कोई पृथक मद नहीं है । अतः माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार फुलकारियों सहित दस्तकारी के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि विदेशों में यह सब से लोकप्रिय दस्तकारी है और इस देश में भी विदेशियों द्वारा इसे ही सब से अधिक खरीदा जाता है ?

श्री कानूनगो : सरकार जिन सहकारिताओं और निर्यात संगठनों से सम्बन्धित है उन से तो अभी तक इस वस्तु के निर्यात के बारे में कोई विशेष पूछताछ नहीं की गई है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार इस दस्तकारी के विकास के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री कानूनगो : दस्तकारी बोर्ड तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों पर कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती गंगादेवी : क्या मैं जान सकती हूं कि फुलकारियां एक्सपोट करने के लिये स्टेब्लिश्ड फर्म्स को ही लाइसेंस दिये जाते

हैं या न्यू कमर्ज़ को भी लाइसेंस देने की कोई योजना है ?

श्री कानूनगो : लाइसस की कोई ज़रूरत नहीं है ।

आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियां

*२५०४. **श्रीमती गंगादेवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जिन में कुछ व्यक्तियों को दी गई आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियों का उनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया और उन्हें खुले बाज़ार में दूसरों को बेच दिया गया ; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). ठीक ठीक तथा पूरी सूचना प्राप्त नहीं है । १९५४ में ३७ प्रतिवेदित मामलों में से छः फर्मों के नाम काली सूची में लिखे लिये गये थे और दो को अनुज्ञप्तियों का व्यापार करने के लिये चेतावनी दी गई थी । १७ मामलों में अपराध सिद्ध नहीं हुआ जब कि १२ मामलों की अभी जांच की जा रही है ।

श्रीमती गंगादेवी : क्या मैं जान सकती हूं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस केवल इस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ को दिये जाने के लिये हैं या गवर्नमेंट उन लोगों को भी दे सकती है । जो एजूकेटड हैं, गरीब हैं और बेरोज़गार हैं। क्या इस प्रकार से इन लोगों को भी लाइसेंस दे कर उनको सहायता पहुंचाने की सरकार की कोई योजना है ? या उन्हीं लोगों को जो हमेशा रुपया बनाने की फिक्र में रहते हैं तथा लाइसेंस ले कर ओपन मार्केट में बेच कर रेडी-मेड रुपये पर हाथ साफ करते हैं ? सरकार लाइसेंस दे कर उनको ही बढ़ाती रहेगी या इससे गरीबों की भी कोई सहायता होने की कोई संभावना हो सकती है ?

श्री कानूनगो : लाइसेंस की शर्तें अलग अलग चीज़ों के लिये अलग अलग होती हैं लेकिन इन्तजाम सब के लिये है। न्यू कमर्ज़ नये आने वालों के लिये भी इन्तजाम है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या काली सूची के नाम अन्य मंत्रालयों को भी भेजे जाते हैं, या यह बनवारी लाल एण्ड कम्पनी की तरह के मामले होते हैं जिससे सरकार को वस्त्र व्यापार में कई लाख की हानि हुई थी और उसी को हवाई जहाज़ों के क्रय और विक्रय का भी ठेका मिल गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : काली सूचियां परिचालित नहीं की जातीं । वे मांगने पर दी जाती हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट की राय में इस अपराध के लिये केवल ब्लेक लिस्ट ही कर देना काफी है या उसके लिये कुछ और भी सजा की व्यवस्था है ?

श्री कानूनगो : नहीं, कानून के तौर पर जब कभी कम्प्लेन्ट होती है तो उसके बारे में अदालत में विचार किया जाता है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी

*२५०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरपूर्वी सीमा एजेन्सी में किस प्रकार की विकास योजनायें प्रारम्भ की गई हैं ; और

(ख) इन के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) क्या माननीय सदस्य १८ नवम्बर, १९५४ के श्री कृष्णाचार्य

जोशी के तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे ? जैसा उसमें बताया गया है कि वहां की विकास योजनायें पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय योजना विस्तार खण्ड तथा सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना में इस के लिये कितनी रकम रखी गई है और उसमें से अभी तक कितनी व्यय की गई है ?

श्री जे० एन० हजारिका : योजना के अनुसार, १ करोड़ ६५ लाख रुपये निश्चित किये गये हैं । यह रकम कृषि, पशु पालन, वनों, कुटीर उद्योगों, शिक्षा, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये है । इसके अतिरिक्त हमारी एक इंजीनियरिंग योजना है जिसके लिये रकम इस प्रकार बांटी गई है :

संचार .... १ करोड़ ३५ लाख रुपये
आवास . . . ७५ लाख रुपये

१९५१–५२ से १९५३–५४ तक व्यय की गई रकम इस प्रकार है :

कृषि तथा पशु पालन	१६.६४ लाख रुपये
वन	१२.३५ लाख रुपये
कुटीर उद्योग	४.०५ लाख रुपये
शिक्षा	१२.३६ लाख रुपये
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	१७.४१ लाख रुपये

अभी तक ६२.८१ लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

इंजीनियरिंग योजना में सड़कों तथा इमारतों के लिये ७८.५४ लाख रुपये हैं और सामुदायिक परियोजनाओं के लिये ६.०९ लाख रुपये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि विकास के हेतु इस क्षेत्र की जनता के ऐच्छिक सहयोग को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : इन विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने का सुनिश्चय करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्रीमती खोंगमेन : क्या मैं जान सकती हूं कि इस क्षेत्र में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की संख्या कितनी है और वे किन स्थानों पर हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : सियांग डिवीजन में पासीघाट स्थान पर एक सामुदायिक परियोजना चालू की गई है । तोरप सीमा क्षेत्र में नामसंग पर १९५३ में एक राष्ट्रीय विस्तार खंड प्रारम्भ किया गया । हाल ही में हमने सुबनसिरी सीमा प्रदेश में जीरो नामक स्थान पर एक और खण्ड खोला है ।

श्रीमती खोंगमेन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार आन्तरिक क्षेत्रों में भी सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड स्थापित करना चाहती है ?

श्री जे० एन० हजारिका : इस सुझाव पर अवश्य विचार किया जायेगा, किन्तु वर्तमान सामुदायिक परियोजनाओं तथा विस्तार खण्डों की प्रगति को ध्यान में रखते हुये इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम की उत्तरी पूर्वी सीमा पर चालू की गई इन विकास परियोजनाओं के किसी स्तर पर क्या भारत सरकार आसाम सरकार को भी अपने विश्वास में लेगी ?

श्री जे० एन० हजारिका : जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इनका आसाम

सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका खर्च भारत सरकार ही वहन करती है ।

श्री अमजद अली : क्या उससे कभी परामर्श नहीं लिया जायेगा ?

श्री जे० एन० हजारिका : नहीं ।

पशमीना ऊन

*२५०६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई पशमीना ऊन या पशम का परिमाण क्या था ; और

(ख) देश के हाथकरघा उद्योग के लिये कितने पशमीना ऊन की आवश्यकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) समुद्री तथा वायु व्यापार लेखों में पशमीना ऊन के आंकड़े पृथक रूप में नहीं रखे जाते ।

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय अमृतसर में तथा भारत के अन्य भागों में पशमीना व्यापारियों के पास पड़ी हुई पशमीना ऊन का कुल परिमाण कितना है ?

श्री कानूनगो : यह बताया गया है कि पंजाब में १५०० मन ऊन एकत्र हो गई है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि पशमीना के व्यापारी यह कहते हैं कि उन के पास २५ लाख रुपये के मूल्य की ऊन पड़ी है जिसका उपयोग हथकरघा उद्योग नहीं कर सका है ? इन बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री कानूनगो : सरकार ने पहले ही पंजाब में जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पशमीने के कुछ परिमाण के निर्यात की अनुमति दे दी है, और काश्मीर सरकार से उनके उद्योग निदेशक द्वारा निर्यात की अनुमति दिये जाने के लिये कहा गया है ।

श्री हेम राज : इस ऊन को तैयार करने और कातने में होने वाली बड़ी कठिनाई को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार इस ऊन को छांटने तथा कातने के लिये कोई संयंत्र स्थापित करना चाहती है ?

श्री कानूनगो : इस समय ऐसी प्रस्थापनायें विचाराधीन नहीं हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पशमीना उद्योग के पुनरुत्थान के लिये, जो पिछले पांच छः वर्षों में पशमीना के अधिक मूल्य के कारण समाप्त प्रायः हो चुका था, क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री कानूनगो : मूल्यों के बढ़ने से पहले मेरे विचार से, हमारे देश की आवश्यकता से अधिक पशमीना ऊन थी और इसे रखना लाभप्रद नहीं था ।

उच्चतम न्यायालय का भवन

*२५०८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के भवन निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) भवन के किस तिथि तक बन जाने की आशा है ;

(ग) अभी तक उस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) निर्माण का अनुमानित व्यय कितना है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नींव भरने का कार्य पूरा होने को है ।

(ख) १९५७ के अन्त तक ।

(ग) लगभग ६.५ लाख रुपये ।

(घ) पैंतालीस लाख रुपये ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के पास की भूमि वकीलों को उनके आवास तथा कार्यालयों के लिये बेचने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि इस क्षेत्र में इस कार्य के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है ।

अखबारी कागज

***१५०९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने के फोक से अखबारी कागज़ के उत्पादन के सम्बन्ध में किये जा रहे गवेषणा कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : कुछ समय पूर्व वन गवेषणा संस्था देहरादून ने कुछ प्रयोग किये थे और इस परिणाम पर पहुंची थी कि गन्ने के फोक की लुगदी में ३० प्रतिशत बांस की लुगदी मिला कर छपाई योग्य कागज़ बनाया जा सकता था । उस में गन्ने के फोक से और भी कम लागत पर छपाई योग्य कागज़ बनाने के सम्बन्ध में अग्रेतर अनुसंधान किया है । यद्यपि उक्त सस्था द्वारा अब बनाये गये कागज़ का उत्पादन पिछली प्रणाली की अपेक्षा अधिक है, तथापि उसकी अपारदर्शिता सामान्य अखबारी कागज़ के लिये अपेक्षित स्तर की नहीं रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अमरीका में अपनाई गई प्रणाली पर यहां पर भी प्रयोग किये गये हैं ?

श्री कानूनगो : कदाचित माननीय सदस्य का आशय यांत्रिक लुगदी से है । यांत्रिक लुगदी का उपयोग मध्य प्रदेश में स्थित नेपा फैक्टरी में किया जाने को है । इस समय सरकार के समक्ष और कोई अन्य प्रस्थापना नहीं है । परन्तु मद्रास सरकार यूक्लिप्टस तथा बेदमुश्क (वॉटल) के वृक्षों को यांत्रिक लुगदी के लिये काम में लाने का विचार कर रही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को ज्ञात है कि फोके का चूरा जिसका कि निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, कारीगरों के स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है, अथवा क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी कोई गवेषणा करने की प्रस्थापना करती है ।

श्री कानूनगो : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

रबड़

***२५१०. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संश्लेषित रबड बनाने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है, और यदि हो, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस देश में संश्लेषित रबड़ का कोई आयात किया जाता है ?

श्री कानूनगो : बहुत थोड़ी मात्रा

पंडित डी० एन० तिवारी : उसका मूल्य क्या था ?

श्री कानूनगो : वास्तविक मूल्य के लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या देश रबड़ तथा रबड़ से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर है ?

श्री कानूनगो : हमारे यहां रबड़ की कमी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : वार्षिक आयात कितना है ?

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार द्वारा कोई गवेषणा संस्थायें खोली जाने की प्रस्थापना है ?

श्री कानूनगो : किस कार्य के लिये ?

श्री मुनिस्वामी : संश्लेषित रबड़ के लिये ।

श्री कानूनगो : नहीं, क्योंकि हमारे पास रबड़ की कमी है, और हम कच्चे रबड़ की बहुत बड़ी परिमात्रा का उत्पादन करते हैं ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार ने संश्लेषित रबड़ तथा कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत की जांच की है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह प्रश्न हमारे समक्ष नहीं है । सरकार ने इस समस्या पर अभी तक विचार नहीं किया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : हमारे देश में कितने रबड़ की कमी रहती है और हम प्रति वर्ष कितनी परिमात्रा का आयात कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम प्रति वर्ष कोई ३००० से ६००० टन आयात कर रहे हैं । दो वर्ष पूर्व ऐसा लगा था कि जैसे हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे, पर अब यह प्रतीत होता है कि हमें अपने आयात को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाने की आवश्यकता पड़ेगी । कदाचित और पांच वर्षों म हम को कोई १५,००० टन प्रति वर्ष आयात करना पड़े ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री गिडवानी ।

श्री गिडवानी : प्रश्न संख्या २५१२ ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) २४,००० . . . .

श्री गिडवानी : मैंने प्रश्न हिन्दी में नहीं पूछा है । मैं नहीं जानता कि उस का उत्तर हिन्दी में किस प्रकार दिया जा रहा है ।

श्री जे० के० भोंसले : मूल सूचना हिन्दी में थी । आप अंग्रेज़ी में उत्तर चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अध्यक्ष को सम्बोधित करें, सीधे माननीय सदस्य से बातें न करें ।

श्री जे० के० भोंसले : क्या मैं अंग्रेज़ी में उत्तर दूं या हिन्दी में ?

अध्यक्ष महोदय : अंग्रेज़ी ।

फ़रीदाबाद उपनगर

*२५१२. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) फरीदाबाद उपनगर के निवासियों की संख्या ;

(ख) उस उपनगर के निर्माण की प्रारम्भिक लागत ; और

(ग) वर्ष १९५२–५३ और १९५३–५४ में इस उपनगर की व्यवस्था पर किया गया व्यय ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):

(क) २४,००० व्यक्ति ।

(ख) २९५.९१ लाख रुपये ।

(ग) १९५२–५३ २०,९६,५६५ रुपये

१९५३–५४ ३१,७८,८२३ रुपये ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि फरीदाबाद बस्ती के बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को निर्माण कार्यों में कार्य करने के लिये दिल्ली लाया जाता है, और यदि हां, तो उन के फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद लाने और ले जाने पर प्रति दिन कितना व्यय होता है, और केवल इसी मद पर अब तक व्यय की गई रकमें क्या हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मेरे पास पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं हैं। परन्तु कोई १००० से १२०० व्यक्ति प्रति दिन दिल्ली लाये जाते हैं और वार्षिक व्यय इस प्रकार था :

१९५२–५३	१,६८,२६५ रुपये
१९५३–५४	१,६५,८६८ रुपये

श्री गिडवानी : क्या उस बस्ती में कोई उद्योग प्रारम्भ किये गये थे ? यदि हां, क्या वह अब भी चालू हैं अथवा क्या वह बन्द हो गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : इस समय १४ उद्योग चालू हैं और १२ अन्य उद्योगों को अन्तिम रूप दिया जाने को है ।

सरदार हुक्म सिंह : जैसाकि हमें बताया गया है मूल निर्माण कार्य पर तीन करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और उसके संधारण के लिये बाद को कोई एक करोड़ रुपया और लगाया गया है। । मैं जान सकता हूं कि इस चार करोड़ रुपये के व्यय से उक्त बस्ती में कितने व्यक्तियों को इस समय रोज़गार मिल रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह आंकड़ा मोटे तौर से कोई २२,००० है , और शेष २,००० के लिये, हम आशा करते हैं कि सम्पूर्ण बस्ती का औद्योगीकरण हो जाने पर उनको रोज़गार देने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री गिडवानी : प्रशासन का प्रति वर्ष व्यय क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : १९५२–५३ में १,७९,१०७ रुपये और १९५३–५४ में ३,६४,८१२ रुपये ।

प्रत्यर्पण सन्धियां

*२५१६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५४ में भारत सरकार और अन्य देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण सन्धियां हुई थीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : कोई नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमने पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यर्पण सन्धि की है ?

श्री सादत अली खां : भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, १९०३ का अध्याय ४, जो १८८१ के पलायित अपराधी अधिनियम का एक भाग मान लिया गया है, भारत और राष्ट्र मंडल में अन्य देशों के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाहियों की व्यवस्था करता है और मैं समझता हूं कि वही पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य नहीं है कि कुछ समय पूर्व इस विषय पर पाकिस्तान सरकार के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ था और अब तक प्राप्त उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं थे ?

श्री सादत अली खां : हां, यह ठीक है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में यह व्यवस्था अब तक क्रियाशील सिद्ध नहीं हुई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय सभा-सचिव के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए क्या

मैं यह समझ सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच कोई प्रत्यर्पण सन्धि विद्यमान है ?

श्री सादत अली खां : माननीय सदस्य बहुत अधिक मान रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा ।

चौधरी मुहम्मद शफी : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान के आज़ाद होने से पहले और हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद से ये ट्रिटियां किन-किन मुल्कों के साथ की गई हैं ?

श्री सादत अली खां : १९५३ में भारत और नैपाल के बीच २ अक्टूबर १९५३ को एक प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे और यह २ नवम्बर, १९५३ को लागू हुई थी। बर्मा के साथ व्यवस्थाय विचाराधीन हैं किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।

बाढ़नियंत्रण (ब्रह्मपुत्र)

***२५१७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सरकार ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़नियंत्रण के लिये संयुक्त उपाय किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): अभी पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान सरकार ने इस विषय में अब तक सहयोग नहीं दिया है, भारत सरकार ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों का नियंत्रण करने के लिये क्या करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि नकारात्मक उत्तर की आशा करना ठीक होगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गोलपाड़ा की स्थिति

अ० सू० प्र० सं० ९. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि आसाम सरकार ने गोलपाड़ा जिले में उत्पात की किसी भी संभावित पुनरावृति को रोकने के लिये सैनिक सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उस प्रार्थना को पूरा करने के लिये कितने सैनिकों को वहां भेजा गया है ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि ११ अप्रैल, १९५५ तक ३००० व्यक्तियों ने भय के कारण पश्चिमी बंगाल राज्य में, प्रवेश किया है ; और

(ङ) क्या शरणार्थियों को कोई सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : मैं पूरा और व्यापक उत्तर दे रहा हूं और कदाचित स्वेच्छा से मैं प्रश्न में पूछी गई जानकारी से कुछ अधिक बता रहा हूं ।

आसाम राज्य का गोलपाड़ा ज़िला राज्य पुनस्संगठन आयोग के समक्ष परस्पर विरोधी दावों का विषय रहा है । कुछ व्यक्तियों की यह धारणा थी कि यह ज़िला पश्चिमी बंगाल में विलय कर दिया जाये, परन्तु अन्य कुछ व्यक्तियों का यह दृष्टिकोण था कि वह आसाम में ही रहे। अप्रैल १९५५ के पहले सप्ताह में कई एक जुलस और सभायें उस ज़िले के पश्चिमी बंगाल में विलय किये जाने के दावे के विरोध में आयोजित की गयीं । जुलूसों और सभाओं के समाप्त होते समय अधिकतर गुंडों द्वारा पत्थर फेंकने, साइनबोर्ड उखाड़ लेने और व्यक्तियों तथा दुकानों पर आक्रमण किये जाने की कुछ घटनायें हुईं । व्यक्तियों

के कुछ समुदाय पूर्वी बंगाल से आये बंगाली शरणार्थियों को, जो उस जिले के भीतर निर्जन स्थानों में बस गये थे, उन स्थानों को छोड़ देने के लिये डरा धमका रहे थे। धुबरी और राज्य सीमा के पार कूच-बिहार और अलीपुर द्वार जैसे स्थानों में बंगाली शरणार्थियों का कुछ प्रव्रजन देखा गया और अनुमानों के अनुसार ९ और १३ अप्रैल के बीच २,५०० व्यक्तियों ने प्रव्रजन किया था। ९ अप्रैल को स्थानीय बोर्ड के चुनावों के सम्बन्ध में काफी संख्या में पुलिस के तैनात होने के कारण, राज्य सरकार ने यह सोचा कि उपलब्ध पुलिस बल उपद्रवकारियों का सामना करने के लिये अपर्याप्त होगा और असैनिक शक्ति की सहायता के लिये सेना प्राधिकारियों से सहायता मांगने का फैसला किया। १२ अप्रैल को राज्य सरकार ने दार्जिलिंग स्थित सैनिक मुख्य कार्यालय से सैनिक सहायता की मांग की। सैनिक पदाधिकारियों ने एक सेना पदाधिकारी को स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के लिये धुबरी भेजा। पैदल सेना की दो कम्पनियां १२ अप्रैल को सिलीगुड़ी में तैनात की गईं और उनमें से एक को कूच-बिहार भेजा गिया जससे कि वह सैनिक सहायता की वास्तवमें आवश्यकता पड़ने पर गोलपाड़ा तुरंत उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार ने उपद्रवकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है और गोलपाड़ा के सम्पूर्ण जिले में तीव्र पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। ११ अप्रैल तक पुलिस के छः दस्ते पीड़ित क्षेत्रों में भेज दिये गये थे। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम समाचारों से यह ज्ञात होता है कि अब स्थिति सामान्य हो गयी है। १२ अप्रैल को हुई मामूली घटना के अतिरिक्त, ९ अप्रैल के बाद गोलपाड़ा ज़िले में कहीं से भी किसी दुर्घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। न कोई व्यक्ति मारा गया है और न किसी को गहरी चोट आई है। ३०६ उपद्रवकारी गिरफ्तार किये गये हैं। और १०० से अधिक मामले पंजीबद्ध किये गये हैं। सशस्त्र पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां राज्य के अन्य भागों से पहुंच गई हैं और विश्वास स्थापित हो गया है। शरणार्थियों का निष्क्रमण रोक दिया गया है और उनकी बहुत बड़ी संख्या अपने घरों को वापस आ गई है। राज्य सरकार ने सहायता उपायों का आयोजन किया है और उपद्रव का शिकार हुए व्यक्तियों की तुरंत सहायता के लिये ४०,००० रुपया मंजूर किया गया है। राज्य सरकार ने पुनर्वास ऋण देने के लिये एक लाख रुपया दिया है और सहायता तथा पुनर्वास विभाग द्वारा एक लाख रुपया मंजूर किया गया है। इस सहायता के तुरंत वितरण की व्यवस्था की गई है। स्थिति में निरन्तर हो रहे सुधार को देखते हुये राज्य सरकार ने १५ अप्रैल को सैनिक प्राधिकारियों को सूचित किया कि उन से मांगी गई सहायता की अब आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में कोई सैनिक दल गोलपाड़ा ज़िले में नहीं भेजे गये थे क्योंकि उनका उपयोग करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया कि घटना सर्वप्रथम १ अप्रैल को प्रारम्भ हुई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन अधिसूचनायें जारी की गईं थीं? यदि हां, तो कब?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरे ख्याल से नहीं। १ अप्रैल को नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया कि स्थिति सामान्य हो गई है; क्या मैं उनका ध्यान अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर कि अखिल

भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्य मंत्री ने जिन्होंने उस जगह का दौरा किया था इस महीने की १९ तारीख को यह कहा था कि स्थिति सामान्य नहीं हुई है, आकर्शित कर सकता हूं ?

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे मुख्य मंत्री से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और वह समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों से बिलकुल मेल नहीं खाता ।

श्री एस० सी० सामन्त : सभापति महोदय तथा माननीय मंत्री ने इस विषय पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की थी । आसाम के मुख्य मंत्री और आसाम कांग्रेस के प्रधान ने भी ऐसा ही किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन परिस्थितियों के कारण कोई निष्पक्ष जांच करने जा रही है क्योंकि राज्य सरकार और कांग्रेस इस समस्या को नहीं सुलझा सकी है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं सभापति की आज्ञा से, मुझे प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नवीनतम तार पढ़ूंगा :

> "१४ अप्रैल को धुबरी में मेरे पहुंचने के तुरंत बाद, मैंने बंगाली समुदाय और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों और डिवीजन के आयुक्त और पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल से जो मेरे आदेश के अनुसार उस क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, परामर्श किया । संभरण और पुनर्वास मंत्री और एक अन्य मंत्री मेरे साथ दौरा कर रहे थे । मैंने स्थानीय पदाधिकारियों और मद्रास के रेजिमेन्ट के मेजर सिंह और सहायक गुप्त सूचना विभाग के उप संचालक श्री दत्त से परामर्श किया । सभी की यह सम्मति थी कि स्थिति में सुधार होने के कारण और बाहरी ज़िलों से पर्याप्त सशस्त्र पुलिस के पहुंच जाने के कारण वहां सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी । उस ज़िले में मेरे और अन्य मंत्रियों के दौरे का प्रभाव शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण करने में बहुत सहायक रहा । अल्प संख्यकों तथा जनता के सभी विभागों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये मैंने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और कतिपय अधीनस्थ पदाधिकारियों के तुरंत स्थानान्तरण के आदेश दे दिये हैं । उनके स्थान पर अन्य ज़िलों से पदाधिकारी लाये जा रहे हैं । श्री मेनन पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किये गये हैं । मामलों की जांच में शीघ्रता करने के लिये मैं दूसरे पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और अन्य अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी नियुक्त कर रहा हूं । नियंत्रण पुलिस इन्सपैक्टर जनरल के अधीन हैं । उपद्रवों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये मामलों की सुनवाई के लिये मैं एक अतिरिक्त ज़िला दंडाधीश को भी रख रहा हूं । वह बंगाई गांव में मुझे दी गई पुलिस के खिलाफ एक शिकायत और इसी तरह की अन्य शिकायतों की जांच भी करेंगे ।"

श्री के० के० बसु : क्या यह तथ्य है कि उस क्षेत्र के श्रमिकों के कुछ प्रमुख नेतागण और प्रशासन का कुछ भाग भी इस कार्यवाही में सम्मिलित था ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई अग्रेतर जांच, जो माननीय मंत्री द्वारा पढ़े गये तार में उल्लिखित जांच से अतिरिक्त हो, करने की प्रस्थापना करती है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं नहीं जानता कि प्रश्नकर्ता द्वारा दी गई जानकारी सही, है या नहीं। मुझे स्वयं संदेह है किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किये गये उपायों और संभाव्य उपायों को दृष्टि में रखते हुये, उनके काम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा

श्री एच० एन० मुकर्जी : सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों के सम्बन्ध में कि कुछ उपद्रवकारियों ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के विरुद्ध गोलपाड़ा की मुस्लिम जन संख्या का उपयोग किया और पुलिस भी बहुत समय तक घटनाओं के प्रति उदासीन रही, क्या सरकार को कोई जानकारी है ?

पंडित जी० बी० पन्त : यह राज्य सरकार से सम्बन्धित विषय है और वह प्रति दिन विज्ञाप्त जारी करती रही है। मुझे विश्वास है।क इन विज्ञप्तियों में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का निदश किया गया है और उन पर टीका की गई है।

श्री बर्मन : क्या मैं पूछ सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें इस प्रश्न की सीमा को समझ लेना चाहिये। विधि और व्यवस्था आसाम राज्य सरकार का विषय है और केन्द्रीय सरकार ने इसलिये हस्तक्षेप किया है क्योंकि गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सैनिक सहायता मांगी गई थी। स्थिति, स्वाभाविक ही, सबके लिये एक चिन्ता का विषय थी किन्तु इसके लिये आसाम प्रशासन के विस्तार में जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

श्री के० के० बसु : इस विशिष्ट मामले में .....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की टीका करने का कोई अर्थ नहीं है। सभापति जो कुछ कहते हैं उसे माननीय सदस्य पहले सुन लें और तब निवेदन करें। लगातार टीका करना एक बुरी आदत है और उससे सभापति के कार्यों में हस्तक्षेप होता है। मैं कह रहा था कि और कोई प्रश्न न पूछा जाय क्योंकि यह प्रश्न, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, आसाम प्रशासन से सम्बन्धित है और हमें उस सरकार की स्वयत्तशासिता में हस्तक्षेप करने और उसकी कार्यकुशलता पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय : सैनिक सहायता के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता था कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बर्मन : २१ अप्रैल को पी० टी० आई० ने यह समाचार दिया था कि **"हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड"** और **"अमृत बाजार पत्रिका"** के गोहाटी स्थित कार्यालयों पर तीस आदमियों ने आक्रमण किया और खिड़कियों के शीशे और अन्य चीजें तोड़ डालीं और काफी उपद्रव किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न किस प्रकार संगत है। समाचारपत्र कुछ भी छाप सकते हैं और अपने पत्र-प्रतिनिधियों की सूचनाओं के आधार पर जो सरकारी सूचनाओं जितनी प्रमाणित अवश्य ही नहीं होती हैं, चाहे कुछ छाप सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विधि आयोग

*२४४४. **श्री एस० एन० दास :**
श्री केशवैयंगार :
श्री इब्राहीम :
श्री तिम्मय्या :
श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :
श्री सी० आर० चौधरी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विधि आयोग की नियुक्ति तथा संचालन के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) इस आयोग के निश्चित कार्य क्या हैं ; और

(ग) आयोग का संगठन कैसा है और यह कौनसा त्वरित कार्य अपने हाथ में लेगा ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

सेना में भर्ती

***२४४५. श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में किन-किन राज्यों से सब से अधिक संख्या में लोग सेना में भर्ती हुये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : उन दस राज्यों के नाम जिन में से कि १ अप्रैल, १९५४ से २८ फरवरी, १९५५ तक सब से अधिक संख्या में जवान सेना में (प्रादेशिक सेना सहित) भर्ती हुये, निम्नलिखित हैं :—

राज्य

१. पंजाब
२. उत्तर प्रदेश
३. बम्बई
४. मद्रास
५. पश्चिमी बंगाल
६. बिहार
७. राजस्थान
८. जम्मू और काश्मीर
९. त्रावणकोर-कोचीन
१०. पेप्सू

पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता

***२४४६. श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता देने के लिये कोई नियम है ; और

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान "पांचसाला योजना के अन्तर्गत शिक्षा विकास की योजनायें" नाम की पत्रिका के पृष्ठ २३ की ओर दिलाया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में मौजूद हैं ।

प्रादेशिक सेना

***२४४७. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पंजाब में प्रादेशिक सेना के एकक स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : प्रादेशिक सेना के बहुत से एकक पंजाब में बना दिये गये हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर का विलय

***२४४८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विभागों के केन्द्रीय सरकार में विलय हो जाने के बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें दी जायेंगी ;

(ख) क्या उनके वेतनों का नियमन केन्द्रीय नियमों के अनुसार कर दिया गया है और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में लागू भत्ते उन्हें भी दिये जाते हैं ; और

(ग) क्या उनका स्थानान्तरण भारत संघ के किसी भाग में किया जा सकता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मैं नहीं जानता कि सुविधाओं से माननीय सदस्य का क्या मतलब है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार के वह स्थायी कर्मचारी, जिन्हें अब केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है, केन्द्रीय असैनिक सेवा (भाग ख' राज्यों के स्थानान्तरित कर्मचारी) नियम, १९५३, जिन्हें ९ मई, १९५३ के भारत के गजट में विभाग ३, भाग २, में प्रकाशित किया गया था, के अधीन होंगे।

(ख) उन स्थायी कर्मचारियों को, जो वेतन तथा भत्तों आदि का केन्द्रीय वेतन-क्रम लेना चाहते हैं और जो केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में ले लिये जायेंगे, केन्द्रीय सेवाओं में दाखिल होने की तिथि से केन्द्रीय दरों से वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। इससे पूर्व उन्हें राज्य की दरों से वेतन तथा भत्ते मिलेंगे।

(ग) जी हां।

योग्यता छात्रवृत्तियां

*२४४९. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियों की योजना के अधीन योग्यता छात्रवृत्तियों के देने का विस्तृत प्रचार करने के लिये किन उपायों को काम में लाया जाता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : योजना के अधीन जब कभी भी छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं या छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तो भारत सरकार योजना की व्याख्या करने वाले प्रेस-टिप्पण जारी करती है। राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के अन्य आवश्यक प्रचार के लिये प्रार्थना की जाती है।

विदेश में प्रशिक्षण

*२४५०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया की सरकार द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये जो सुविधायें देने का प्रस्ताव किया गया है, उस के लिये व्यक्तियों का चुनाव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आस्ट्रिया में कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जायगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर में युद्धास्त्र कारखानों के कर्मचारी

*२४५१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय युद्धास्त्र कर्मचारी संघ के जम्मू तथा काश्मीर एकक को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जम्मू तथा काश्मीर युद्धास्त्र कर्मचारी संघ को मान्यता न देने का कारण यह है कि जम्मू तथा काश्मीर स्थित युद्धास्त्र डिपुओं के कर्मचारी सेना अधिनियम के अधीन हैं और इस प्रकार उन्हें किसी कार्मिक संघ या मज़दूर संघ का सदस्य बनने या उससे संबंध रखने की अनुमति नहीं दी जाती।

सम्पदा शुल्क अधिनियम

*२४५२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) के अधीन, कृषिभूमि के सम्बन्ध में, सम्पदा शुल्क अधिनियम को स्वीकार करते हुये संकल्प पारित कर लिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने ऐसे संकल्प पारित नहीं किये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में भेजे गये सरकारी पत्रों के सम्बन्ध में किसी राज्य ने कोई आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या स्वरूप है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) के अधीन, कृषिभूमि के सम्बन्ध में, सम्पदा शुल्क अधिनियम को स्वीकार करते हुये, सभी राज्यों ने संकल्प पारित नहीं किये हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल, मैसूर, मद्रास, आंध्र और पैप्सू ने अभी तक आवश्यक संकल्प पारित नहीं किये है।

(ग) और (घ). पश्चिमी बंगाल ने इस विषय पर अपना विधान बनाने का निश्चय किया है। आन्ध्र सरकार तब तक इस पर विचार करने को सहमत नहीं जब तक कि वह अन्य कराधान कार्यवाहियों का परिणाम न देख ले। अन्य राज्यों से किसी आपत्ति की आशा नहीं है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

*२४५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अभिलेखागार को एयर कन्डीशन बनाने (वातावस्थापित करने) का काम कब प्रारम्भ किया गया था;

(ख) उसके अभिलेखों की सफाई करने, उन्हें धूम्र में भर देने, उनकी मरम्मत करने और पुनः नियत स्थान पर रखने के ढंगों का किस सीमा तक यंत्रीकरण किया जा चुका है;

(ग) शिल्पिक सामान को किन साधनों से और किन मूल्यों पर प्राप्त किया गया है; और

(घ) अभिलेखों की वैज्ञानिक ढंग पर व्यवस्था करने और सुरक्षित रखने के लिए १९४९-५० से कितने शिल्पिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) १९५४–५५

(ख) सफाई करने और धूम्र में भर देने की प्रणाली को आधुनिक ढंग से ठीक कर लिया गया है। मरम्मत तथा फिर से यथा स्थान रखने के संबंध में नवीनतम प्रणालियों को चालू किया जा रहा है।

(ग) अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका, से, लगभग १,४०,००० रुपये की लागत पर।

(घ) ४४ (चौवालीस)।

समाचारपत्रों का संभरण

*२४५४. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को समाचार-पत्रों का संभरण निःशुल्क किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में इस मद में कितनी राशि व्यय की गयी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा–पटल पर रखी जायगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*२४५५. **सरदार अकरपुरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग की किन सिफारिशों को स्वीकार और लागू कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के पास सिफारिश भेजना चाहती है कि वह दुकान पर काम करने वालों और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए वाणिज्यिक विषयों की रात्रि कक्षायें खोलने की व्यवस्था करे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) जी नहीं । यह मामला मुख्यतः दिल्ली विश्वविद्यालय का है ।

युद्ध सामग्री के कारखाने

*२४५६. **श्री राम शरण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अन्य विभागों और गैर-सरकारी उपभोक्ताओं के लिये १९५४ में युद्ध सामग्री के कारखानों द्वारा, सैनिक सामान को छोड़कर, किस किस प्रकार का सामान बनाया गया; और

(ख) इन चीजों को बेचने के लिये क्या तरीका अपनाया गया ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सैनिक सामग्री के कारखानों द्वारा, अन्य सरकारी विभागों और साधारण उपभोक्ताओं के लिये, मुख्यतः नीचे दिये गये प्रकार के सामान बनाये गये :—

१. शाट गन्स,
२. माइल्ड स्टील बिलेट्स,
३. स्प्रिंग स्टील बिलेटस
४. नानफोरस सामान,
५. स्टील कास्टिंग्ज,
६. सूती थैले,
७. चमड़े की चप्पलें,
८. केमिकल्स (एसीटोन, नाइट्रोसेलुलोज आदि),
९. जनरल फोर्जिंग्स, पुर्जे, मशीनिंग, आदि ।

(ख) शाट गन्स की बिक्री के लिये क्षेत्रों के आधार पर विक्रेता नियुक्त किये गये हैं । इस समय शाट गन्स के अतिरिक्त शेष वस्तुयें सरकारी विभागों या निजी व्यवसाय-संस्थाओं के निश्चित आदेश पर ही कारखानों में बनाई और बेची जाती हैं ।

समाज शिक्षा साहित्य

*२४५७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में हिन्दी में समाज शिक्षा साहित्य के लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ७५२८ रुपया ।

मनीपुर राज्य जेल

*२४५८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में मनीपुर राज्य जेल का व्यय क्या है; और

(ख) १९५३–५४ की तुलना में १९५४–५५ में किन मदों के व्यय में वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) मनीपुर राज्य जेल का व्यय १९५३–५४ में १,११,-१९२ रुपये तथा १९५४–५५ में १,११,७०३ रुपये था ।

(ख) नगण्य वृद्धि हुई है ।

बरोजगारी

***२४५९. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित लोगों की बेरोजगारी कम करने की योजना के अधीन १९५४–५५ के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य को कितनी राशि दी गयी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ६५,५२,४१६ रुपये ।

आतिथ्य व्यय निधि

***२४६०. डा० सत्यवादी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में "आतिथ्य व्यय निधि" में से विभिन्न मंत्रालयों के लिये कितनी राशि निश्चित की गई और उसमें से वस्तुतः कितनी राशि व्यय हुई; और

(ख) अगले वर्ष के लिये इस निधि के लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५१**]

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

***२४६१. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा से निवृत्ति प्राप्त कितने भारतीय कमीशन प्राप्त पदाधिकारी गत तीन वर्षों में वर्षवार, पाकिस्तान गये ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : जहां तक सरकार को पता है, गत तीन वर्षों के दौरान में भारतीय सशस्त्र सेना का एक पदाधिकारी निवृत्ति प्राप्ति के बाद पाकिस्तान गया । इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान ३१ मार्च १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६६ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

कैन्टीन भाण्डार विभाग

***२४६२. श्री राम दास :** क्या **रक्षा** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन भाण्डार विभाग का नियंत्रण तथा प्रबन्ध करने वाली स्वायत्त शासी संस्था का संगठन क्या है;

(ख) प्रति वर्ष उसके लेखों का परीक्षण कौन प्राधिकारी करता है;

(ग) क्या इस विभाग के लेखों का संतुलन पत्र कभी बनाया गया है; और

(घ) गत चार वर्षों अर्थात् १९५१ से १९५५ तक के दौरान इस विभाग को जो लाभ या हानि हुई, उसकी राशि क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५२**]

राज्य तथा गृह-मंत्रालयों का विलय

***२४६३. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्रालय का गृह-कार्य मंत्रालय के साथ विलय हो जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक भी नहीं ।

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

***२४६४. श्री जे० आर० मेहता :** क्या **रक्षा** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी सशस्त्र सेनाओं में कुल कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों का अनुपात क्या है जो निम्न श्रेणियों में आते हैं :—

(१) अल्प कालीन सेवा पदाधिकारी;

(२) आपात कालीन पदाधिकारी; और

(३) अस्थायी;

(ख) इन श्रेणियों में से प्रत्येक के कर्मचारियों का कार्यकाल क्या है और किन शर्तों के अधीन उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं; और

(ग) किन श्रेणियों के पदाधिकारी निवृत्ति वेतन के हकदार हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५३**]

पुस्तकालय

***२४६५. श्री एस० एन० दास**: क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में पुस्तकालयों क अधीक्षण, नियंत्रण, संगठन और विकास हेतु एक उचित अधिनियम पारित करने के लिए किसी प्रस्थापना पर विचार किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): जी नहीं।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा

***२४६६. श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अंग्रेजी के अलावा कौन कौन सी परीक्षायें हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में ली जाती हैं; और

(ख) इस का भावी कार्यक्रम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत): (क) इस समय संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं की भाषा अंग्रेजी है। किन्तु उन थोड़े से पदों में, जिनमें कि हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा का ज्ञान अनिवार्य है यदा-कदा नियुक्ति के लिये आयोग एक अनुपूरक लिखित परीक्षा लेता है।

(ख) मामला विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य का ध्यानं, श्री टी० एस० ए० चेट्टियार द्वारा ५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये प्रश्न संख्या १९१७ के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं।

पंच वर्षीय योजना

***२४६७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहिले वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ८४ करोड़ की राशि विभिन्न राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई है अथवा की जाने वाली है अथवा उक्त राशि को, उन राज्यों को पंच वर्षीय योजना के अधीन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता में समायोजित कर दिया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आय कर तथा संघ उत्पादन शुल्क में राज्य का भाग, सहायता अनुदान, इत्यादि राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष किश्त में दिये जाते हैं। उक्त सहायता, योजना में उल्लिखित, केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अलावा दी जाती है।

अतिरिक्त पद

***२४६८. चौ० रघुबीर सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुए काम को संभालने के लिये उनके मंत्रालय में १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में कुछ अतिरिक्त गजटेड तथा अ-गजटेड पद बनाये गये हैं;

(ख) क्या उक्त पदों में नियुक्तियां हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो चुनाव किस प्रकार किया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, उनमें से अधिकांश को नियुक्त कर लिया गया है।

(ग) नियुक्तियां निम्नलिखित माध्यमों से हुईं :—

(१) संघ लोक सेवा आयोग।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय।

(३) विभागीय पदोन्नति।

(४) काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा अथवा खुले आम लोगों से अभ्यावेदन-पत्र मंगा कर।

आपातकालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

***२४६९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, मुक्त किये जाने पर, आपातकालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को मुक्ति के तीन महीने पूर्व, सूचना दी जाती है तथा उनको देय युद्ध अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ पदाधिकारी, जिन्हें १ अक्टूबर, १९५१ से मुक्ति का आदेश दिया गया है, उन्हें न तो सूचना प्रेषित की गई न उन्हें उनकी छुट्टियां ही स्वीकृत की गईं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). नियमों में मुक्ति के तीन महीने पूर्व सूचना देने का कोई उपबन्ध नहीं है ; किन्तु अक्तूबर १९५२ से मुक्ति की तारीख से तीन महीने पूर्व सूचना देने की सामान्य प्रथा रही है।

(ख) मुक्ति से सम्बन्धित सूचना की स्थिति भाग (क) के उत्तर में बता दी गई है। जहां तक छुट्टी का सम्बन्ध है, यह उन मामलों को छोड़कर जो कि अनुशासनिक अथवा प्रशासनिक आधार पर—यथा, अकुशलता इत्यादि के कारण मुक्त हुए हैं, छुट्टियां दी जाती रही हैं।

राइफल क्लब

***२४७०. श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से राइफल क्लबों और संघों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ; और

(ख) उन क्लबों और संघों द्वारा कुल कितने व्यक्तियों ने राइफल और बन्दूक चलाने में दक्षता प्राप्त की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर में कही हुई सब सहायता १९४७ के बाद दी गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता और दी गई है।

(१) १९५५ में हुई तीसरी नेशनल शूटिंग चेम्पीयनशिप प्रतियोगिता के सम्बन्ध में नेशनल राइफल एसोसियेशन, इंडिया को १०,००० रुपये का अनुदान।

(२) एसोसियेशन को सेना द्वारा इस रूप में सहायता दी गई : १९५२, १९५३ तथा १९५५ में हुई तीनों प्रतियोगिताओं में सैनिकों द्वारा प्रबन्ध तथा निरीक्षण, किराये की अदायगी पर सैनिक स्थान देने का आदेश, आर्डिनेंस फैक्टरियों द्वारा रियायती दरों पर

स्त्रों का देना और, सैनिक बन्दूक चलाने के क्षेत्रों का देना ।

(ख) सरकार को यह सूचना देना संभव नहीं है, चूंकि सरकार को दक्षता प्राप्त करने के लिये विहित कोई परीक्षा की जानकारी नहीं है ।

जल अवक्षेपी

*२४७१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "जल अवक्षेपी" का एक नमूना जो कि सूखी वायु से जल एकत्र करता है भारतीय वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यालय, लन्दन द्वारा दिया गया है ;

(ख) यदि, हां तो कब ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में इसके पूरे आकार का नमूना बनाया गया है और उसकी जांच की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल १९५२ ।

(ग) जी हां ।

भारतीय राष्ट्रजनों का पाकिस्तान को पलायन

*२४७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान कितने व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपराध कर पाकिस्तान भाग गये हैं ; और

(ख) कुल कितने व्यक्तियों को उक्त अवधि में पाकिस्तान ने अपने देश को वापस भेजा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). भारत सरकार को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है ।

डाक्टरी चिकित्सा पदाधिकारी

*२४७३. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे सशस्त्र बल में सम्बद्ध, अल्प सेवा कर्मचारियों के अन्तर्गत आने वाले डाक्टरी चिकित्सा पदाधिकारीयों का क्या अनुपात है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सेना डाक्टरी चिकित्सक दल तथा सेना दन्त चिकित्सक दल में क्रमश: ४९.१ प्रतिशत तथा ३८ प्रतिशत पदाधिकारियों के पास अल्प-सेवाकालीन नियमित कमीशन हैं ।

छात्रवृत्तियां

*२४७४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ के दौरान छात्रवृत्तियों के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १,३८,७२,२१५ रुपये ७ आने ।

चोरी-छिपे व्यापार

*२४७५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान चोरी-छिपे चांदी लाने के कितने मामले पकड़े गये ; और

(ख) ऐसे मामलों में साधारणत: क्या कार्यवाही की जाती है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उचित समय पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) ऐसे मामलों में यदि चोरी-छिपे व्यापार का अपराध प्रमाणित हो जाता है तो समुद्र सीमा शुल्क के अधीन चांदी जब्त कर

ली जाती है और सम्बन्धित व्यक्तियों को अर्थ दण्ड भी दिया जाता है । जानबूझ कर चोरी-छिपे व्यापार करने के मामलों में विदेशी विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २३ के अधीन अभियोग चलाया जाता है ।

सेना के निवृत्ति-वेतन

*२४७६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायसराय के कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों से, जिन्हें पुनर्नियुक्त कर लिया गया है, भारतीय कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की तरह, आपातकालीन कमीशन दिये जाने पर नियमित भारतीय कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की तरह वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे और वे भी उन्हीं की तरह निवृत्ति वेतन तथा उपदान पाने के अधिकारी होंगे; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदाधिकारियों को नयी निवृत्ति वेतन संहिता का लाभ उठाने दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) निवृत्ति प्राप्त पुनर्नियुक्त हुए वायसराय के कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों (जिन्हें अब कनिष्ठ कमीशन प्राप्त पदाधिकारी कहते हैं) आपातकालीन कमीशन प्राप्त होने पर, आपातकालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की भांति ही अपने पद के वेतन तथा भत्ते पाते हैं, किन्तु वे नियमित भारतीय कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की तरह निवृत्ति वेतन तथा उपदान के हकदार नहीं होते ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

कनाडा में भारतीय

*२४८४. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन भारतीयों की पत्नियों तथा बच्चों को जिन्होंने कैनाडियन राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है, वहां जाने तथा बसने की अनुमति है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : जनवरी १९५१ में भारत तथा कैनाडा के बीच हस्ताक्षरित हुए प्रव्रजन करार की कंडिका (२) की शर्तों के अनुसार, भारतीय उद्भव कैनाडा के नागरिकों की पत्नियों तथा २१ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कैनाडा में स्थायी रूप से आने की अनुमति दी जाती है । इसमें निर्धारित संख्या का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । प्रतिबन्ध केवल बहुविवाह के मामलों में हैं जिसे कैनाडा की विधियों के अनुसार मान्यता नहीं मिली है ।

टेलिविज़न

*२४८५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में टेलिविज़न स्टेशन स्थापित करने से सम्बन्धित इंजीनियरिंग टेकनीक सीखने के लिये आकाशवाणी के एक पदाधिकारी को अमरीका भेजने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह पदाधिकारी कब तब भेजा जायेगा; तथा

(ग) भारत में टेलिविज़न स्टेशन कब तक स्थापित होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). चतुर्थ सूची कार्यक्रम के अधीन आकाशवाणी का एक ज्येष्ठ इंजीनियर, अमेरिका में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है । उसकी प्रशिक्षण-क्रम-सूची में अन्य मदों के अलावा उस देश की टेलिविज़न पद्धति के टेकनिकल पहलुओं का अध्ययन भी सम्मिलित है ।

(ग) भारत में एक प्रयोगिक टेलिविज़न की स्थापना का प्रश्न द्वितीय पंच वर्षीय योजना के एक भाग के रूप में लिया जायेगा ।

सामुदायिक परियोजना पदाधिकारी

*२४८९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक परियोजना प्रशासन के अधीन प्रशिक्षण पाने वाले पदाधिकारियों को सामुदायिक परियोजनाओं में ही सेवा करना अनिवार्य है;

(ख) बिहार राज्य के कितने पदाधिकारियों ने अब तक यह प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं; और

(ग) कितने प्रशिक्षित पदाधिकारी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के बाहर नियुक्त किये गये हैं तथा उनकी उक्त नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) अनुमान है कि यह प्रश्न खंड विकास पदाधिकारियों से संबंध रखता है । प्रशिक्षण के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा इन पदाधिकारियों की नियुक्ति सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में की जाती है ।

(ख) ५० ।

(ग) दो । उनमें से एक की पदोन्नति हुई और उसे सहायक विकास आयुक्त बनाया गया है तथा दूसरे पदाधिकारी को अपने पूर्व सहकारी विभाग में, जहां वह पहले नियुक्त हुआ था, वापिस भेजा गया है ।

खादी

*२४९२. **श्री बालकृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क दर्ष १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य को खादी विकास योजनाओं के लिये कितने रुपये का अनुदान दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : अनुदान ६,२४,२९४ रुपये ८ आने ९ पाई; ऋण २,१४,००० रुपये । अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उक्त राशिया प्रदान की गईं ।

विदेशों में प्रज्ञापन कक्ष

*२४९९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय प्रज्ञापन कक्षों में आने वाले दर्शकों के सम्बन्ध में सांख्यकी रखी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष १९५३, १९५४ में इन प्रज्ञापन कक्षों में कुल कितने दर्शक आये ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सीमा पर धावे

*२५००. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही पाकिस्तान राष्ट्रजनों द्वारा गज्जल गांव में भारतीय सीमा को उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधपत्र भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् । पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*२५०३. **डा० सत्यवादी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा परियोजना में उस भ्रष्टाचार को, जिस के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर अपने भाषण के दौरान में उन्होंने संकेत किया था, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या १० लाख रुपये की हानि के संबंध में, जिस की उन्होंने चर्चा की थी, अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५४]

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मामलों की तहकीकात हो रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला

*२५०७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह आशा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में कोयला की मांग बढ़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत; और

(ग) मांग की पूर्ति के लिए कोयला के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की गई है, या की जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) मांग में वृद्धि की गणना हो रही है। फिर भी यह अनुमान है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में मांग में एक-तिहाई से अधिक वृद्धि हो सकती है ।

(ग) वार्षिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ताकि बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके, योजना आयोग परामर्श सहित सरकार के विचारार्थ कोयला आयुक्त योजना बना रहे हैं ।

हथकरघा उत्पाद

*२५११. **श्री बालकृष्णन्:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के प्रदर्शन-कक्ष तथा विक्रय विभाग में हथकरघा उत्पाद बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है; और

(ख) क्या सरकार स्टाक समाप्त करने की दृष्टि से हुण्डी विक्रय आरम्भ करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्। परन्तु सरकार स्टाक को ही अधिक या गम्भीर स्थिति वाला नहीं मानती क्योंकि स्टाक में ऋतु संबंधी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होने की आशा होती है ।

(ख) यद्यपि भारत सरकार ने हुण्डी विक्रय आरम्भ करने का निश्चय नहीं किया है, तथापि परिस्थिति को संभालने के अन्य उपाय विचाराधीन हैं ।

पंजाब में सीमेंट का कारखाना

*२५१३. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के समीप एक सीमेंट कारखाना खोलने के लिए पंजाब सरकार ने भारत सरकार से सहायता की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). हाल में ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक लाईसेंस के लिए पंजाब सरकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है और वह आजकल विचाराधीन है।

इस्पात संयन्त्र

*२५१४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **उत्पादन मंत्री** एक इस्पात संयंत्र के स्थान के लिए रूसी विशेषज्ञों के दल द्वारा किये गये अनेकों स्थानों के तुलनात्मक परीक्षण के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्पात संयन्त्र स्थान प्रतिवेदन गोपनीय माना जा रहा है और इस प्रकार इसे सभा-पटल पर रखना संभव नहीं है।

सफाई के मज़दूरों के लिये मकान

*२५१५. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन सफाई आदि के कामों में लगे हुए श्रमिकों (मेहतरों और सफाई के मज़दूरों) की आवास समस्या को सुलझाने के लिये एक विशेष योजना स्वीकार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अभी यह फैसला नहीं किया गया है कि इस कार्य के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना में कितना या कोई उपबन्ध किया जाय।

वाणिज्य स्थान (एम्पोरिया)

*२५१ { **डा० राम सुभग सिंह** : **श्रीमती इला पालचौधरी** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न- लिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) विदेशों में उन स्थानों की संख्या जहां भारत सरकार ने अभी तक वाणिज्य स्थान या शो रूम खोले हैं;

(ख) उन पर होने वाला वार्षिक व्यय;

(ग) क्या १९५५-५६ में किसी विदेश में कोई नया वाणिज्य स्थान खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५५**]

प्रकाशन

*२५१९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में प्रकाशन विभाग ने कुल कितने मूल्य की पुस्तकें तथा पुस्तिकायें प्रकाशित कीं ; और

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों तथा सरकारी संस्थाओं को घटी दरों पर प्रकाशन विभाग के साहित्य का संभरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १२,४७,१६२ रुपये।

(ख) आजकल शैक्षिक संस्थाओं और पुस्तकालयों को १० प्रतिशत रियायती छूट दी जाती है। कुछ विशेष प्रकाशन भी संसद्

सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को घटी दरों पर दिये जाते हैं। छूट की गुंजाइश निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी फिल्मों के लिये भेजा गया धन

९४८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में विदेशी फिल्मों के लिये भारत से विदेशों को कितनी राशि भेजी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : माननीय सदस्य जो बातें जानना चाहते हैं वे इस प्रकार हैं :—

ब्रिटेन	१·०२ लाख रुपये
अमेरिका	४३·११ लाख रुपये
जोड़	४४·१३ लाख रुपये

राष्ट्रीय योजना ऋण

९४९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बिहार राज्य ने राष्ट्रीय योजना ऋण में कितना धन दिया है ; और

(ख) इस प्रकार एकत्रित राशि से बिहार को कितना धन दिया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) बिहार राज्य में राष्ट्रीय योजना ऋण में लगभग १·१३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ख) व्यवस्था यह थी कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय योजना ऋण से उतना धन प्राप्त होगा जितना वे स्वतंत्र रूप से खुले बाजार में जाकर साधारणतया प्राप्त करते। १९५४–५५ में बिहार में खुले आम ऋण की कोई योजना नहीं थी, अतः राष्ट्रीय योजना ऋण से उस राज्य को कुछ नहीं दिया गया।

गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये वित्त

९५०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री निम्न बातों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये वित्त की समस्या की जांच के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नियुक्त की गई समिति की कौनसी सिफारिशें स्वीकार हो गई हैं ;

(ख) अस्वीकृत सिफारिशें कौन सी हैं; और

(ग) वे सिफारिशें जो अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : विवरण तैयार हो रहा है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा।

पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता

९५१. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि १९५४–५५ में (३१ जनवरी, १९५५ तक) प्रत्येक राज्य के पुस्तकालयों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५६]**

खनिज संचय

९५२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में भूतत्ववेत्ताओं ने होशियारपुर, कांगड़ा और गुरुदासपुर जिलों के किन-किन स्थानों का भ्रमण किया ; और

(ख) वहां खनिज संचय के सम्बन्ध में उन्होंने किस प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) एक विवरण, जिसमें जानकारी दी गई है, संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५७]**

बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय को अनुदान

९५३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत सात वर्षों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : विगत सात वर्षों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को निम्न धन राशियां अनुदान के रूप में दी गईं ;

	धन राशि रुपये में
१९४८–४९	२१,६५,०७६
१९४९–५०	२४,२२,७९८
१९५०–५१	२३,०१,५०६
१९५१–५२	३७,९०,०००
१९५२–५३	४३,२४,८३५
१९५३–५४	४०,०८,५१२
१९५४–५५	३०,२५,३४०

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

९५४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सरकार को केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले ऋण के लिये पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों से कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये ;

(ख) अब तक कितने मामलों में केन्द्रीय ऋण दिये गये हैं ;

(ग) कितने मामलों में केन्द्रीय ऋण अस्वीकृत हुये हैं और क्यों ; और

(घ) कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं और उनका अन्तिम निर्णय होने में कितना समय लगेगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (घ). ३० सितम्बर, १९५१ के उपरान्त पुनर्वास वित्त प्रशासन को ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुये। फिर भी यह समझा जाता है कि १९५४ में राज्य सरकार ने पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों के पांच ऋण प्रार्थनापत्र प्रशासन को भेजे थे जो उन्हें भी ३० सितम्बर, १९५१ से पहले ही प्राप्त हो गये थे, और उन्होंने उन्हें आवश्यक जांच पड़ताल, आदि के लिये पीछे रख लिया था। इन पांच प्रार्थनापत्रों में से तीन अस्वीकृत हो गये हैं और दो पर विचार किया जायेगा। ज्ञात हुआ है कि इस मास के अन्त तक इन दोनों प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में निश्चय हो जायेगा। ऐसे प्रार्थनापत्रों के बारे में निश्चय करना पुनर्वास वित्त प्रशासन का, जो संविहित नियोजित प्राधिकार है, कार्य है और भिन्न भिन्न प्रार्थना पत्रों के बारे में बताना सरकार के लिये असंभव है।

अपहरण की घटनायें :

९५५. **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के विभिन्न राज्यों में अपहरण की घटनाओं में हुई वृद्धि या कमी की कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४ में किस राज्य में सबसे अधिक अपहरण की घटनायें हुईं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५८]**

(ख) १९५४ में अपहरण की सब से अधिक घटनायें उत्तर प्रदेश में हुईं ।

चोरी छिपे व्यापार

९५६. { **श्री डी० सी० शर्मा :**
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में चोरी छिपे लाये गये माल के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) ज़ब्त की गई वस्तुयें किस प्रकार की और कितने मूल्य की थीं; और

(ग) तस्कर व्यापार करने वालों से अर्थ दण्ड के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४ में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में होने वाले इस तस्कर व्यापार के ५२३३ मामले पकड़े गये ।

(ख) उस काल में ज़ब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य ७,५१,१४० रुपये था और इन में मुख्यतः सोना, चांदी, सुपारी, बीज (धनिया, चांदनी तथा जीरा) और कड़ियां सम्मिलित हैं ।

(ग) उस काल में दण्ड सहित अर्थ दण्ड के रूप में कुल १६,८७३ रुपये प्राप्त किये गये ।

चोरी-छिपे व्यापार

९५७. { **श्री डी० सी० शर्मा :**
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में चोरी छिपे लाये गये माल के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) ज़ब्त की गई वस्तुयें किस प्रकार की तथा कितने मूल्य की थीं; तथा

(ग) तस्कर व्यापार करने वालों से अर्थ दण्ड के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४ में पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में होने वाले इस तस्कर व्यापार के कुल ६४१ मामले पकड़े गये ।

(ख) उस काल में ज़ब्त की गई वस्तुओ का कुल मूल्य २,८३,४८८ रुपय था और उसमें मुख्यतः सोना, चांदी, रूपा, चलार्थ, वस्त्र, पशु, चरस और अफीम सम्मिलित थे ।

(ग) उस काल में दंड सहित अर्थ दंड के रूप में कुल १९,५५४ रुपये प्राप्त किये गये ।

विश्व बैंक से ऋण

९५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में भारत ने ऋण के लिये कितने प्रार्थना पत्र विश्व बैंक को भेजे; और

(ख) उन में से कितने स्वीकृत हुए ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). १९५४ में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम, लिमिटेड के लिये एक करोड़ डालर के ऋण का केवल एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था । इस ऋण की स्वीकृति के लिये बैंक के साथ औपचारिक करार १४ मार्च, १९५५ को हुआ था ।

टाटा हाइड्रो, आंध्र तथा टाटा पावर कम्पनियों के लिये १६२ लाख डालर के ऋण के लिये बैंक के साथ एक करार १९ नवम्बर, १९५४ को हुआ था । इस ऋण के लिये प्रार्थना पत्र १९५३ में बैंक को भेजा गया था ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

९५९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय सेना छात्र दल राइफल क्लबों का उद्घाटन हुआ ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में इन क्लबों की आर्थिक सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय आगे बढ़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने धन की सहायता दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पश्चिमी बंगाल में ६ और उड़ीसा में ५ ।

(ख) जी हां, पश्चिमी बंगाल में ।

(ग) ८०० रुपये ।

भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोग चलाया जाना

९६०. **श्री इब्राहीम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में (वर्ष-वार) केन्द्रीय सरकार द्वारा घूस, खयानत आदि के अपराध में अपने अधिकारियों पर कितने अभियोग चलाये गये;

(ख) उन में से कितनों में दण्ड दिये गये ;

(ग) जिन्हें संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया उन अफसरों की संख्या कितनी है ; और

(घ) कितने मामलों में अभी जांच की जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५९**]

भुतपूर्व सैनिक (निवृत्ति वेतन और भत्ते)

९६१. **चौधरी मुहम्मद शफी** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों और अन्य भत्तों में वृद्धि करने के लिये कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) निवृत्ति वेतनों तथा भत्तों में दी जाने वाली प्रस्थापित वृद्धि की ठीक-ठीक रकम कितनी है और इसमें कुल कितनी रकम लगेगी ;

(ग) उन भूतपूर्व सैनिकों को ये बढ़े हुये निवृत्ति वेतन और भत्ते कब से मिलने लगेंगे ; और

(घ) क्या अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को भी इसी प्रकार के लाभ दिये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह बातें दी हुई हैं । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६०**]

(१) विभिन्न स्तरों पर दिये जाने वाले प्रस्थापित सेवा निवृत्ति वेतनों का क्षेत्र, और

(२) अफसरों की श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में असमर्थता तथा विशेष परिवार निवृत्ति वेतन और बच्चों के भत्तों की वृद्धि को बताने वाले उदाहरण दिये गये हैं ।

नियमों की क्लिष्टता के कारण, प्रत्येक पृथक् श्रेणी में की गई वृद्धि की वास्तविक रकम को बताना संभव नहीं है ।

१ सितम्बर, १९४९ से ३१ दिसम्बर, १९५४ के बीच की अवधि में सेवा निवृत्तियों, असमर्थताओं अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में इस प्रस्थापित वृद्धि के कारण १,१०,००० रुपये का व्यय होगा।

(ग) निवृत्ति वेतनों की बढ़ी हुई दरें १ जून, १९५३ से अथवा जिस तिथि से निवृत्ति वेतन दिया जाना चाहिय, इन में से भी तिथि बाद की हो, उस से लागू होंगी और केवल इन्हीं मामलों तक सीमित रहेंगी जिन में इस निश्चय के बताने वाले सरकारी आदेश के जारी किये जाने की तिथि को निवृत्ति वेतन पाने वाला जीवित हो।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

बम्बई और कलकत्ते में सीमा-शुल्क चौकियां

९६२. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ते की सीमा-शुल्क चौकियों में काम करने वाले चारों श्रेणी के समस्त कर्मचारियों की पृथक् पृथक् संख्या ३१ दिसम्बर, १९५४ को कितनी थी ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी क्रमशः स्थायी, अर्द्ध स्थायी और अस्थायी हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६१)**

पूंच नरेश

९६३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंच के राजा को कोई निजी थैली दी जाती है।

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी रकम है।

(ग) क्या हाल ही में उन्हें कोई भत्ता स्वीकृत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वह कितना है, कितनी अवधि के लिए है, और किस उद्देश्य के लिये है ; और

(ङ) क्या ऐसे और भी कोई मामले हैं जिन में ऐसे भत्ते की स्वीकृति दी गई हो ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पंत) : (क) नहीं, क्योंकि वह शासक नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हां

(घ) १ जनवरी, १९५४ से तीन वर्ष के लिए १२०० रुपये प्रति मास की स्वीकृति दी गई है। यदि स्थिति का पुनरीक्षण करने के बाद भारत सरकार उचित समझे तो इस भत्ते को और भी जल्दी बन्द किया जा सकता है। जम्मू और काश्मीर में आक्रमणकारियों के घुस आने के परिणामस्वरुप उनकी आर्थिक कठिनाइयों का विचार करते हुए यह भत्ता एक विशेष मामले की भांति दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

एक मूर्ति का प्राप्त होना

९६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद ज़िले की ठाकुरद्वारा तहसील में सुलतानपुर-दोस्त गांव के निकट एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी

की जा रही है और बाद में सदन के सामन रख दी जायेगी।

दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी

९६५. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के चलते विभागों द्वारा १९५४ में दिल्ली नगर के किन-किन भागों में पुस्तकें वितरित की गईं ;

(ख) क्या १९५४ में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की चलती फिरती मोटर गाड़ी द्वारा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में किताबें दी गईं थीं ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) इसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६२)**

(ख) हां।

(ग) १२,४४४।

अभ्रक की खानें

९६६. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभ्रक की खानों की संख्या कितनी है तथा जिन राज्यों में वे स्थित हैं उन के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या द्वितीय विश्व-युद्ध के समाप्त होने के पश्चात् भारत में अभ्रक का उत्पादन बढ़ गया है या कम हो गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है। **(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६३)**

अफसरों का विदेश भ्रमण

९६७. सरदार इकबाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सरकारी अफसरों ने १९५४-५५ में संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप की यात्रा की उनकी संख्या और पदनाम क्या हैं ;

(ख) ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उन में से प्रत्येक पर कुल कितना व्यय हुआ ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री ए० सी० शाह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है अर उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छावनी बोर्ड

९६८. डा० सत्यवादी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला, जालन्धर, कसौली, और फिरोज़पुर छावनी बोर्डों में पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या उन के लिये रक्षित स्थानों की संख्या से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम

जातियों के लिये रक्षित स्थानों के बारे में जो नियम हैं वह यद्यपि छावनी बोर्डों पर लागू नहीं होते, फिर भी उन में से अधिकतर ने उन आदेशों को कार्यान्वित करना और १६-२।३ प्रति शत स्थान अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित रखना स्वीकार कर लिया है । अम्बाला, जालन्धर, कसौली और फिरोज़पुर में स्थिति इस प्रकार है :

छावनी का नाम	चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत अनुसूचित जाति कर्मचारी
अम्बाला	२०७	९	४ प्रतिशत
जालन्धर	१२६	८	५ ,,
कसौली	१७	२	१२ ,,
फिरोज़पुर	८२	१	१ ,,

(ख) और (ग). कमी का कारण मुख्यतया अनुसूचित जातियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों का न मिलना है । भविष्य में भर्ती करते हुये इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का बसाया जाना

९६९. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन १९५४–५५ अंक १ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रतिवेदन के पष्ठ २३ की पंक्ति ११ में उल्लिखित "कुछ व्यक्ति" उसी पृष्ठ की पंक्तियों ५ से ९ में उल्लिखित श्रेणी (१) और (२) में वर्णित व्यक्तियों में सम्मिलित हैं तथा तदात्मक हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को १९५३ से भारत में स्थायी रूप से बस जाने की ऐसी उदार सुविधायें दी गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) नहीं ।

(ख) ३०२ ।

विस्थापित व्यक्ति

९७०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) मीरपुर, पूंच और मुजफ्फराबाद (जम्मू और काश्मीर) के नगरीय विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन में से अब तक कितने व्यक्तियों को जम्मू और काश्मीर सहित भारत के विभिन्न राज्यों में बसाया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). पृथक पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

चिन्ह तथा नाम अधिनियम

९७१. **श्री एन० बो० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन में चिन्ह तथा नाम (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत, जब से वह लागू हुआ है, दण्ड दिये गये हैं ; और

(ख) ये अपराध किस प्रकार के थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शहतूत के बाग

९७२. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** सभा पटल पर इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने एकड़ भूमि में शहतूत के बाग़ लगे हुये हैं ; और

(ख) देश की कुल कृषि योग्य भूमि की तुलना में इस क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६४**]

(ख) लगभग .०४

दृष्टांक

९७३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पकालीन दृष्टांक पर १९५४ में जो भारतीय पाकिस्तान गये उनकी संख्या कितनी थी ; और

(ख) इस अवधि में जो पाकिस्तानी अल्पकालीन दृष्टांक पर भारत आये उन की संख्या कितनी थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) ६,७,२३४२ ।

(ख) ११,४१,५०८ ।

अवरुद्ध आस्तियां

९७४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २७ फरवरी, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अवरुद्ध जापानी आस्तियों का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : लगभग दो करोड़ रुपये ।

काली मिर्च

९७५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में भारत में काली मिर्च का कितना उत्पादन और खपत हुई ; और

(ख) उसी अवधि में किये गये काली मिर्च के निर्यात का परिमाण तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५३–५४ में उत्पादन का अनुमान २२,००० टन लगाया गया था । १९५४–५५ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । खपत सम्बन्धी ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है । देश में काली मिर्च की खपत का अनुमान मसाला जांच समिति द्वारा ५८०० टन प्रति वर्ष लगाया गया था ।

(ख) १९५३–५४ में १२ करोड़ ८७ लाख रुपये के मूल्य की १२,७५० टन काली मिर्च निर्यात की गई और १९५४–५५ (अप्रैल–फरवरी) में ६ करोड़

४३ लाख रुपये के मूल्य की १२,३९० टन काली मिर्च निर्यात की गई ।

यूरेनियम के निक्षेप

९७६. **श्री डी० सी० शर्मा :**
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक यूरेनियम के नये निक्षेपों का पता लगाने के लिये कितने पुरस्कार दिये गये हैं ; और

(ख) सब से बड़े पुरस्कार की धन राशि कितनी थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) । (क) और (ख). कोई नहीं ।

पंजाब को अनुदान

९७७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के लिये पंजाब को सामुदायिक परियोजना विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार खंडों के लिये कितनी धन राशि का नियतन किया गया है;

(ख) आज तक विभिन्न परियोजनाओं में कितनी धन राशि व्यय हुई है ; और

(ग) वस्तु के रूप में अथवा धन के रूप में ऐच्छिक अंशदान से प्राप्त हुई धन राशि कितनी है

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) १.८६ करोड़ रुपये ।

(ख) २.०० करोड़ रुपये । ३१ मार्च
(ग) १.८५ करोड़ रुपये । १९५५ तक

रूरकेला इस्पात संयंत्र

९७८. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री निरंजन जेना :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रगति अनुसूची से बहुत पिछड़ी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अग्रेतर देरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने की प्रस्थापना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६५**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टाइपराइटर

९७९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में कितने टाइपराइटरों का आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अप्रैल १९५४ से फरवरी, १९५५ तक लगभग ७,४०० पूर्ण टाइपराइटर आयात किये गये थे ।

कनाडा में भारतीय

९८०. श्री इब्राहीम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा में स्थायी रूप से रहने वाले भारतीयों को अपनी

पुत्रियों के वर ढूंढने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि कनाडा सरकार ने भारतीयों के उस देश में जाने पर नियंत्रण लगाने की नीति को अपनाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई प्रतिनिधान किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सरकार को इतना ज्ञात है कि पिछले सितम्बर में वहां रहने वाले भारतीयों की ओर से कनाडा के प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था कि कनाडा में वैध रूप से रहने वाले भारतीयों की पुत्रियो के विवाह हेतु युवक भारतीयो को वार्षिक निर्धारित कोटे के अतिरिक्त कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये ;

(ख) और (ग). भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रतिनिधान नहीं किया है ।

बच्चों को दोपहर का भोजन

९८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने में कितना धन व्यय होगा ?

योजन उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की किसी योजना का सुझाव राज्यों को नहीं दिया है । परन्तु कुछ दिन पूर्व बम्बई सरकार ने थाना कोलाबा सामुदायिक परियोजना के करंजात खालपुर क्षेत्र में प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ने वाले कतकारी ठाकुर तथा पर्वतीय आदिम जातियों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना स्वीकार की है । ३० सितम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाले १ १/२ वर्ष के लिये योजना की प्राक्कलित लागत ३०,००० रुपये है ।

सेंधा नमक

९८२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या उत्पादन मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५४ के अन्त तक नैपाल से भारत में कुल कितना सेंधा नमक आयात किया गया ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी): इस उल्लिखित अवधि में नैपाल से भारत में सेंधे नमक का कोई आयात नहीं कियागया है ।

"दि मार्च आफ इंडिया"

९८३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी अफ्रीका संघ ने "दि मार्च आफ इंडिया" पत्रिका पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख) इसकी कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

बन्दरों का निर्यात

९८५ **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन तथा अमरीका से, बन्दरों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध के हटाए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिबन्ध के हटाये जाने के लिये प्रतिनिधान में क्या कारण दिए गए हैं ; और

(ग) इस प्रतिबन्ध के लगाए जाने के पश्चात भारत से कितने बन्दरों के निर्यात की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी हां ।

इस सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुये हैं कि चिकित्सा विषयक गवेषणा कार्य के लिय तथा विशेषतया बाल पक्षाघात के कारणों की जांच करने के लिये बन्दरों की आवश्यकता है ।

(ग) २२ अप्रैल, १९५५ तक ८,१०० बन्दरों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

हाथ करघा

९८६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ करघा उद्योग के विकास के लिये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में उनकी संख्या क्या है ;

(ग) १९५३–५४ की तुलना में १९५४-५५ में हाथकरघा कपड़े के उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) इसकी गणना करने के लिये सरकार ने किस पद्धति को अपनाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६६**]

(ग) १९५४–५५ के हाथकरघा के कपड़े के उत्पादन के आंकड़े अभी ज्ञात नहीं हैं । १९५३ की अपेक्षा १९५४ में हाथकरघा कपड़े का उत्पादन ११८२.१० लाख गज़ अधिक हुआ है ।

(घ) हाथकरघा कपड़े के उत्पादन का प्राक्कलन इस आधार पर किया जाता है कि मिलों द्वारा दिये गये कुल सूत का ७६ प्रतिशत भाग हाथकरघा कपड़े के उत्पादन में लगता है। एक निश्चित सूत्र के अनुसार एक पौंड सूत स ४ १/२ गज़ हाथकरघा कपड़ा बनता है ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

९८७. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९५४–५५ में इन ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कोई योजनायें भेजी हैं :

(१) खादी का विकास
(२) ग्राम्य तेल उद्योग
(३) चावल की हाथ से कुटाई
(४) ताड़गुड़ उद्योग
(५) गुड़ तथा खांडसारी
(६) मौन (मधुमक्षिका) पालन
(७) हाथ का बना कागज़
(८) ग्राम्य चमड़ा उद्योग
(९) कुटीर दियासलाई उद्योग
(१०) अभक्षणीय तेलों से साबुन बनाना
(११) हाथ करघा उद्योग, और
(१२) दस्तकारी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना को ऋण रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) १९५४–५५ में उड़ीसा राज्य सरकार को यह निधियां स्वीकृत की गई थीं :

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग

	अनुदान (रुपये)	ऋण (रुपये)
(१) चावल की हाथ से कुटाई	५०,०००	५०,०००
(२) ताड़ गुड़	२२,१००	———

खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये निर्धारित निधियां अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को समस्त देश की सहकारी समितियों तथा समस्त अन्य संस्थाओं में वितरण के लिये सौंप दी गई हैं और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से १९५४–५५ में उड़ीसा राज्य की इन संस्थाओं को इन निधियों का वितरण कर दिया है :—

	अनुदान	ऋण
	रुपये	रुपये
(१) खादी.	१,१५,०१३	१९,६००
(२) ग्राम्य तेल उद्योग .	६,५००	२,०००
(३) मौन (मधु मक्षिका) का पालन	५,०९०	—
(४) चमड़ा	२,०००	२,७२०
(५) साबुन बनाना . .	१७,७५०	३७,७५०
(२) दस्तकारी		
(१) संगठित केन्द्रों के प्रमाणीकृत उत्पादन के द्वारा ग्राम्य दस्तकारियों का विकास .	१४,१६२	६०,०००
(२) पीतल तथा कांसा उद्योग का विकास .	३९,५७०	—
(३) कच्चे माल पर प्रयोग करने के लिये . .	७,०००	—
(३) हाथकरघा उद्योग		
(१) बुनकरों के हिस्से की पूंजी की व्यवस्था करना	—	९०,०००
(२) बुनकरों की सहकारी समितियों की कार्यवहन पूंजी	—	६,००,०००
(३) १२ बिक्री डिपो खोलना . . .	२८,२७२	—
(४) हाथ से शटल फैंके जाने वाले २००० करघों को यंत्र द्वारा शटल फैंकने वाले रूप में परिवर्तन .	५०,०००	—
(५) १००० करघों में स्वयं प्रारम्भ उपयंत्र की व्यवस्था . .	५०,०००	—
(६) नमूना बनाने वाले कारखानों की स्थापना	१३,८५२	—
(७) प्रदर्शन तथा प्रचार .	५,०००	—
(८) संगठन सम्बन्धी व्यय .	१३,४८०	—

	अनुदान	ऋण
	रुपये	
(९) हाथ करघा कपड़े का प्रमाणीकरण	४०,११२	—
(१०) नमूना बनाने वाले चार कारखानों की स्थापना .	२७,७०४	—
(११) २कुटीर रंग एककों की स्थापना . .	१३,६९६	—
(१२) नमूना बनाने का अतिरिक्त कारखाना .	१३,७७६	—
(१३) ४० व्हार्पिंग ड्रम का संभरण . .	९,०००	—
(१४) वार्निश हील्ड के ५००० सैटों का संभरण .	१,००,०००	—
(१५) ५००० प्रमाणित रीडों का संभरण . .	५०,०००	—
(१६) स्लेज का संभरण . . .	२५,०००	—
(१७) ४० जैक्वार्डस का भरण . . .	६,०००	—
(१८) स्वयंचालित १५ वर्टिकल व्हार्पिंग मशीनों का संभरण . .	७,५००	—
(१९) ४० क्रास बार्डर डौबीज का संभरण .	२,०००	—
(२०) २ चलती फिरती गाड़ियों द्वारा बिक्री के लिये कपड़ा खरीदने के लिये कार्यापन्न पूंजी . .	—	४०,०००
(२१) ४० जैक्वार्डस् का संभरण . . .	—	६,०००
(२२) बुनने तथा रंगने के ६ प्रदर्शन दलों पर व्यय .	३६,८६४	—

मच कुण्ड परियोजना

९८८. श्री संगण्णा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १६ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मचकुंड परियोजना की लागत के पुनरीक्षण से सम्बन्धित कोई वाद विषय भारत सरकार को न्याय निर्णयन के लिये भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुये ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली

९८९. श्री भक्त दर्शन: क्या **सिंचाई और बिद्युत** मंत्री ४ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस योजना के सम्बन्ध में जो कि छोटे विद्युत संयंत्रों के लगाने और छोटे कस्बों को बिजली देने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजी थी, कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ? और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) व्यवसाय प्राप्ति के अवसरों की वृद्धि के निमित्त , विद्युत शक्ति की सुविधाओं की विस्तार की योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रान्त में छोटे कस्बों तथा गांवों के विद्युतीकरण की निम्नलिखित योजनाओं को वर्तमान योजना

की अवधि में कार्यान्वित करने के लिये २३५ लाख रु० का ऋण देने का प्रस्ताव किया था:

योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
१. काल्पी-जालौन, ओरई फतेहपुर, और बिन्दकी का विद्युतीकरण	६०.००
२. रायबरेली, महाराजगंज इत्यादि का विद्युतीकरण	७०.००
३. ननपेरा, कैसरगंज, नवाबगंज का विद्युतीकरण	५५.००
४. भदोई के आस पास एक दर्जन कस्बों का विद्युतीकरण	५०.००
कुल जोड़	२३५.००

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित ऋण स्वीकार कर लिया है ।

२. ऋण स्वीकृत होने के समय व्याज की जो दर प्रचलित होगी उस दर के अनुसार व्याज लगेगा, पहले पांच वर्षों में केवल व्याज देना होगा, तदनन्तर मूल तथा व्याज २५ समान प्रभागों में देना होगा । इन योजनाओं पर जो खर्चा वर्तमान योजना की अवधि में नहीं हो सकेगा, उस पर योजना आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित खर्चे के साथ साथ विचार करेगा ।

३. राज्य सरकार द्वारा भेजे गये १९५४–५५ के व्यय के आगणन के आधार पर केन्द्रीय सरकार अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को प्रागुलिखित योजनाओं को कार्यावित्त करने के लिये साढ़े चार प्रति शत व्याज की दर पर १० लाख रुपया ऋण दे चुकी है ।

जल का संभरण

९९०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न निर्माणाधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं से प्रति एक हजार एकड़ भूमि को कितने क्युसैक्स जल दिया जायेगा ;

(ख) इन परियोजनाओं से जिस भूमि की सिंचाई की जायेगी उस पर प्रति एकड़ कितना सुधार शुल्क वसूल किया जायेगा ; तथा

(ग) शुल्क इत्यादि में विभिन्नता होने के, यदि कोई हों तो, क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हीराकुड बांध परियोजना : प्रति एक हजार एकड़ के लिये औसत से ८ ३।४ क्युसैक्स ।

(ख) ७५ रुपये प्रति एकड़, यदि एक बार में ही दिया जाये ।

१०० रुपये प्रति एकड़, यदि ग्यारह किस्तों में दिया जाये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हीराकुड बांध परियोजना ही केन्द्रीय सरकार के निर्माणाधीन एक मात्र परियोजना है ।

यात्री फ्लैटों का संभरण

९९१. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री फ्लेटों के संभरण के लिये मैसर्स पीपुल्स इंजीनियरिंग एण्ड मोटर वर्क्स लिमिटेड का स्वीकृत मूल्य कथनपत्र (टेंडर) सब से न्यूनतम था ; और

(ख) वह अन्य मूल्य कथनपत्रों की तुलना में कैसा था ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) ठेका मैसर्स पीपुल्स इंजीनियरिंग एण्ड मोटर वर्क्स लिमिटेड को, जो कि दूसरा न्यूनतम मूल्यकथन था, ६,८३,००० प्रति फ्लैट की दर पर दिया गया था । मैसर्स कलकत्ता (ई० एण्ड एम०) इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता ने प्रति फ्लैट ६,७५,००० रुपये की दर उद्धरित की थी । पहले सार्थ को ठेका पिछले अवसरों पर इस प्रकार के कार्य के कार्य-करण के सम्बन्ध में प्रविधिक अफसरों के प्रतिवेदनों के आधार पर दिया गया था और यह कारण भी था कि दूसरा सार्थ महानिदेशक, संभरण तथा उत्सर्जन के यहां पंजीबद्ध नहीं था ।

नमक

९९३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार का विशेष रूप से निर्देश करते हुये, १९५४ में नमक की क्षेत्रीय योजना किस रूप में चलाई गई थी ; और

(ख) १९५५ में इसके किस रूप में चालू रहने की संभावना थी ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६७**]

GIPD—HNS—90—L.S.D.—9-3-56—240

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर से अतिरिक्त कार्यवाही)

अंक ४, १९५५

(२२ अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

नंवा सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली ।

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक सभा

शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-७ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम

गृह-कार्यमंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : आंध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५४ की धारा ३, उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) मद्रास मनोरंजन कर (आंध्र-संशोधन) अधिनियम, १९५५ (राष्ट्रपति का अधिनियम १९५५ का संख्या २) **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४०/५५]**

(२) आंध्र-भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम,१९५५ (राष्ट्रपति का अधिनियम १९५५ का संख्या ३) **[पुस्तकालय में रखा देखिये संख्या एस—१४१/५५]**

(३) आंध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५५ का संख्या ४) **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४२/५५]**

भारतीय विमान नियमों में संशोधन

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५, उप-धारा (३) के अधीन संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १०—क/७४—५३ दिनांक १२ अक्तूबर, १९५४ की एक प्रति भारतीय विमान नियम, १९३७ में और आगे संशोधन करने वाले एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस—१४३/५५]**

चाय नियमों में संशोधन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९, उपधारा (३) के अधीन चाय नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६५६ दिनांक १९ मार्च, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिय संख्या एस—१४४/५५]**

सम्पदा शुल्क नियमों में संशोधन

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ८५, उपधारा (३)

[श्री एम० सी० शाह]

अधीन सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५ दिनांक ६ अप्रैल १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—१४५/५५]**

विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम के अधीन विमुक्ति की घोषणाएं

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) गृह-कार्य उपमंत्री की ओर से मैं, विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अधीन निम्नलिखित विमुक्ति की घोषणाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं अर्थात्:—

१. १/६३/५४ एफ० आई०, दिनांक १५ दिसम्बर, १९५४ (२ घोषणा)
२. १/६६/५४ एफ० आई०, दिनांक ६ जनवरी, १९५५ (१ घोषणा)
३. १/६७/५४ एफ० आई०, दिनांक २९ दिसम्बर, १९५४ (३ घोषणा)
४. १/१/५५ एफ० आई०, दिनांक ३१ जनवरी, १९५५ (१ घोषणा)
५. १/४/५५ एफ० आई०, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ (२ घोषणा)
६. १/५/५५ एफ० आई०, दिनांक २२ जनवरी, १९५५ (३ घोषणा)
७. १/७/५५ एफ० आई०, दिनांक २७ जनवरी, १९५५ (२ घोषणा)
८. १/९/५५ एफ० आई०, दिनांक फरवरी, १९५५ (१० घोषणा)
९. १/१०/५५ एफ०, आई०, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ (३ घोषणा)
१०. १/११/५५ एफ० आई०, दिनांक ५ फरवरी, १९५५ (१ घोषणा)
११. १/१३/५५ एफ० आई०, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ (२ घोषणा)
१२. १/१८/५५ एफ० आई०, दिनांक १ मार्च, १९५५ (१ घोषणा)
१३. १/२१/५५ एफ० आई०, दिनांक १ मार्च, १९५५ (१ घोषणा)

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–१४६/५५]

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं कुछ विवरणों की एक-एक प्रति जिनमें उन ज्ञापनों के उत्तर दिये गये हैं जो १९५५–५६ के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६८]**

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १२ अप्रैल, १९५५ को पारित संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक १९५५ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेद

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : श्रीमान् नियम २१६ के अन्तर्गत, मैं माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :

१२ अप्रैल, १९५५ को ५१२ कमांड वर्कशाप, किरकी में काम करने वाले १३०० से अधिक व्यक्तियों द्वारा "औज़ार डाल दो" हड़ताल से उत्पन्न स्थिति।

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : ५१२ कमांड वर्कशाप, किरकी की हड़ताल के सम्बन्ध में तथ्य जिसकी ओर सर्वश्री ए० के० गोपालन, के० आनन्द नम्बियार और टी० बी० विट्ठल राव ने ध्यान दिलाया, निम्नलिखित हैं :

इस वर्कशाप के कर्मचारियों का मार्च, १९५५ का वेतन ७ अप्रैल को दिया गया था। कुछ कारणों से १८४३ में से १४० व्यक्तियों को वेतन काम के घंटों में न दिया जा सका था। भुगतान करने वाले अधिकारी ने इन कर्मचारियों से कहा कि जो काम के घंटों के पश्चात् वेतन लेने के लिये न ठहरना चाहें उन्हें अगले कार्य दिवस अर्थात् ९ अप्रैल को वेतन दिया जायेगा (८ अप्रैल को छुट्टी थी)। वेतन भुगतान अधिनियम की धारा ५(१) के अधीन उस अधिकारी की यह प्रार्थना बिल्कुल उचित थी परन्तु इस प्रार्थना के किये जाने पर एक असैनिक कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों को भड़काने लगा कि कोई भी अपना वेतन न ले और यह कि वह देखेगा कि वेतन पहले कैसे नहीं दिया जाता। वह कर्मचारी उन कर्मचारियों को लेकर उस टेबल के पास आया जिस पर २५००० रुपये भुगतान के लिये रखे थे। इस समय एक सैनिक पदाधिकारी से कहा गया है कि बीच-बचाव करे ताकि वे रुपये सुरक्षित रहें। सैनिक अधिकारी ने उस असैनिक कर्मचारी को टेबल तक जाने से रोक दिया तथा कहा कि वे चाहें तो अपना वेतन ले लें और यदि वे वेतन न लेना चाहें तो चले जायें। इस पर लगभग ११७ कर्मचारियों ने अपना वेतन ले लिया और २३ को ९ अप्रैल, १९५५ को वेतन दिया गया। ९ अप्रैल को उस असैनिक कर्मचारी को जिसने औरों को भड़काया था, कमानडेंट ने अभियोग सूची (चार्जशीट) दे दी।

इस विषय में ५१२ कमांड वर्कशाप के असैनिक कर्मचारियों के संघ के पास से कोई अभ्यावेदन अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई परन्तु १२ तारीख को प्रातः ८ बजे ११२८ औद्योगिक और ३०९ अन्य कर्मचारियों में से क्रमशः ८९४ और ३९ कर्मचारी वर्कशाप के अन्दर आये। वे अपने काम पर नहीं गये अपितु उन्होंने कमानडेंट के कार्यालय के सामने जाकर "बैठ जाओ" हड़ताल आरंभ कर दी। उनकी मांग थी कि उस असैनिक कर्मचारी को दी गई अभियोग सूची वापस ली जाये। प्रतिनियुक्त कमांनडेंट ने उन्हें समझाया कि अभियोग सूची किस कारण दी गई थी और आश्वासन दिया कि उस मामले में पूरा-पूरा न्याय किया जायेगा। इस पर भी कर्मचारी काम पर नहीं गये और उन्होंने हड़ताल जारी रखी।

१३ अप्रैल, १९५५ को समझौते की कार्यवाही आरंभ हुई। इसमें समझौता अधिकारी वर्कशाप के प्रशासनिक अधिकारी और ५१२ कमांड वर्कशाप असैनिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समझौता अधिकारी ने सुझाव दिया कि असैनिक कर्मचारी को अभियोग सूची (चार्जशीट) देने का प्रश्न यूनिट स्तर की विवादों को तय करने के लिये समझौता करने वाली व्यवस्था को

[डा० काटजू]

सौंप देना चाहिये और इस आरोप की जांच करने के लिये कि एक असैनिक कर्मचारी को धक्के दिये गये, एक जांच न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिये। प्रशासनिक प्राधिकारियों ने ये सुझाव मान लिये परन्तु संघ के पदाधिकारियों ने नहीं माने। १४ अप्रैल को संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे उन सुझावों को मानने के लिये तैयार हैं परन्तु कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। १५ अप्रैल को संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी अपनी हड़ताल १६ अप्रैल से समाप्त कर देगें। सूचना मिली है कि हड़ताल १६ तारीख को प्रातः समाप्त कर दी गई है।

समझौते के लिये बैठक जो १९ अप्रैल, १९५५ के लिये निश्चित की गई थी उस दिन न हो सकी क्योंकि कमानडेंट बीमार था। वह बैठक आज हो रही है। असैनिक कर्मचारी को धक्का देने सम्बन्धी आरोप की जांच करने के लिये जांच न्यायालय की बैठक १६ अप्रैल को हुई थी और अभी उसकी बैठकें जारी हैं।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : परसों मैंने घोषणा की थी कि सभा की बैठक ६ मई, १९५५ को होगी। मैं समझता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा के कारण, ५ मई के स्थान पर ६ मई, १९५५ को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, अतः सभा की बैठक ५ मई को होगी।

वित्त विधेयक——समाप्त

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के खंड २ से ३० स्वीकृत हो चुके हैं। अब मैं अनुसूचियां १ से ४, खंड १, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम मतदान के लिये रखूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : प्रथम अनसूची के लिये कुछ संशोधन हैं। उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: क्या सुझाव यह है कि अनुसूचियां अलग से ली जायें तथा खंड १ बाद में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रथम अनुसूची अलग से ली जानी चाहिये।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : द्वितीय अनुसूची पर भी कुछ सरकारी संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन पर अलग अलग मतदान लिया जाये। क्या मैं अनुसूचियां भी अलग से लूं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पहले संशोधनों पर मतदान लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : खंडवार विचार के लिये नियत किये गये समय में से अब केवल ३० मिनट बचे हैं।

इसके पश्चात् पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रथम अनुसूची पर ७ संशोधन प्रस्तुत किये गय तथा वे अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के समक्ष रखे गये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अंतिम दो संशोधन प्रथम अनुसूची के भाग २ के संबंध में हैं; बाकी संशोधन भाग १ के विषय में हैं। प्रथम अनुसूची का संबंध हिन्दू संयुक्त परिवार और व्यक्तियों से है। हिन्दू संयुक्त परिवार के संबंध में विद्यमान स्थिति यह है कि एक नया संशोधन किया गया जो पहले के वित्त विधेयकों में ही था। यह नया संशोधन प्रथम अनुसूची के भाग १ (ख) के संबंध में हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अंतर केवल इतना ही हुआ कि यदि किसी हिन्दू संयुक्त परिवार में चार से अधिक सदस्य विभाजन के अधिकारी हों, तो विमुक्ति

की सीमा १२,६०० रुपये तक होगी। जिन परिवारों की आय १२,६०० रुपये से कम है, उन पर कर नहीं लगाया जायेगा। इसी प्रकार बीमा विषयक सीमा के संबंध में कुछ रियायत दी गई है।

हम लोगों का अनुमान था कि करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन में इस प्रश्न के विषय में विस्तृत चर्चा होगी और उसके संबंध में अंतिम रूप से निर्णय होगा। हिन्दू संयुक्त परिवार पर कर लगाने के संबंध में इस सिद्धान्त की अवहेलना की गई है कि परिवार निश्चय ही व्यक्ति से बड़ा होता है। सन् १८८६ से अभी तक हिन्दू संयुक्त परिवार को एक साधारण व्यक्ति के समान ही माना गया है। यह बहुत अनुचित है और हम लोग १९२८ से इसका विरोध करते आ रहे हैं। १९२८ में स्थिति यह थी कि ७५,००० रुपये से अधिक आय होने पर हिन्दू संयुक्त परिवार पर और ५०,००० रुपये से अधिक आय होने पर व्यक्तियों पर अधिक-कर (सुपर टैक्स) लगाया जाता था। बाद में व्यापार लाभ कर तथा अन्य करों में भी यह अन्तर रखा गया था।

पहले हिन्दू संयुक्त परिवार और व्यक्ति के लिये विमुक्ति की सीमा एक ही थी। १९४९ में तत्कालीन वित्त मंत्री डा० जॉन मथाई ने इसमें परिवर्तन किया। हिन्दू संयुक्त परिवार के लिये यह सीमा थोड़ी बढ़ा दी गई। अगले वर्ष उस सीमा को और बढ़ा दिया गया। आज-कल यह सीमा संयुक्त हिन्दू परिवार के लिये ८४०० रुपये और व्यक्ति के लिये ४,२०० रुपये है। हिन्दू संयुक्त परिवार में विभाजन के अधिकारी सदस्यों की संख्या के अनुसार यह सीमा ८,४०० रुपये या १२ ६०० रुपये होगी।

इस संबंध में करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन से हमें काफी निराशा हुई क्योंकि उसने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया। उसका विचार है कि इस संबंध में कोई परिवर्तन करना एक अन्तरिम उपाय मात्र होगा क्योंकि संसद के विचाराधीन हिन्दू कोड विधेयक के पारित होने पर उसके फलस्वरूप हिन्दू संयुक्त परिवार व्यवस्था के वैधानिक एवं सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन होने की संभावना है।

सम्पदा शुल्क अधिनियम को भी इसी आधार पर बहुत समय तक पारित नहीं किया गया था। परन्तु बाद में वह अधिनियम पारित हुआ और यह कहा गया कि इस प्रयोजन के लिये एक वैध परिकल्पना को स्वीकार करना उचित है। वही वैध परिकल्पना आयकर अधिनियम के संबंध में भी स्वीकार की जा सकती है। सम्पदा-शुल्क अधिनियम में यह निर्णय हुआ था कि मृत्यु के समय सम्पदा को ऐसा माना जायेगा मानों उसका विभाजन हुआ था और उस परिकल्पना के आधार पर, जितनी भी सम्पत्ति का वह अधिकारी है उसके अनुसार उस पर कर लगाया जायेगा। परन्तु करारोपण जांच आयोग ने इस पहलू पर विचार ही नहीं किया। मेरे विचार से आयोग जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, वह उचित नहीं है। इस संबंध में उसने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। मैं पहले भी इस प्रश्न को कई बार उठा चुका हूं और कई बार वित्त मंत्री यह स्वीकार कर चुके हैं कि इसके फलस्वरूप हिन्दू संयुक्त परिवार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परन्तु खेद है कि अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। पता नहीं हिन्दू कोड विधेयक का प्रश्न कब तक तय हो। मेरे विचार से तो उक्त वैध परिकल्पना को इस मामले में भी लागू किया जा सकता है। मैं तो चाहूंगा कि वित्त मंत्री और उनका मंत्रालय अभी ही इस प्रश्न पर विचार करके उसे अंतिम रूप से तय कर दें। यदि वे समझते हैं कि अभी ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उन्हें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिये कि कुछ समय के बाद वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

हिन्दू संयुक्त परिवार को आयकर के करदाताओं की श्रेणी से निकालने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की मैंने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी । परन्तु मेरी वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। इसका अर्थ है कि मंत्रालय निरंकुशता पूर्वक कार्य कर रहा है। वे न तो इस संबंध में कोई विधेयक पुरःस्थापित करने देना चाहते हैं और न ही उस पर स्वयं विचार करते हैं। यह तरीका सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि सभा इस प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार करे और बैठक के समाप्त होने से पूर्व इसको तय कर दे।

आज मैंने यह प्रस्ताव किया है कि प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में "हिन्दू अविभक्त परिवार" शब्द निकाल दिये जायें। यह मेरा पहला संशोधन है। मैं समझता हूं कि वे इसके लिये तैयार नहीं होंगे । बिना हिन्दू संयुक्त परिवार के प्रति निर्देश किये हुए व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है उसकी आय का हिसाब लगाना कोई कठिन काम नहीं है। मिताक्षर प्रणाली के अनुसार हिन्दू संयुक्त परिवार में इसके सभी सदस्यों का हिस्सा होता है चाहे किसी सदस्य ने उसमें कुछ भी अंश-दान न दिया हो। दायभाग परिवार में समांशियों तक के हिस्से निश्चित होते हैं। ऐसी दशा में इस प्रश्न को इस प्रकार टाल देना कहां तक उचित है?

हिन्दू संयुक्त परिवार के साथ कई प्रकार से न्याय किया जा सकता है । आय की राशि को कुल समांशियों में बांटा जा सकता है और इस प्रकार उनमें से प्रत्येक का हिस्सा निश्चित किया जा सकता है। सम्पदा शुल्क के संबंध में ऐसा ही किया जाता है आयकर के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। इसमें कोई कठनाई नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि प्रत्येक समांशी के लिये दो हजार की विमुक्ति दी जा सकती है और समांशियों की संख्या को दो हज़ार रुपये से गुणित करके उस राशि को विमुक्त किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति में असमानता है। सरकार को सब अविभक्त परिवारों को एक समान नहीं समझना चाहिये। मद्रास, बंगाल, आसाम और अन्य स्थानों के हिन्दू अविभक्त परिवार विभिन्न प्रकार के हैं । यदि बंगाल अथवा मद्रास में हिन्दू अविभक्त परिवार को ८,४०० रुपये की विमुक्ति दी जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इससे अन्य स्थानों के परिवारों को भी लाभ होगा।

पहली बात तो यह है कि हिन्दू अविभक्त परिवार के साथ कोई रियायत नहीं की गई। यदि मुसलमान, ईसाई, अथवा बौद्ध परिवारों के दो सदस्यों में भागिता होगी और उनकी आय संयुक्त होगी तो उस पर कर नहीं लगाया जायेगा यदि वह ८,४०० रुपये से अधिक न हो। उन धर्मों के परिवारों के तीन सदस्यों की भागिता आय पर भी कर नहीं लगाया जायेगा, यदि वह १२,६०० से अधिक नहीं है। इस दशा में संयुक्त हिंदू परिवार की आय पर कर लगाया जायेगा यदि वह वयस्कता आदि की शर्तें पूरी नहीं करता। यह रियायत नहीं है—कठिनाई है।

यदि पांच सदस्यों के संयुक्त हिन्दू परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपया हो तो प्रत्येक सदस्य की मासिक आय ७६० रुपये होगी। अहिन्दू परिवार के सदस्य की इसी दशा में आय १४८६ रुपये होगी। २ लाख वार्षिक आय होने पर प्रत्येक सदस्य की मासिक आय कर देने के बाद हिन्दू और अहिन्दू परिवारों में क्रमशः ६७८ और २३७६ रुपये होगी।

तीन लाख की आय होने पर ये आंकड़े क्रमशः ११६८ और २९८५ होंगे। पांच लाख होने पर यह आय क्रमशः १५४८ रुपये और ३,८०३ रुपये होगी। दस लाख की आय होने पर पांच सदस्यों वाले संयुक्त हिन्दू परिवार के एक सदस्य की मासिक आय १५४८ रुपये और अहिन्दू परिवार के एक सदस्य की आय ३८०३ होगी। दस लाख के संबंध में ये आंकड़े क्रमशः २४९८ और ४८८९ होंगे। इस तरह और भी आंकड़े दिये जा सकते हैं।

वास्तव में उनके साथ कोई रियायत नहीं की गई। संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उनके साथ उतना ही अन्याय होगा। बाईस सदस्य होने पर केवल ५० रुपये मास पाने वाले सदस्य पर भी कर लगाया जायेगा।

मैं इसके बारे में कई बार कह चुका हूं परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इस बारे में निराश हो गया हूं क्योंकि सरकार कुछ नहीं सुनना चाहती। करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन तक तो इसके लिये कुछ बहाना था। अब कोई बहाना नहीं है। उस आयोग ने इस प्रश्न की बारीकी से जांच करना अस्वीकार कर दिया है। उसने इस पर उतना विचार भी नहीं किया जितना १९४६ में आयकर जांच आयोग ने किया था। उस आयोग से निम्नलिखित तीन प्रश्न किये गये थे:—

"आय कर के लिये अविभक्त हिन्दू परिवार की आय निर्धारित करने संबंधी नियम में आप किन परिवर्तनों का सुझाव देंगे"?

क्या आप दाय-भाग और मिताक्षर परिवारों में कोई भेद करेंगे?

हिन्दू अविभक्त परिवार के निवास स्थान निर्धारित करने के लिये अधिनियम में दिये गये परीक्षणों में परिवर्तन करने के लिये क्या आप कोई सुझाव देंगे, आदि?"

अपने प्रतिवेदन में आयोग इस विषय की गहराई में नहीं गया परन्तु उसने कहा कि हिन्दू संयुक्त परिवार को आयकर तथा अधिक कर की अकरादेय राशि की अधिकतम सीमा बढ़ा कर राहत दी जा सकती है। हिन्दू संयुक्त परिवार के ऊपर असमता का व्यवहार पैसे के लिये किया जा रहा है। पर पैसा तो अन्य तरह से भी इकट्ठा किया जा सकता है—यह असम व्यवहार क्यों? अधिक कर के विषय में हिन्दू संयुक्त परिवार के लिये वे ही उपबन्ध होने चाहियें जो किसी भी व्यक्ति के लिये होते हैं। यदि पैसे के लिये सरकार न्याय-अन्याय नहीं देखेगी तो किसी के साथ भी सरकार न्याय नहीं कर सकेगी।

मेरे पांच-छः संशोधनों में से मैं अब समयाभाव के कारण केवल एक पर बोलूंगा। १०,००० रुपये से १५,००० रुपये की आय वालों पर कर दो आने तीन पाई से बढ़ा कर तीन आने तीन पाई कर दिया गया है। एकदम १ आना बढ़ा दिया गया है। यह कहना कि इससे अन्य वर्ग की आय वालों को लाभ पहुंचेगा कोई तर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): पंडित ठाकुर दास भार्गव की अन्तिम बात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक आना नहीं वरन् तीन पाई है। हमने कर में केवल तीन पाई की वृद्धि की है। हमने जब ७,५०० रुपये और १०,००० रुपये के बीच की दरों को बढ़ा दिया है तो १०,००० और १५,००० रुपये के बीच की दर को क्यों न बढ़ाया जाता। यह अन्तर केवल ८० रुपये प्रतिवर्ष है। यदि हम उसके सुझाव को स्वीकार कर लें तो हमें १,७५,००,००० रुपये की हानि होगी। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष असमानता को दूर करने का आदर्श है। हमारे सामने यही

[श्री एम० सी० शाह]

रास्ता रह गया है और यह रास्ता कराधान प्रस्थापनाओं और आर्थिक नीतियों का है। यदि हम समाज की समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं और यदि हम निम्नवर्ग की आय को बढ़ाना चाहते हैं और उच्च वर्ग की आय को घटाना चाहते है तो यही एक रास्ता है। हमने जिस आदर्श का विचार किया था यह उसके अनुकूल है। हिन्दू संयुक्त परिवार के संबंध में हमने कराधान जांच समिति की सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब यदि परिवार में दो या दो से अधिक व्यक्ति हों तो उन्हें ८४०० रुपये की विमुक्ति मिल जाती है। कराधान जांच समिति ने सारे प्रश्न पर विचार किया था और यह सिफारिश की थी। जहां परिवार में चार या चार से अधिक व्यक्ति हों तो हमें इस राशि को तिगुना कर देना चाहिये। हमने वैसा कर दिया था और विमुक्त की सीमा १२,६०० रुपये होगी। इसके साथ ही हमने इस तथ्य पर विचार किया था कि इन अविभाजित हिन्दू परिवारों की आय में हमें निजी आयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। वस्तुतः हम आजकल यह देखते हैं कि जहां तक आय-कर की वसूली का संबंध है व्यक्तियों की निजी आय अविभाजित संयुक्त परिवार की आय से अधिक होती है। अतः सरकार के लिए पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को स्वीकार करना संभव नहीं है। अधिकर के संबंध में भी वे ४०,००० रुपये और ६०,००० रुपये की सीमा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कि अधिकर की दो प्रकार की दरें रखना सरकार के लिए उचित नहीं होगा, अतएव यदि हम उनकी सिफारिशों को स्वीकार न करें तो वे हमें क्षमा कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या १०२ से १०९ तक मतदान के लिए रखे गये जो अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधयक में जोड़ दी गई।

द्वितीय अनुसूची

श्री ए० सी० गुह : इस अनुसूची के लिए मेरे संशोधन ७४ से ८० हैं। ये परिवर्तन कतिपय वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में किये गये परिवर्तनों के कारण किये गये हैं। उद्देश्य यह है कि विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी उत्पादों को हानि न हो। इन परिवर्तनों द्वारा हम आयात शुल्क को उत्पादन शुल्क की समान राशि से समायोजित करना चाहते हैं ताकि भारतीय उत्पादों को विदेशी उत्पादों की प्रतियोगिता में हानि न पहुंचे। मुझे आशा है कि सभा मेरे संशोधनों को स्वीकार करेगी।

संशोधन किये गये :—

(१) पृष्ठ २८, पंक्ति ९ और १० में

"plus the excise duty for the time being leviable on such articles if produced or manufactured in India."

["यदि ऐसी वस्तुएं भारत में उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क सहित"] शब्दों के स्थान पर :

"plus the excise duty for the time being leviable on like articles if produced or manufactured in India, and where such duty in leviable at different rates, the highest duty."

["यदि इसी प्रकार की वस्तुएं भारत में उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क और जहां लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क की दरें भिन्न हों तो उनमें से उच्चतम शुल्क सहित ।"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ २८, पंक्ति ११ में,--

"30 (4)" ["३० (४)"] के बाद "30 (14)" ["३० (१४)"] रखा जाय।

(३) पृष्ठ २८, पंक्ति १२ में—

49 "(a)" ["४९ (क)"] का लोप किया जाये।

(४) पृष्ठ २८, पंक्ति १२ में,—

"72 (11)" ["७२ (११)"] को निकाल दिया जाये ।

(५) पृष्ठ २८, पंक्ति १३ से १५ में--

"plus the excise duty for the time being leviable on such articles if produced or manufactured in India."

["यदि ऐसी वस्तुएं भारत में उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क सहित"] शब्दों के स्थान पर :

"plus the excise duty for the time being leviable on like articles if produced or manufactured in India, and where such duty is leviable at different rates, the highest duty."

["यदि इसी प्रकार की वस्तुएं भारत मे उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क और जहां ऐसे उत्पादन शुल्क की दरें भिन्न हों, उनमें से उच्चतम शुल्क सहित"] शब्द रखे जायें ।

(६) पृष्ठ २८ में,--

पंक्ति ३३ के पश्चात् निम्नलिखित अंश रखा जाए :

"(j) In Item No. 73 (18), in the entry in the second column, after the words "air circulators" the words "and parts of electric fans" shall be inserted."

["(ज) द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि में मद संख्या ७३ (१८) में "वायु परिचालक" शब्दों के पश्चात् "बिजली के पंखों के पुर्जे" शब्द रखे जायेंगे।"]

(७) पृष्ठ २९ में,—

पंक्ति २७ से ३३ तक के स्थान पर निम्नलिखित निविष्ट किया जाये:

"73 (7) Batteries not other-wise specified, all kinds--

(a) Accumulators for train lighting and parts thereof.	Revenue	10 per cent. *ad valorem* plus the excise duty for the time being leviable on like articles if produced or manufactured in India, and where such duty is leviable at different rates, the highest duty.
(b) Batteries, including accumulators not	Revenue	31½ per cent. *ad valorem* plus the excise duty for the time

[श्री ए० सी० गुह]

falling within Sub-item (a) and parts of batteries.	being leviable on like articles if produced and manufactured in India, and where such duty is leviable at different rates, the highest duty."

["७३ (७) सभी प्रकार की बैटरियां, जो अन्यथा अनिर्दिष्ट न हों :—

(क) गाड़ी विद्युत संग्रह यंत्र (एक्यू-म्युलेटर्स) और उनके पुर्जे	राजस्व यदि इसी प्रकार की वस्तुएं भारत में उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क और जहां ऐसे उत्पादन शुल्क की दरें भिन्न हों, उनमें से उच्चतम शुल्क सहित मूल्यानुसार १० प्रतिशत ।
(ख) उन विद्युत संग्रह यंत्रों (एक्यू-म्युलेटर्स, सहित बैटरियां जो उपमद (क) के अन्तर्गत नहीं आतीं और बैटरियों के पुर्जे	राजस्व यदि इसी प्रकार की वस्तुएं भारत में उत्पादित या निर्मित होती हों तो उन पर इस समय लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क और जहाँ ऐसे उत्पादन शुल्क की दरें भिन्न हों उच्चतम शुल्क सहित तथा मूल्यानुसार ३१$^{1}/_{2}$ प्रतिशत।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

श्री गाडगील (पूना—मध्य) : मैं लगभग २५ वर्षों से केन्द्रीय विधान मंडल में हूं किन्तु जिन परिस्थितियों में इस वर्ष का आय-व्ययक तथा वित्त विधेयक पारित किया जा रहा है उन परिस्थितियों में आय-व्ययक पारित होते मैंने कभी नहीं देखा । इसकी रचना इसकी आर्थिक व्यवस्था एवं इसके उद्देश्य सभी में परिवर्तन हो गया है । वित्त विधेयक तथा आय-व्ययक की योजना एवं इसके उद्देश्य के बारे में हम में से कुछ व्यक्तियों की निश्चित धारणायें हैं । वर्तमान आदर्श की दृष्टि से वह योजना तथा उद्देश्य ऐसे समाज के उद्घाटन करने के साधन हैं जिसे हमने समाजवादी समाज कहने का निश्चय किया है । किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में न तो करारोपण की नीति में और न व्यय की नीति में छोटी से छोटी बात भी तो ऐसी दिखाई नहीं पड़ती जिसके आधार पर हम कह सकें कि उस परिणाम की पूर्ति होगी ।

आय-व्ययक के प्रस्तुत करने और तुरंत ही उसके बाद दिये गये वित्त मंत्री के भाषण

के पश्चात् एक उथल पुथल मची कि भारतीय करारोपण के मामले में और विशेषतः आयकर के मामले में एक बहुत बड़ी कार्यवाही की गई है और मुझे बताया गया था कि एक रुपये में से १४ $^{1}/_{2}$ आने पर कर लगेगा किन्तु जब मैंने उन्हें यह बताया कि १९४७–१९४८ के आय-व्ययक में तो यह १५ $^{1}/_{2}$ आने था तो उनका उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया ।

यदि हम समाज और अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो करारोपण को केवल वित्तीय उपाय नहीं मान सकते । इसके सामाजिक पहलू और परिणामों पर भी विचार करना होगा । वैयक्तिक आय की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिये मैं कई वर्षों से कह रहा हूं । करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों में से भी एक सिफारिश ऐसी है । योजना आयोग द्वारा नियुक्त अर्थ-शास्त्रियों के मंडल ने भी अपनी सिफारिशों मे ऐसी ही एक सिफारिश की है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मेरा विचार था कि विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो सिफारिश तथा प्रस्ताव किये गये थे सरकार उनको पूरा करेगी किन्तु मैं देखता हूं कि वित्त मंत्री ने अपने भाषणमें बहुत सी रियायतों की घोषणा की है । जहां तक छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों एवं मध्यम श्रेणी के कपड़े तथा मोटे कपड़े पर शुल्क की कमी का सम्बन्ध है ये रियायतें निस्संदेह अच्छी हैं । किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि बहुत बारीक (सुपर फाइन) कपड़े पर उत्पादन शुल्क क्यों कम किया गया । इसका उत्पादन तो कुल कपड़े के उत्पादन का केवल ९ प्रतिशत है । इस पर उत्पादन शुल्क घटाना न्यायोचित नहीं है ।

जहां तक प्रत्यक्ष करारोपण घटाने की बात है १९२२ के अधिनियम ११ की धारा २३ क द्वारा शासित समवायों की नई परिभाषा दी हुई है और करारोपण ५० से घट कर ४० कर दिया गया है । हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता थी कि परिलब्धियां भी आय का अंग मानी जायेंगी किन्तु मैं देखता हूं कि वेतन का २० प्रतिशत यदि परिलब्धि के रूप में दिया जाता है तो इस पर आय कर नहीं लगेगा । इसकी अधिकतम सीमा ७५०० निश्चित की गई जो आय कर से विमुक्त रहेगी । इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी मालिक अपने कर्मचारी को भत्ते के रूप में ७५०० रुपये तक दे सकता है और उस पर आय कर नहीं लगेगा । मेरे विचार से यह अनुपयुक्त छूट है और यह छूट देने में सरकार ने बुद्धिमानी नहीं की । मेरे विचार से ऋण तथा परिलब्धि के मामले में छूट देना इस बात का द्योतक नहीं है कि समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना करना सरकार का दृढ़ निश्चिय है ।

बेकारी की समस्या को ही लीजिये । सभी ओर बेकारी है । मैं तो यह कहूंगा कि आप देश में जितनी योजनायें बनाते हैं उतनी ही बेकारी बढ़ती है । अगर आप उचित समय में इसका पुनरीक्षण नहीं कर सके तो आपके अस्तित्व को क्षति पहुंच सकती है । मैं चाहता हूं कि इस समस्या को निबटाने के लिये वास्तविक कार्य किया जाय । काम दिलाऊ दफ्तरों में जाने वाले व्यक्तियों को बड़ा कटु अनुभव है । अपने नाम का पुनर्नवीकरण कराने के समय उन्हें फुसलाया जाता है कि वे अपने नाम का पुनर्नवीकरण न करायें और अगर फुसलाने से काम नहीं चलता तो उन्हें गालियां दी जाती हैं । मेरे पास इसके उदाहरण हैं ।

एक दूसरी बात आयु की है । आयु-अवधि निश्चित कर दी गई है कि सरकारी नौकरियों में २५ वर्ष से अधिक का व्यक्ति नहीं लिया जायगा । आयु-अवधि के कारण योग्य व्यक्तियों को जगह नहीं मिल पाती । अगर इसमें थोड़ी

[श्री गाडगील]

सी भी रियायत कर दी जाय तो काम चल सकता है। तीसरी बात और भी है। मुझे यह बताने में खेद है कि काम दिलाऊ दफ्तरों में काफी भाई-भतीजावाद चल रहा है। हीराकुड परियोजना का उदाहरण हमारे सामने है। वहां हम देखते हैं कि केवल इंजीनियर, क्लर्क पदाधिकारी आदि ही नहीं अन्य चीजें भी पंजाब से मंगाई गई थीं। क्या बेकारी दूर करने का यही ढंग है। मेरा सुझाव तो यह है कि यदि आप उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तो कम से कम नौकरियों का तो राष्ट्रीयकरण करें। नौकरियों के मामले में अधिक नहीं तो कम से कम प्रादेशिक एकता तथा प्रादेशिक समानता का तो ध्यान रखना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि काम करने योग्य प्रत्येक व्यक्ति को काम देना सरकार का नैतिक कर्तव्य ही नहीं वैध कर्तव्य भी होना चाहिये। बेकारी की समस्या को यदि आपने इसी अवस्था में छोड़ दिया तो इसका अभिप्राय यह है कि कठिनाइयों और आपत्तियों को आप न्योता दे रहे हैं।

कुछ और अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब आगामी आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाय तो आय-व्ययक के मामलों में कुछ अधिक स्थिरता और अनुशासन से काम लिया जाये। तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में निर्धनों का हित है उनको छोड़कर अन्य मामलों में सरकार को दूसरों के दबाव में नहीं आना चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि गरीबों को बहुत कम रियायत दी गई है और जिन्हें रियायत की बहुत कम आवश्यकता थी उन्हें अधिक रियायत दी गई है। आशा है कि आगामी वर्ष में ऐसा नहीं होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : श्री के० सी० शर्मा ने अपने भाषण के दौरान में बताया था कि हमारी सरकार की प्रगति प्रायः बड़ी सुस्त होती है और इसकी पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा निधि के प्रतिवेदन के पृष्ठ २ में की गई है। मेरे विचार में तो आवड़ी कांग्रेस में पारित समाजवादी ढांचे का समाज सम्बन्धी संकल्प एक कोरी प्रवंचना है।

हमने एक सुझाव में बताया था कि सम्पत्ति की, विशेषतः विदेशी सम्पत्ति की, कुछ श्रेणियां हो सकती हैं जिन्हें हम क्षतिपूर्ति का भुगतान किये बिना भी ले सकते हैं। जिस पर हमें कहा गया था कि हम तो 'प्रतीपमति' हैं। हमने एक सुझाव यह दिया था कि सविधान में एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिए कि जब कभी असाधारण आवश्यकता पड़े तो असाधारण कार्यवाही की जा सके। अगर आप समाजवादी ढांचे का समाज चाहते हैं तो आपको असाधारण कार्य करने होंगे। किन्तु हम देखते हैं कि प्रचार के लिए तो सरकार एक बात कहती है किन्तु प्रशासन के मामले में कार्यवाही ठीक इसके विपरीत करती है।

राज्य सभा में दिये गये आंकड़ों में बताया गया है कि १९५४ के अंत तक काम दिलाऊ दफ्तरों से ८५७ इंजीनियरिंग स्नातकों तथा ३६३ डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों ने नाम लिखाये हैं। मेरा विचार है कि इनकी संख्या अधिक ही होगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग अधिक भावुक और शर्मीले होते हैं इसलिए बहुत से व्यक्तियों ने तो नाम भी नहीं लिखाये होंगे।

विदेशी विशेषज्ञों को भारतवर्ष में आने की आज्ञा देना, तीन तेल समवायों से करार करना, आदि ऐसी बातें हैं जो भारत के हित में नहीं हैं।

अभी उस दिन श्री तुलसीदास ने बताया कि कृषिजन्य वस्तुओं का मूल्य गिर गया है और संतुलन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योग जन्य वस्तुओं का मल्य भी गिरना चाहिए। परन्तु उन्होंने इसका उपाय यह बताया कि श्रम लागत कम हो। क्या यह चाहा जा रहा है कि श्रमिकों की स्थिति खराब हो

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आप करते तो हैं समाजवादी ढांचे के समाज की बात परन्तु आप एक व्यक्ति को निर्वाह व्यय योग्य वेतन भी नहीं दे सकते। आपको मूल बातों के बारे में सोचना चाहिए किन्तु उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता।

अपनी अर्थ व्यवस्था को नये ढांचे में ढालने के लिए मूल प्रयत्नों के अतिरिक्त साधारण सी बातों को पूरा करने में भी सरकार असफल रही है यहां तक कि सम्पत्ति के मामले में समानता लाने का उद्देश्य भी विफल रहा। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि १५ अगस्त १९४७ के बाद से २० भारतीय बड़े उद्योगों की आस्तियां तथा सम्पत्ति बढ़ी है अथवा घटी है? मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि हमारे आयात और निर्यात व्यापार पर विदेशी जहाजी कम्पनियां भाड़े के रूप में जो ७० करोड़ रुपया ले लेती हैं उसको या उसके कुछ भाग को हम कब बंद करेंगे? मैं यह चाहता हूं कि सरकार हमें यह बताये कि जिन व्यक्तियों को आय कर जांच आयोग ने अपराधी पाया है उन्हें सरकार ने राज्यीय व्यापार निगमों का संचालक नियुक्त नहीं किया है अथवा नियुक्त नहीं करेगी। हमें बताया गया है कि आय-कर बचाने वाले ये चोर हमारे देश के बैंकों तथा सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। सरकार पर मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार कर बचाने वाले चोरों अथवा चालाक व्यापारियों को हमारे निगमों में नियुक्त कर रही है उससे प्रकट है कि राष्ट्रीयकरण के मामले में सरकार वास्तव में कोई गम्भीर विचार नहीं रखती। एक बात मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि सरकार लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में और वृद्धि करेगी किन्तु हमने सुना है कि टाटा को ५ लाख टन का उत्पादन बढ़ाने की आज्ञा दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह एक नया संयत्र है तो फिर सरकार की ओर से क्यों नहीं लगाया गया? यह भी सुनने में आया है कि सरकार का विचार इस्पात का मूल्य बढ़ाने का है ताकि टाटा को अधिक लाभ हो सके और उस लाभ के आधार पर उत्पादन की वृद्धि कर सके। हो सकता है कि यह समाचार गलत हो। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कुछ कहे।

गंगा बांध योजना के बारे में जिसे पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने उस प्रांत के जन्म और मृत्यु तथा भारत की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का मामला बताया है, निश्चय करने में देरी का क्या कारण है?

सम्पूर्ण संसार आज शांति और स्वतंत्रता की चाह कर रहा है। शत्रु की कटोक्तियों तथा सरकार की कार्यवाही में दोषों के रहते हुए भी, जैसे कि हमारी सरकार में हैं, जनता की इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता, वे अवश्य ही पूरी होंगी।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सभा में ऐसी शिकायतें की जा रही ह कि सदस्यों की बातों पर सरकार ध्यान नहीं देती। इसका उत्तर देने के लिये ही मैं बीच में बोल रहा हूं।

श्री गाडगील ने हताश होकर अर्थहीन बातें कही हैं। श्री मुकर्जी ने भी अपनी पुरानी कड़वी, अर्थहीन बातें दुहराई। उन्होंने कहा कि यह आयव्ययक प्रवंचनामात्र है। कभी कभी यह होता है जिनसे हम घृणा करते हैं उनमें हम अपनी प्रतिमूर्ति देखते हैं। देश में साम्यवादी दल केवल प्रवंचना पर ही जीवित है और इसलिये उस दल के लोग समझते हैं कि सभी प्रवंचना पर जीवित हैं। वास्तव में हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रत्येक कदम प्रगति की ओर ही उठता है। हो सकता है हम शीघ्रता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

से न बढ़ रहे हों परन्तु हम उस दिशा में धीरे धीरे और लगातार अवश्य बढ़ रहे हैं ।

श्री गाडगील ने कहा कि आय-व्ययक कमजोर था संभवतः इसलिये कि हमने मूल विधेयक में संशोधन स्वीकार कर लिये । यदि हम संशोधन स्वीकार न करते तो संभवतः हम उन उद्योगों को हानि पहुंचाते जिनसे कर की प्राप्ति होती है ।

किसी ने भी वैयक्तिक आय के बारे में नहीं कहा । उस पर कर १४ से १२ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । २५,००० और ७०,००० के बीच वाली आय पर अब १४ प्रतिशत अधिक कर लगता है । इसके कारण उन लोगों के जीवन स्तर पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा । उन्हें कम करने के लिये कुछ नहीं किया गया । परिलब्धियों सम्बन्धी दुरुपयोगों को रोकने का प्रयत्न किया गया है । सद्भाव से उद्योग के कार्य को बढ़ाने के लिये व्यय की गई निश्चित राशि का लेखा दिया जा सकता है तथा वह राशि मिल सकती है परन्तु यदि वह वैयक्तिक आय के रूप में खर्च की गई हो तो नहीं मिल सकती । परिलब्धियों की राशि की ऊपरी सीमा हमने निश्चित करने का प्रयत्न किया है ।

विपक्ष के सदस्य इसे धोखा देना कहते हैं । बात यह है कि वे हमारी आलोचना करने के लिये कुछ न कुछ चाहते हैं । प्रत्येक बार वे विदेशी हितों की बात छेड़ देते हैं । मैं नहीं मानता कि हमारे अधीन काम करने के लिये जो विदेशी आते हैं वे हमारे ऊपर प्रभुता स्थापित कर लेते हैं । मेरे मित्र ने किसी खास सार्थ के बारे में कहा । मेरी समझ में वह मामूली सा सार्थ है और उस पर विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

हम विदेशी हितों का स्थान जानते हैं । उनके साथ उचित व्यवहार किया जायेगा । परन्तु यदि वे उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो राष्ट्रीय सार्थों को करने पड़ते हैं तो उनके सम्बन्ध में अपनी इच्छा पूरी करने के लिये हमारे पास शक्ति और साहस भी है ।

उस दिन प्रधान मंत्री ने संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पर बोलते समय कहा था कि हम सम्पत्ति जब्त नहीं करना चाहते । यदि हम देश के लोगों की सम्पत्ति जब्त भी कर लें तो भी हम विदेशियों की सम्पत्ति जब्त नहीं करेंगे क्योंकि विदेशों से हमें अपने सम्बन्ध बनाये रखना है । जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अथवा अफ्रिका एशिया सम्मेलन के अथवा अन्य ऐसी संस्था के सदस्य हैं, हम वैसा नहीं कर सकते । इसे ही विपक्ष के हमारे मित्र 'प्रवंचना' कहते हैं ।

हमने वित्त विधेयक की चर्चा को बड़े ध्यान से सुना । उसमें सरकार की स्थिति ठीक रही है । ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके लिये सरकार को शर्मिन्दा होना पड़े । हमें विश्वास है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वे उस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जिसकी रूप रेखा हमारे दल ने, जो देश का शासन का नियंत्रण करता है, बनाई है ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : मैं भी देश की प्रगति चाहता हूं परन्तु जब कोई अवाड़ी संकल्प की चर्चा हीन शब्दों में करता है तो समाजवादी कहलाने वाले देशों की बात कहनी पड़ती है । हाल ही में चीन के प्रधान मंत्री ने चीन सरकार के कार्य का जो प्रतिवेदन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कई पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात ही वे चीन को सुदृढ़, आधुनिक, औद्योगिक और समाजवादी राष्ट्र बना पायेंगे । उन्होंने अपनी योजनाओं की त्रुटियों का भी वर्णन किया है ।

वित्त विधेयक में वित्त मंत्री ने पर्याप्त उचित परिवर्तन कर दिये हैं । मेरी शिकायत यह है कि आयकर विधि में उन्होंने आवश्यकता

से अधिक रियायतें दे दी हैं। उन्होंने कर जांच आयोग की इस सिफ़ारिश का कि वैयक्तिक आयकर की दर बढ़ाने के साथ ही साथ बचाई गई या विनियोजित आय के लिये छूट देनी चाहिये, इतना अधिक पालन किया है कि वह दोष बन गया है।

विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों में जो विभेद किया गया है वह अच्छी बात है। मुझे आशा है कि परिवार भत्ता की पद्धति आरंभ करने की दिशा में यह पहला कदम सिद्ध होगा। इंगलैंड में ऐसा ही किया गया और वहां परिवार के प्रत्येक बच्चे के लिये आयकर में छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अगले वित्त विधेयक में हमें भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री गाडगील ने कहा कि केन्द्रीय सरकार की नियुक्तियों के विषय में सब क्षेत्रों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर की सिफारिशों को महत्व दिया जाता है तथा केवल उन पर विचार किया जाता है। यह बुरी बात है।

श्री गाडगील ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों की भर्ती में कुछ क्षेत्रों के साथ अत्यधिक पक्षपात किया जाता है। जो व्यक्ति किसी विभाग का प्रधान होता है वह अपने क्षेत्र से ही लोगों की भर्ती करता है। इसको बन्द किया जाना चाहिये।

सरकार के अत्यधिक व्यय के बारे में वित्त मंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि बेकारी के भय से लोगों को निकालना कठिन है। यह ठीक दृष्टिकोण नहीं है। प्रशासनिक सेवा में कर्मचारी अधिक हैं परन्तु दूसरी ओर कम हैं। इसी कमी के कारण पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई योजनाओं को हम समय पर कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। इसके लिये हमें कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : "नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स।" मुझे बौद्ध उपासना पाठ से इस श्लोक को कहते हुए संतोष का अनुभव होता है और मैं समझता हूं कि हमारे बौद्ध समाज का जो पंचशील का सिद्धान्त है, वह आज अमल में आना चाहिए, उसमें सब तत्व हैं। आज हमारे देश में कई प्रकार की बातों को करने के लिए चर्चा चल रही है लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वे अमल में नहीं आती हैं। चाहे आप अछूतों का सवाल ले लीजिये, चाहे अनएम्पलायमेंट (बेकारी) का सवाल ले लीजिये, या आर्थिक सवाल को ले लीजिये, यह सारे सवाल अभी तक हल नहीं हो पाये हैं। मैं इस हाउस के सामने एक बार नहीं अनेकों बार निवेदन कर चुका हूं कि जब तक अछूतों का उद्धार नहीं होता और उनकी आर्थिक हालत नहीं सुधरती तब तक खाली अछूतों के मंदिर प्रवेश या उनके होटल में जाने से समस्या हल नहीं होगी और उनका उद्धार हम नहीं कर पायेंगे।

फाइनेंस बिल में कई बातों की चर्चा हुई है और कई बातों के लिए प्रपोज़ल्स किये गये हैं लेकिन मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान हरिजनों और पिछड़ी जातियों की अवस्था की ओर दिलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि इनकी सहायता करने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा सहायता का परसेंटेज रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि टेन परसेंट टोटल टैक्स का जो होता है वह सेट एपार्ट करके शेड्युल्ड कास्ट और डाउन टौडेन कम्युनिटी के लिए खर्च करना चाहिए, इसके अतिरिक्त उनके जो छोटे-छोटे धंधे हैं--जैसे रोप मेकिंग, लेदर मेकिंग आदि, उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सहायता मिलनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों की तनख्वाहें काफी लम्बी हैं और वे ३, ३ हजार और ५, ५ हजार तक तनख्वाहें

[श्री पी० एन० राजभोज]

पाते हैं जब कि देश में काफी बड़े पैमाने पर भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी का राज है और इस आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए और गरीबों का स्टेन्डर्ड बढ़ाने के लिए उन लोगों की लम्बी तनख्वाहों में कमी की जानी चाहिए। सरकार को जो नीचे दबे हुए वर्ग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता करनी चाहिए और मेरे ख्याल से जो रिजरवेशन हमें मिला हुआ है वह आज की हालत को देखते हुए कम से कम दस वर्ष और हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हम बहुत गिरे हुए हैं और सवर्ण हिन्दुओं के बराबर नहीं आ पाये हैं, इसलिए यह रिज़रवेशन राइट्स जरूरी हैं ।

जहां तक हरिजनों में शिक्षा प्रचार का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही जरूरी है कि हरिजनों के वास्ते युनिवर्सिटी तक की शिक्षा मुफ्त और कम्पलसरी हो और पार्ट सी स्टेट्स में जहां ठीक से काम नहीं होता है, वहां ठीक से काम किये जाने की बहुत आवश्यकता है।

जहां तक बेकारी के प्रश्न का ताल्लुक है, यह बड़े भयंकर रूपमें हमारे सामने विद्यमान है और मैं समझता हूं कि बेकारों को जब तक कि उनको काम न दिया जा सके सरकार की ओर से कुछ भत्ता मिलना चाहिए, सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को जो हमारे देहातों में मजदूर लोग हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं उनकी मजदूरी की दर भी मुकर्रर करनी चाहिए, आज उनकी हालत बहुत खराब है और उनको बहुत कम मजदूरी मिल रही है, सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये। उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाया जाना चाहिये ।

मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर, अपनी पुरानी मांग को दुहराता हूं कि जिस तरह से आपने रेफ्यूजी भाइयों की समस्याओं को हल करने के वास्ते एक सेप्रेट मिनस्ट्री बना दी और करोड़ों रुपये खर्च किये, उसी तरह हम हरिजन और पिछड़े वर्गों के लिये जो सही मानों में रेफ्यूजीज हैं और जो थोड़े अर्से से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से दबे हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए और उनकी दशा बेहतर बनाने के लिए सरकार को एक अलहदा मिनिस्ट्री फौर्म करनी चाहिए जो एक्सक्लूज़िवली इस समस्या की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम हम लोगों के लिए थोड़े दिन के लिए सेप्रेट मिनिस्ट्री की बहुत आवश्यकता है और सरकार को हमारी इस मांग को मंजूर कर लेना चाहिए और हम लोगों के वास्ते एक अलग मिनिस्ट्री बना दें। हम नहीं चाहते कि हमेशा हम लोगों को रिज़रवेशन मिले लेकिन जब तक कि हमारी अवस्था में सुधार नहीं होता है तब तक इसको जारी रहना चाहिए।

कराधान के प्रस्ताव अमीरों के लिये अच्छे हैं गरीबों के लिये नहीं। हम देख रहे हैं कि टैक्सेशन प्रपोज़ल्स जो हुए हैं वह बड़ों और श्रीमंतों को और बड़ा बनाने वाले हैं। मैं हाउस से कहूंगा कि वह हम लोगों के बीच में जो आज अशिक्षा, अनएम्पलायमेंट इत्यादि विद्यमान है उसको खत्म करने के लिए सरकार पर जोर डाले कि वह सक्रिय कदम उठाये। मेरी प्रार्थना है कि हरिजनों की जो पिछड़ी हुई और गिरी हुई अवस्था है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार की उन्नति के लिए काम करना चाहिए और जब तक यह नहीं हो जाता और देश में छुआछूत और आर्थिक विषमता रहती है तब तक हम बराबर आपसे इसके लिए कहते रहेंगे और कभी कभी

जरूरत पड़ने पर झगड़ेंगे भी कि हम लोगों का उद्धार किया जाय ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : कुछ पूर्व वक्ताओं ने कांग्रेस दल के "समाजवादी ढांचे" को एक प्रवंचना कहा है । मैं उनके इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूं । मैं समझता हूं कि इस संबंध में श्री गाडगील ने बहुत सही बातें कही हैं ।

वित्तीय प्रस्तावों को, उदाहरण के लिये वे प्रस्ताव जिनमें रूप भेद किया गया है, देखने से यह पता चलता है कि सरकार विकेन्द्रीकरण करना चाहती है और छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन देना चाहती है । वित्त मंत्रालय विद्युत् चालित और हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों में भेद करना चाहती है । ऐसा करने का समय अब बीत गया । गांव गांव में बिजली पहुंचाने के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं । अतः अब विद्युत् चालित और हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। आप छोटे उद्योगों को सारी सुविधायें देना चाहते हैं परन्तु साथ ही साथ उन पर उत्पादन शुल्क लगा कर उन्हें अपंग भी बना रहे हैं । तो फिर आप उन्हें प्रोत्साहन किस प्रकार देना चाहते हैं । वस्तुतः स्थिति यह है कि सरकार छोटे लोगों पर अधिक कर, अधिक उत्पादन शुल्क आदि लगाती जाती है तथा बड़े उद्योगों के साथ रियायत करती है तथा हजारों रुपयों की परिलब्धियों पर आय कर नहीं लगने दिया जाता ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क विधेयक सामान्य चर्चा के दौरान में मैंने कहा था मेरे प्रदेश में तम्बाकू की फसल दिसम्बर में काटी जाती है । ऐसी दशा में मांग का फार्म सितम्बर में कैसा लिख लिया जाता है ? मंत्री महोदय ने बताया कि वह उस पहले की फसल के लिये था जो मार्च-अप्रैल में बाजार में आई थी । यह बिलकुल गलत बात है । मैं तो यह कहूंगा कि सरकार अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता को छिपाने के लिये ऐसी बातें कहती है । यह कैसे संभव हो सकता है कि तम्बाकू बाजार में मार्च-अप्रैल में आ जाये और उस पर उत्पादन शुल्क उसके छः महीने बाद लगाया जाये । मैं तो फिर यही कहूंगा कि उड़ीसा में वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वे उत्पादन शुल्क नियम के बिलकुल विपरीत काम कर रहे हैं ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अधिकतर तम्बाकू गोदामों में लाकर रख दिया जाता है, और वह वहां बिना बिके हुए रखा रहता है । शुल्क तभी वसूल किया जाता है जब कि किसान गोदाम में रखे हुए अपने तम्बाकू का मूल्य आंकता है । इसमें समय लगता है ।

श्री सारंगधर दास : यह संभव नहीं है कि तम्बाकू मार्च-अप्रैल से सितम्बर तक लगभग सात महीने-गोदाम में पड़ा रहता है । ऐसा नहीं होता । वस्तुतः वह उसी काल में बिक जाता है ।

श्री ए० सी० गुह : कभी कभी एक वर्ष के बाद, जब तम्बाकू बिक्री के लिये निकाला जाता है, शुल्क एकत्रित किया जाता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं यह सब मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

मैं यह नहीं चाहता कि हमारे देश में विदेशी न आयें । इसके विपरीत मैं तो चाहता हूं कि वे आयें और हम उनकेअनुभव और ज्ञान से लाभ उठायें परन्तु साथही में यह भी चाहता हूं कि हमारी सरकार इस देश की सार्वभौमिकता को सुरक्षित रखे। परन्तु तथ्य यह है कि ऐसा करने के बजाय हमारी सरकार विदेशियों के हितों का अधिक ध्यान रखती है । यह स्थिति तेल संबंधी समझौते के बारे में है । सरकार ऐसा इस लिये करती है क्योंकि वे (विदेशी) पेट्रोल को साफ करना जानते हैं और हम वह काम नहीं जानते । मैं तो कहूंगा सरकार का

[श्री सारंगधर दास]

यह दृष्टिकोण गलत है। हमें अपने देश के हितों का सबसे पहले ध्यान रखना है।

इसी संबंध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे नौवहन उद्योग की उचित देखभाल नहीं होती है। एक स्वतंत्र और बड़े देश के लिये उसके अपने वाणिज्यिक पोत का होना बहुत आवश्यक है। यह ठीक है कि काफी जहाज बनाये या खरीदे जा रहे हैं, परन्तु वाणिज्यिक पोत का वास्तविक प्रयोजन अभी तक नहीं समझा गया है। युद्ध के प्रयोजन के लिये ही नहीं बल्कि शान्तिकाल में भी किसी भी देश का जहाजों के मामले में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके लिये उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और सुविधायें मिलनी चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार "पताका भेदभाव" अर्थात् विभिन्न देशों के जहाजों के बीच किये जाने वाले भेदभाव के संबंध में क्या करने का विचार करती है। इस नीति के फलस्वरूप हमारे जहाज विदेशी पत्तों से खाली वापस लौटते हैं। हमारी नीति अपने देश की पताका की रक्षा करने की होनी चाहिये। अर्थात् हमें अपने जहाजों को संरक्षण देना चाहिये। इसके लिये हमें अपने जहाजों को प्रोत्साहन देना होगा। हमें विदेशों में जाने वाले अपने जहाजों के लिये माल की व्यवस्था करने के लिये वे उपाय अपनाने होंगे जो चिली, ब्राजील, युरेगुये, तुर्की अर्जेन्टाइना जैसे कम विकसित देशों ने अपनाये हैं। वे विदेशी जहाजों पर अपना माल नहीं भेजते। व्यापारिक करारों में देशी नौवहन के हितों की रक्षार्थ कोई खण्ड होना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये आयात और निर्यात संबंधी नियंत्रणों का उपयोग किया जा सकता है। जहाजों और माल का बीमा भी संभव है। इन उपायों से भारतीय नौपरिवहन उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऋणों पर ब्याज की दर, विषेश रूप से विदेशों को जाने वाले जहाजों के लिये, २-१/२ प्रतिशत के स्थान पर १-१/४ प्रतिशत ही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है और अब मैं उनसे अपना भाषण खत्म करने के लिये अनुरोध करूंगा। अब माननीय मंत्री अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री एम० सी० शाह : श्री एच० एन० मुकर्जी तथा श्री गाडगील द्वारा उठाई गई बातों के उत्तर में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। उनका उत्तर मेरे सहयोगी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जा चुका है और मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता।

श्री सारंगधर दास द्वारा नौवहन के संबंध में उठाई गयी बात का उत्तर मैंने विचार प्रस्ताव के वाद-विवाद का उत्तर देते समय खूब विस्तृत रूप से दे दिया था। मैंने उस समय बताया था कि इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने जा रही है। मैंने यह भी बताया था कि तटीय जहाजों के पूर्णतया काम में लगाने और रेल तथा परिवहन के अन्य साधनों के बीच अधिक अच्छा समन्वय करने के लिए परिवहन मंत्रालय एक समिति नियुक्त करने जा रही है जो इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

तेल वाहक जहाजों के बारे में भी मैंने बताया था कि हम २ करोड़ रुपये का व्यय करके तेलवाहक जहाजों का क्रय करने वाले हैं। तेल शोधनशालाओं के संबंध में समझौते की शर्तों की स्थिति के बारे में भी मैंने बताया था। उन्हें उस स्थिति का पता है। वस्तुतः तेल शोधनशालाओं के साथ ये ठेके देश के हित में किए जाते हैं। विदेशों को जाने वाली एक बड़ी राशि बच जायेगी और साथ ही हमें निकट में ही शुद्ध तेल मिल जायेगा जिससे व्यय की बचत होगी और वह सस्ता भी

होगा । जब कभी सरकार किसी विदेशी समवाय से कोई समझौता करती है तो वह देश की प्रभुत्व सम्पन्नता का ध्यान रखती है और देश के हितों की हर प्रकार की रक्षा करती है ।

श्री गाडगील की एक दो बातों का उत्तर हमें देना है । उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि मैं अहमदाबाद का निवासी हूं और यहां मंत्रालय में हूं इसलिए वहां के मालिकों की चालों के प्रभाव में आकर मैंने बहुत महीन कपड़े पर शुल्क घटा दिया है ; इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह आरोप पूर्णतः असत्य है । वित्त मंत्रालय में अहमदाबाद, बम्बई, पूना या कलकत्ता किसी के संबंध में ऐसी किसी चाल का प्रभाव नहीं है। मैं तो केवल देश के हित को महत्व देता हूं । मैंने गांधी जी के चरणों में बैठकर जनसेवा का पाठ पढ़ा है और मेरे जीवन में देश हित का बहुत महत्व रहा है ।

अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, बहुत महीन कपड़े पर शुल्क के मामले पर खूब विचार किया गया था । श्री गाडगील ने आय व्ययक के प्रस्तुत होते समय मुझसे कहा था कि मोटे तथा मध्यम कपड़े पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि भी अहमदाबाद वर्ग के चक्र के कारण ही हुई है । इससे उनका अभिप्राय यह था कि बम्बई की तुलना में अहमदाबाद को अधिक सुविधायें मिलीं ; इसी कारण यह वृद्धि की गयी । मैंने उनसे व्यौरों की मांग की थी पर अभी तक वह मुझे कोई भी व्योरा नहीं दे सके । मोटे तथा मध्यम कपड़े पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है ।

जहां तक बहुत महीन कपड़े पर उत्पादन शुल्क का संबंध है, उन्हें इस कमी के कारणों को समझना चाहिए । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय जो इस व्यापार से भलीभांति परिचित है, से भली प्रकार मंत्रणा करके तथा काफी विचार करने के बाद यह काम किया गया था । इस वर्ष से वित्त विधेयक के पेश करने के पूर्व के वर्ष के दौरान बहुत महीन कपड़े पर उत्पादन शुल्क २-१/२ आना प्रति गज था । अब यदि हम २-१/२ आना प्रति वर्ग गज कर दें तो वह लगभग ३ आने ४ पाई हो जायेगा । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बहुत महीन कपड़े की चौड़ाई बहुत अधिक होती है और यदि उस पर शुल्क ३ आना ४ पाई कर दिया जाता है तो उद्योग यह भार संभाल नहीं पायेगा । अतः मामले पर विचार किया गया और यह आवश्यक समझा गया कि उसी दर या उससे कुछ ऊंची दर रखी जाय : अतः २ आना प्रति वर्ग गज का मतलब गत वर्ष की अपेक्षा यह शुल्क कुछ अधिक बैठेगा । साथ ही हमने हथकरघा उपकर को जो ३ पाई प्रतिगज था, ३ पाई प्रति वर्ग गज में बदल कर बहुत महीन कपड़े पर भी शुल्क बढ़ा दिया है । अतः उन्हें लगभग ३३ से ४० प्रतिशत तक अधिक देना पड़ेगा ।

शायद वह इस बात को भूल गये कि अहमदाबाद की मिलों में महीन कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है । वित्त विधेयक में महीन पकड़े पर शुल्क एक आना रखा गया था । पर इन संशोधित प्रस्थापनाओं के अधीन वह बढ़ कर १ आना ३ पाई हो गया है । महीन कपड़े बनाने वालों ने सदैव विरोध किया कि वह १ आना ६ पाई भी अधिक था । गत वर्ष भी १ आना ६ पाई प्रति गज था और यद्यपि इसका काफी विरोध किया गया पर वित्त मंत्रालय ने उसे १ आना ६ पाई ही रखा । इस समय जो १ आना ३ पाई प्रति गज शुल्क निश्चित किया है, यह १ आना ६ पाई प्रति गज से अधिक पड़ेगा ।

अतः मैं समझता हूं कि श्री गाडगील ने जल्दी में यह निराधार आरोप लगाया है । उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसने दबाव में आकर कराधान प्रस्थापनाओं का संशोधन किया । उन्हें जानना चाहिए कि हमारी सरकार प्रजातंत्रात्मक है और हम सभा

[श्री एम० सी० शाह]

के सदस्यों तथा जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जब कभी भी, चाहे सदस्यों की ओर से या सम्बन्धित लोगों के पास से, अभ्यावेदन या प्रस्थापनायें आती हैं तो हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। करों तथा शुल्कों का यहां प्रस्ताव करने के बाद हमने कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन को सरसरी निगाह से देखा था। यदि हम देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया होती है, छोटे पैमाने के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, छोटे-छोटे व्यापारियों को हानि होती है और व्यापार को भी धक्का पहुंचता है तो हमें मामले पर विचार करना पड़ता है और जैसा कि श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने कहा, यह वस्तुतः हममें इतना साहस था कि हम इन संशोधित प्रस्थापनाओं को सभा के सम्मुख रख सके।

इसमें दबाव की कोई बात नहीं है। इन संशोधित प्रस्थापनाओं को दबाव के कारण नहीं पेश किया जा रहा है। वस्तुतः हमने आगे बढ़कर एक ऐसा साहसपूर्ण कदम उठाया है कि हम अपना लक्ष्य, समाज का समाजवादी ढांचा, प्राप्त कर सकें। कराधान प्रस्थापनाओं के संबंध में, हमने कर बढ़ा दिये हैं और यदि अब भी श्री गाडगील समझते हैं कि हमने एक प्रतिगामी कदम उठाया है तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वह बहुत गलती पर हैं।

उन्होंने आयों पर अधिकतम सीमा के बारे में भी कहा। उस मामले के बारे में भी विस्तृत व्याख्या की गयी थी। कराधान जांच आयोग ने भी सिफारिश की है कि परिवार की शुद्ध आय के ३० गुने पर अधिकतम सीमा निश्चित की जाय। यदि हम २६४ रुपये या ३०० रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाते हैं और परिवार में ५ व्यक्ति हैं तो १५०० रुपये बैठता है और उसे ३० से गुणा करने पर ४५,००० रुपये शुद्ध आय होती है। वस्तुतः यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ५ लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को लगभग ९४,००० रुपये शुद्ध आय मिलेगी। साथ ही ४५,००० रुपये शुद्ध आय का उद्देश्य भी एकाएक पूरा नहीं किया जा सकता। हमें इसको धीरे धीरे पूरा करना है और जैसा कि हम ने बताया है, हम कराधान जांच आयोग की अन्य सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। अतः हमें धैर्य रखकर देखना चाहिए कि हमारे सामने क्या आ रहा है। इस तर्क का कई बार खण्डन किया जा चुका है, पर फिर भी वह 'आय पर अधिकतम सीमा' की शब्दावली को बारबार दोहराते हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं उठाई गयी थी, अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सशस्त्र सेनाओं के प्रधान सेनापतियों के पद नाम में परिवर्तन करने के प्रयोजन से कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा को विदित है कि दो या एक मास पूर्व प्रधान मंत्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संविधान के अधीन राष्ट्रपति ही सभी रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, यह निश्चित किया गया है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रधान सेनापतियों के इन पदनामों को हटा दिया जाय और इन बड़े-बड़े पदाधिकारियों को स्थल सेनाधिपति, नौसेनाधिपति और वायुसेनाधिपति कहा जाय। बहुत से अधिनियमों में

'प्रधान सेनापति' प्रयोग किया जाता ह और उनके द्वारा उन पदाधिकारियों को कुछ अधिकार भी दिये जाते हैं । सरकार इन पदाधिकारियों के प्राधिकारों को कम नहीं करना चाहती । अतः इस विधेयक का मतलब यह है कि जहां भी कहीं "प्रधान सेनापति" शब्द का प्रयोग किया जाय, उसके स्थान पर स्थल सेनापति, नौसेनाधिपति या वायुसेनाधिपति, जैसी भी स्थिति हो, शब्द रखे जायें ताकि उसका स्वरूप वैसा ही रहे जैसा है और अधिकार में कोई कमी न हो। विधेयक के उद्देश्य की निश्चित व्याख्या उद्देश्यों और कारणों के विवरण में की गयी है । यह एक औपचारिक विधान है और मैं सभा के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सशस्त्र सेनाओं के प्रधान सेनापतियों के पदनाम में परिवर्तन करने के प्रयोजन से कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल-पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए इसके सम्बंध में मुझे कुछ शब्द कहने हैं ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद गवर्नमेंट को "कमांडर" शब्द से चिढ़ हो गयी है और इसीलिए यह बिल लाया गया है । मालूम पड़ता है कि सरकार समझती है कि युद्ध के समय तो 'कमांडर' शब्द का कुछ अर्थ हो सकता है, परंतु शान्ति के समय इसका कोई अर्थ नहीं होता । लेकिन जिस प्रकार से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार से कि रक्षा मंत्री महोदय ने इसका स्पष्टीकरण किया है उससे विदित होता है कि इन अफसरों के अधिकारों में कोई असर नहीं पड़ता है । मैं समझता हूं कि यह हर्ष की बात है ।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि सेना में जितने भी अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में आते हैं उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया जाय । लेकिन मैं देखता हूं कि इन अनुवादों के करने में कई जगह गड़बड़ी हो रही है । जसे कि 'चीफ आफ आर्मी स्टाफ' है । इसका अनुवाद हिन्दी समाचारपत्रों में दिया जा रहा है : "थल सेना के कार्यालयाध्यक्ष" और शायद रक्षा मंत्रालय ने भी इसको स्वीकार कर लिया है । इसका यह मतलब होता है कि वह केवल दफ्तर के इनचार्ज हैं । मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्रालय की यह मंशा नहीं है कि वे केवल कार्यालय के चार्ज में रहें । सरकार की मंशा तो यह है कि सारी सेना का संचालन उनके हाथ में रहेगा । इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि यदि सरकार "जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष और वायु-सेनाध्यक्ष" इन शब्दों को स्वीकार कर ले तो ठीक होगा ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने इन तीन अधिकारियों के नाम तो बदल दिये लेकिन क्या आप इनके नीचे के अधिकारियों के नामों में भी परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं—यह मैं जानना चाहता हूं । जैसे जनरल आफ़िसर कमांडिंग इनचीफ ईस्टर्न कमांड, या वेस्टर्न कमांड या सदन कमांड हैं । क्या इनके नामों में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है ? इनके अतिरिक्त कुछ स्थानीय अफ़सर भी हैं जैसे 'औफिसर कमांडिंग दि स्टेशन' आदि । यदि आप 'कमांडिंग या कमांडेंट' शब्दों को हटाना चाहते हैं तो इनके नामों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : सन् १९४७ के बाद प्रशासन की नयी व्यवस्था में रक्षा सेनाओं के तीनों पार्श्वों के नामों को

[श्री के० के० बसु]

परिवर्तित कर दिया जाय पर केवल नामों के बदलने से स्थिति का सुधार नहीं होगा।

१९४७ के बाद सभी बातों के बदलने के साथ रक्षा सेनाओं तथा देश के साधारण व्यक्ति के बीच के संबंधों में भी सुधार होना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ सुधार हुआ हो। माननीय रक्षा मंत्री को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। ब्रिटिश प्रणाली के हमारे सारे संबंधों तथा कुप्रभावों को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे देश में बाहरी विशेषज्ञ आते हैं जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा था, तो उनका काम केवल मंत्रणा देने तक ही सीमित रहना चाहिए। प्रशासन संबंधी या कार्य-पालिका संबंधी कार्यों से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक इन सभी बातों का सुधार हो जायेगा। रक्षा मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करें कि पदनामों के बदलने के साथ साथ रक्षा सेनाओं, पदाधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों के लोगों का दृष्टिकोण भी बदला जाय।

डा० काटजू : विधेयक के संबंध में तो बहुत थोड़ा कहा गया है परन्तु अन्य बातें खूब कही गयी हैं। मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण सेवाओं को भारतीय बनाने की चिन्ता से बढ़ कर अन्य कोई चिन्ता नहीं है। गत सात वर्षों में हम इस संबंध में पर्याप्त प्रगति करते रहे हैं, अपने उद्देश्य का हमें सदैव ध्यान रहा है और उचित अभारतीय पदाधिकारियों के नियुक्त करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। बहुत से लोगों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा गया है। सभा को यह विदित होना चाहिए कि जिन पदों पर अभारतीय पदाधिकारी हैं वे इस कारण हैं कि हमारे पास उचित पदाधिकारी नहीं हैं और हम उन्हें रखने के लिए बाध्य हैं। यह भी स्मरण रखिये कि हमारी नौसेना एक नयी नौसेना है; हमारी वायुसेना भी एक नयी वायुसेना है और इसके संचालन तथा मार्ग दर्शन के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। हम यह नहीं कह सकते कि १२ महीनों में हम इसका भारतीयकरण कर लेंगे पर हमें आशा है कि थोड़े ही वर्षों में हम ऐसा अवश्य कर लेंगे। जहां तक उस माननीय मित्र का संबंध है जो हिन्दी में बोले हैं, उन्होंने इस शब्द की व्याख्या के संबंध में बात कही है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, पर मैं ध्यान रखूंगा कि समुचित पदनामों का ही प्रयोग किया जाय। यह 'कमाण्ड' शब्द को पसन्द करने का प्रश्न नहीं है। जब आप किसी छावनी स्टेशन में जाते हैं तो वहां एक आफिसर कमांडिंग होता है।

इसी प्रकार जब हम किसी सेना में जाते हैं, उदाहरणार्थ पूर्वी कमान में, तो वहां एक सेना 'कमाण्डर' होता है। जहाँ तक प्रधान सेनाधिपति का सम्बन्ध है, यह इसलिये किया गया कि "प्रधान सेनापति" शब्द रखना अनुपयुक्त समझा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संशस्त्र सेनाओं के प्रधान सेना-पतियों के पदनाम में परिवर्तन करने के प्रयोजन से कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधयक में जोड़ दिए गए।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारत का राज्य बैंक विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं पहले ही सूचित कर दूं कि २.३० बजने में केवल पाँच मिनट बाकी हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे अभी अपना भाषण प्रारम्भ करना होगा या नहीं। यदि सभा मुझे कुछ समय और प्रदान करे तो ठीक है अन्यथा·····

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपने भाषण के लिये कितना समय लेंगे?

श्री ए० सी० गुह : मैं लगभग ४५ मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा पाँच बजे के पश्चात् भी बैठने को तैयार है?

श्री **के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : यदि माननीय मंत्री अंत में नहीं बोलेंगे तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय नहीं बचेगा। हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित नहीं कर सकते हैं।

श्री **ए० सी० गुह** : यदि सभा पाँच बजे के पश्चात् बैठने को अथवा मुझे गैर-सरकारी सदस्यों के समय में से कुछ समय देने को तैयार नहीं हैं तो केवल पाँच मिनट के लिये विधेयक पर भाषण प्रारम्भ करने से कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य आज भाषण प्रारम्भ करेंगे, तो विधेयक कल तक रुक जायेगा और कल सबसे पहले उक्त विधेयक को ही लिया जायेगा।

श्री **ए० सी० गुह** : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि भारत के लिये एक राज्य बैंक स्थापित करने, उसे भारत के इम्पीरियल बैंक के उपक्रम हस्तांतरित करने तथा उससे सम्बंधित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

श्री **आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा २० अप्रैल, १९५५ को, सभा में उपस्थित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

यह प्रतिवेदन उन संकल्पों के लिये दिये जाने वाले समय के सम्बन्ध में हैं जिन पर आज चर्चा होगी। समय का नियतन प्रतिवेदन में दिया गया है जो सभा के प्रत्येक सदस्य के हाथों में है। मुझे इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस प्रतिवेदन को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि यह सभा २० अप्रैल, १९५५ को, सभा में उपस्थित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बाटों तथा नापों के बारे में संकल्प—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री अच्युतन के द्वारा ६ अप्रैल, १९५५ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेगी। इसके लिये २ घंटे का समय दिया गया है जिसमें से प्रस्तावक को २० मिनट तक अन्य सदस्यों को १५ मिनट तक भाषण देने की अनुमति होगी।

श्री अच्युतन (क्रान्तूर) : पिछली बार मैंने संसार के विभिन्न देशों में मीट्रिक प्रणाली को प्रारम्भ करने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में बताया था। हमने भी पिछली शताब्दी में प्रयत्न किया था किन्तु हम सफल नहीं हुए थे।

१९४० में राष्ट्रीय योजना समिति ने इस प्रश्न को लिया था तथा यह निश्चय किया था कि अखिल भारतीय आधार पर प्रभावीकरण किया जाय। १९४६ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने मुद्रा तथा बांट व नाप के दाशमिकन के लिये एक संकल्प पारित किया।

उसी वर्ष सरकार इस परिणाम पर पहुंची कि एक भारतीय मानक संस्था होनी चाहिये तथा निर्देशकों के १९४७ के प्रतिवेदन में मीट्रिक प्रणाली प्रारम्भ करने के कुछ तरीकों पर भी सुझाव दिया गया। इस परिवर्तन के पूर्व, जाँच के लिये एक समिति बनाई गई, जिसमें सभी संस्थाओं——व्यापारिक तथा वाणिज्यिक निकायों——के प्रतिनिधि थे। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि देश के सभी वर्ग मीट्रिक प्रणाली को प्रारम्भ करने के प्रश्न पर एकमत हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि देश के विभिन्न भागों में सहस्त्रों प्रकार के बाट व नाप प्रचलित हैं तथा लोगों को नयी प्रणाली से अभ्यस्त होने में पर्याप्त श्रम तथा समय लगेगा किन्तु इस प्रयत्न का यथोचित लाभ भी होगा। लोगों के समय, धन तथा शक्ति की बचत होगी, व्यवहार एवं हिसाब–किताब में आसानी होगी। साथ-ही-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

१८६७ में बाट तथा नाप सम्बन्धी समिति ने जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था कहा था कि भारत के गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में बाटों की विभिन्नता है। यही नहीं, प्रत्युत विभिन्न पदार्थों तथा थोक तथा फुटकर व्यापार में पृथक-पृथक बाटो का प्रयोग होता है।

१८६८ में एक दूसरी समिति नियुक्त हुई थी जिस पर श्री स्ट्रेचे ने अपने विमति टिप्पण में लिखा था "विश्व के किसी भी देश में बाट तथा नाप की इतनी विषमता तथा अनिश्चितता नहीं है जितनी कि भारत में है। हमें वही करना चाहिये जो भारत की जनता के लिये स्थायी रूप से उपयोगी सिद्ध हो।" १९१३ में एक समिति ने यह कहा था कि देश में बाट तथा नाप की कभी भी एक निश्चित प्रणाली नहीं रही है। संयुक्त प्रान्त में ही मन ४० सेर से ७२ १/२ सेर तक का है।

१९५१ में भारतीय मानक संस्था ने एक हज़ार एक गाँवों में एक उल्लेखनीय सर्वेक्षण किया। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि १४३ प्रकार के विभिन्न बाट, नाप की १५० प्रणालियां तथा भूमि-नाप की १८० प्रणालियाँ प्रचलित हैं। भारत में कृषि के सम्बन्ध में राजकीय आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि बाट तथा नाप की इस अनिश्चित प्रणाली से कृषकों को बड़ी असुविधा होती है तथा देश के व्यापार पर हानिकर प्रभाव पड़ता है। भारत में चावल के विक्रय सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९४१ में लिखा हुआ है कि बाटों की भिन्नता के कारण होने वाली लगभग सभी हानि कृषकों को उठानी पड़ती है।

कृषि, बन तथा मत्स्य पालन पुनर्निर्माण परिषद् की उपसमिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बाट तथा नाप की विभिन्नता के कारण उत्पादकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं की ओर से सदैव शिकायतें रही हैं। विक्रय-पदाधिकारियों ने भी भारतीय

मानक संस्था द्वारा जारी किये गये परिपत्र के उत्तर में कहा है कि यह बड़ी शोचनीय स्थिति है कि देश में सैकड़ों तरह के पैमाने प्रचलित हैं। बम्बई में स्थिति भले ही इतनी खराब न हो, किन्तु अन्य प्रान्तों में यही स्थिति है। इससे वे इस परिणाम पर पहुँचे कि जब तक समस्त देश में एकरूप प्रणाली लागू नहीं की जायेगी तब तक कृषकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को सदैव घाटा उठाना पड़ेगा।

यद्यपि ब्रिटेन, अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों में मीट्रिक प्रणाली नहीं है, तथापि उनका अधिकांश व्यापार मीट्रिक प्रणाली वाले देशों के साथ होता है। इसलिये उन्होंने यह सुझाव दिया कि बाट तथा नाप के सम्बन्ध में एकरूप प्रणाली विकसित की जाय। १९३५ तथा १९३९ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मंडल ने भी उत्तरोत्तर मीट्रिक प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया।

१९४६ में भारतीय टंकन संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने एक-रूप बाट तथा नाप भी चलाने का सुझाव दिया था। १९४७ में सभी सक्षम निकायों ने इस बात पर सहमति प्रगट की थी कि वे एकरूप मीट्रिक प्रणाली के पक्ष में हैं।

श्री सी० राजगोपालाचारी जब उद्योग तथा रसद मंत्री थे, उन्होंने एकरूप बाट तथा नाप की सिफारिश की थी। इस समय जब कि हम उद्योग तथा व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, सरकार यह बात नहीं कह सकती कि आयात तथा निर्यात व्यापार में कठिनाइयां आ सकती हैं।

श्री गुह ने राज्य सभा में यह सूचित किया था कि सरकार मुद्रा, बाट तथा नाप की एकरूप प्रणाली के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है। डा० रामसुभग सिंह के ५ अप्रैल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। कल एक ज्ञापन परिचालित किया गया था जिसमें कहा गया है कि श्री कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निश्चय कर लिया गया है। निस्संदेह कई कठि-नाइयाँ उत्पन्न होंगी जिन्हें सुलझाना पड़ेगा।

वस्तुतः अब समय आ गया है कि हम इस उलझन को दूर करें। यद्यपि इसमें १ करोड़ प्रति वर्ष व्यय होगा तथापि इससे होने वाले लाभ कहीं ज्यादा होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस निश्चय को यथाशीघ्र क्रियान्वित करेगी।

इस विधेयक के कई विशिष्ट लाभ हैं। पाठशालाओं तथा टेकनिकल संस्थाओं में इस प्रणाली से विद्यार्थियों के २५ प्रतिशत समय की बचत होगी तथा हम विदेशों के समक्ष आ जायेंगे।

मैंने यह कहा है कि किसी अन्य प्रकार के बांट व नाप के उपयोग पर दंड दिया जाय। मैंने स्वयं मीट्रिक प्रणाली की सिफारिश नहीं की है, केवल इस कारण कि सरकार स्वयं इसकी सिफारिश करेगी। एक अन्य सदस्य ने इस आशय का संशोधन रखा है कि एक नियत कार्यक्रम होना चाहिये। वह एक सीधा सादा मामला है, और वह विधान-मंडल पर छोड़ा जाना चाहिए।

बाट तथा नाप सम्बन्धी विधान का पूरा पालन होना चाहिए। राज्य सरकारों को भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि व्यापारी तथा कुछ अन्य व्यक्ति इससे बचने का प्रयास करेंगे; इसलिये राज्य सरकारों को यह गौर करना चाहिये कि इस पर कठोरता से कार्यवाही की जाय। इसलिये इस योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों पर ही है। मैं इस संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हू।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि सरकार को सम्पूर्ण देश में एकरूप बाटों तथा नापों को चलाने के लिये और अन्य किन्हीं बाटों और नापों के प्रयोग में लाने या रखने पर दण्ड देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह संकल्प रखा जाय :

"This House is of opinion that Government should take necessary steps to introduce uniform weights and measures throughout the country based on the metric system."

["इस सभा की राय है कि सरकार को सम्पूर्ण देश में मीटर प्रणाली पर आधारित एकरूप बाटों तथा नापों को चलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।"]

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) संकल्प में "to introduce" ["चलाने के लिए"] शब्दों के पश्चात् "by a phased programme" ["एक निश्चित कार्यक्रम द्वारा"] शब्द रखे जायें।

(२) संकल्प में "or possession" ["या रखने"] शब्दों को हटा दिया जाये।

सभापति महोदय ने श्री थानू पिल्ले तथा श्री एन० बी० चौधरी के संकल्पों पर के संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : यदि परिचालित ज्ञापन के प्रकाश में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न करती तो अधिक अच्छा होता।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्तुत हूं यदि मुझे अनुमति मिले।

सभापति महोदय : अच्छी बात है, आप कर सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने अपने माननीय मित्र श्री अच्युतन के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। सरकार उनकी कृतज्ञ है कि वह ऐसी नाजुक स्थिति में इस विषय पर विचार कर सके हैं। सरकार ने एक संक्षिप्त ज्ञापन प्रस्तुत कर सभा के सदस्यों को भेजा है जिससे कि उन्हें देश के बाट तथा नाप के मानों के सम्बन्ध में पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके। इसलिये मैंने इस ज्ञापन के अंशों को रेखांकित नहीं किया है। श्री अच्युतन ने भी यही विषय लिया है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार एक आकस्मिक कारण से ही बाट व नाप की मीट्रिक प्रणाली नहीं अपना सकी। भूतपूर्व सरकार ने, १८७० में ही श्री स्ट्रेचे जो कि ब्रिटिश सरकार के असैनिक कर्मचारी एवं इंजीनियर थे, के हस्तक्षेप से मीट्रिक प्रणाली को भारत में बाट तथा नाप का मान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। किन्तु व्हाइट हाल के राज्य सचिव को ब्रिटिश परम्परा से विलग होने की यह बात पसन्द नहीं आई इसलिये यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मेरे माननीय मित्र श्री अच्युतन ने कहा कि श्री राजा जी मीट्रिक प्रणाली का मान जारी करने के लिये बड़े इच्छुक थे। वास्तव में उन्हें यह उत्साह राष्ट्रपिता से प्राप्त हुआ था जो कि स्वयं इस सम्बन्ध में रुचि रखते थे।

तदनन्तर, क्योंकि ये बातें ऐसे समय हुईं जब कि सरकार पहले से ही व्यस्त थी, इसलिए सरकार का ध्यान इस मामले की ओर नहीं गया। परन्तु भारतीय मानक संस्था, जिसका सभापति होने का मुझे गौरव है,

मामले को वहाँ से आरम्भ किया जहां सरकार ने छोड़ा था और उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति का प्रतिवेदन जिसके साथ इस विषय पर एक व्यापक नोट भी है जिसके लिए सरकार मेरे नवयुवक मित्र, श्री पीताम्बर पन्त की आभारी है, पुस्तकालय में रख दिया गया है। उस पत्र के एक अनुबन्ध के रूप में बाट और नाप पर भारतीय मानक संस्था की एक उप-समिति का प्रतिवेदन है जो १९४९ में प्रकाश में आया था। वास्तव में मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो इतने इच्छक हैं, इस प्रतिवेदन को पढ़ें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने के साथ ही हमारे लिए अपने बांट तथा नाप को मानकों के अनुसार निश्चित करने की अत्यधिक आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह स्वाभाविक है कि हमें वह परिवर्तन स्वीकार करना है जो लगभग संसार के समस्त देशों द्वारा किया जाता है और जो वास्तव में गणना के लिए सरल भी है। सभा को विदित है कि दाशमिक प्रणाली का जन्म इसी देश में हुआ था चुनाचि मीट्रिक प्रणाली उस पर आधारित है। यह उचित है कि १९५५ में जब हम बाट तथा नाप को मानकों के अनुसार बनाने का विचार करते हैं, किन्तु हमें उस समय का स्मरण करना चाहिए जबकि हमने इस विचार को जन्म दिया था और इसे भविष्य के लिए स्वीकार किया था।

भारतीय मानक संस्था के प्रतिवेदन में उन कठिनाइयों का जो बाट तथा नाप की मानक प्रणाली को सारे देश में लागू करने में होगी और जो कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में जो प्रचार करना होगा और वे वर्ण जिनमें विधान बनाया जा सके और लागू किया जा सके इत्यादि का भी उल्लेख है। १९५२ में जब मैंने कार्यालय संभाला, इस प्रतिवेदन विशेष पर ध्यान देना आरम्भ किया और सरकार के सारे सम्बद्ध विभागों से भी प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया। हमें कुछ कठिनाइयां हुईं और मतभेद भी हुआ कुछ विभागों का विचार था कि परिवर्तन करने में बहुत व्यय होगा और अनेक अन्य कठिनाइयां भी होंगी। अन्त में हमें सारा मामला योजना आयोग को सौंपना पड़ा। ऐसा करने का एक कारण यह था कि योजना आयोग ऐसी संस्था है जो कि क्रियात्मक विचार कर सकती है और दूसरा कारण द्वितीय-पंचवर्षीय योजना का अनिश्चित होना भी था जो आकार में एक बड़ी बात है और जिसका अर्थ है अनेकों नये उद्योग—बड़े और छोटे दोनों का स्थापित होना—और जिनसे बाट तथा नाप को मानकों के अनुसार बनाने की समस्या प्रत्यक्ष में आयेगी। हम केवल बड़ी-बड़ी इकाइयों द्वारा प्रयोग होने वाले बाट तथा नाप को मानकानुसार बनाने पर विचार नहीं कर रहे हैं अपितु हम छोटे लोगों द्वारा प्रयोग होने वाले यन्त्रों को भी मानकानुसार बनाने पर विचार कर रहे हैं। इन लोगों को भी मानकानुसार नापों का प्रयोग सिखाना होगा। अतः हमने सोचा कि इस मामले पर निश्चय करने के लिए योजना आयोग सर्वोत्तम संस्था है। यह कहने में मुझे हर्ष है कि योजना आयोग ने टंकन की दाशमिक प्रणाली तथा बाट और नाप की मीट्रिक प्रणाली के पक्ष में निश्चय किया है। कार्यक्रम बनाना एक समिति पर छोड़ दिया गया है जिसके सभापति मेरे सुपरिचित मित्र श्री कानूनगो होंगे और समिति में विभागों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ होंगे। बाट और नाप की मीट्रिक प्रणाली लागू होने के आरम्भ के रूप में सरकार अवश्य ही टंकन की दाशमिक प्रणाली अपनायेगी। सरकार की इच्छा यह है कि मेरे साथी, वित्त मंत्री, टंकन की दाशमिक प्रणाली अपनाने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक इस सभा में प्रस्तुत करे। बाट और नाप की मीट्रिक प्रणाली के विधान के संबंध में, कानूनगो समिति केवल इसके बनाने पर ही विचार नहीं करेगी, जिसका

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सुझाव एक संशोधन में दिया गया है, अपितु आवश्यक विधान पर भी विचार करेगी।

इसके अतिरिक्त एक और महान कार्य करना है; अर्थात् राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। मेरा विचार विभिन्न राज्यों को वह सूचना जो हमें प्राप्य है, देने और उसके साथ यह भी लिखने का है कि, परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा विचार विभिन्न राज्यों को उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध साहित्य सहित लिखने का है। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में कोई भी राज्य ऐसा न होगा जो इस प्रगत्यात्मक कार्य का समर्थन न करे।

मुझे हर्ष है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री अच्युतन के संकल्प का एक बड़ा भाग श्री केशवैयंगार, श्री थानू पिल्ले और श्री शर्मा के संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर सकता हूं। मेरा ख्याल है कि चूंकि मैंने यह आश्वासन दे दिया है कि सारे मामले पर एक समिति विचार करेगी और समिति आवश्यक विधान बनायेगी और हमें एक वर्ष के लिए कार्यक्रम भी बनाना है, मुझे आशा है, कि मेरे माननीय मित्र श्री एन० बी० चौधरी अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे। क्योंकि सरकार संशोधन के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। (**अंतर्बाधा**)। मेरे माननीय मित्र श्री सोधिया अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए यहां नहीं हैं। वह परिवर्तन नहीं चाहते। मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि वह उनका दृष्टिकोण है। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि श्री सोधिया गलत हैं और मैं ठीक हूं। बहुत से लोग, जो भारत सरकार के बहुत से विभागों के प्रतिनिधि हैं श्री सोधिया के मत से सहमत हैं। परन्तु यह दो प्रकार के मतों की जांच और अन्त म एक निश्चय करने का प्रश्न ह कि जब हम प्रगति चाहते हैं, जब हम सारे देश में एक नाप चाहते हैं—हम एक भाषा अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा एक संविधान है जो सारे देश पर लागू होता है—जब हम एक ऐसी आर्थिक प्रणाली चाहते हैं जिससे सारे देश को लाभ होगा तो स्वभावतः बाट और नाप तथा टंकन में भी साथ-साथ प्रगति होनी चाहिये। जब हमें कोई परिवर्तन करना है तो कठिनाई वास्तव में यह होगी कि क्या हमें किसी क्षेत्र-विशेष के नाप अपनाने चाहियें जिससे अन्य क्षेत्र वाले शोर मचायें और कहें कि हम किसी एक भाग के बाट और नाप को स्वीकार नहीं करेंगे। कठिनाई उत्पन्न होने के कारण यह हैं कि हमने अपने आपको इंच और पाउंड से बांध लिया है जो आरम्भ से प्रयोग होते रहे हैं और अब हम मानकानुसार बाट और नाप अपनाना चाहते हैं, और वर्तमान मन व सेर, बंगाल का मन व सेर, मद्रास का मन व सेर और इसी प्रकार के नापों इत्यादि को छोड़ना चाहते हैं। जब हम एक ऐसे एकरूप ढंग का विचार कर रहे हैं जिस पर मतभेद नहीं हो सकता तो सर्वोत्तम बात यह है कि एक ऐसा ढंग एक ऐसी प्रणाली जिसके हम जन्मदाता हैं, अपनाया जाये और इसे मानकानुसार प्रणाली बनाया जाये। सौभाग्यवश वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्य के संबंध में सारे संसार में अधिकतर प्रयोग में आने वाले नाप मीट्रिक-नाप और मीट्रिक-बाट हैं। यह स्वयं हमारी प्रवृत्ति के अनुसार है और हमारी पृष्ठभूमि और प्रचलन और संस्कृति संसार के बड़े भागों की प्रथा से मेल खाती है। इसी कारण सरकार का निश्चय यह है कि हमें टंकन की दाशमिक प्रणाली तथा बाट और नाप की मीट्रिक प्रणाली अपनानी चाहिए कि इन दोनों उद्देश्यों के लिए यथाशीघ्र इस सभा में विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए—बाट और नाप से पहिले टंकन के सम्बन्ध में इसे लाग करने

का एक निश्चित कार्यक्रम हो। एक निश्चित काल में—२५ वर्ष की तरह नहीं, अपितु यथोचित थोड़े समय में—जिसमें हम जनता को सिखा सकें कि बाट और नाप तथा टंकन की देश में केवल यही प्रणाली होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री सोधिया अपनी बात रखेंगे। और मैं केवल अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं अपितु उस मत स्वातंत्र्य की भी सुरक्षा कर रहा हूं जो यह स्वीकार करने में सभा के अन्य सदस्य प्रकट कर सकते हैं कि श्री सोधिया का मत संगत मत है। केवल यह एक ऐसा मत है जो आजकल क्रियात्मक नहीं क्योंकि हम सारे देश में बाट और नाप की विद्यमान प्रणाली को स्थिर नहीं कर सकते। किसी भी रूपमें इन बाटों और नापों को मानकानुसार बनाना अनिवार्य है। एक बार आप मानकानुसार बनाना स्वीकार करें और हमें कुछ वैज्ञानिक ढंग अपनाने दें। एक बार मैं फिर श्री अच्युतन और उन अन्य सदस्यों के प्रति सरकार की कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकार को स्वीकार्य रूपमें संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझूं कि संशोधनों के रूप में जो विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं वे सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं? अतः क्या संकल्प लौटाया जा रहा है या अब भी उस पर चर्चा होगी ?

श्री एन० बी० चौधरी : हम इस मत का समर्थन करते हैं कि देश में बाट और नाप का एक सा मानक हो और हम चाहते हैं कि यह थोड़े से थोड़े समय में हो जाना चाहिए। इस विभिन्नता से कृषकों तथा अन्य भोले-भाले लोगों को अत्यधिक हानियां हुई हैं। उनका माल लेने वालों ने उनके अज्ञान के कारण उनका अत्यधिक शोषण किया है। अतः यह जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। परन्तु समस्या यह है कि यह किया कैसे जाये ? हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र को बाट और नाप के मानक बनाने का अधिकार है परन्तु उन्हें लाग करने का अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ी कठिनाई है। क्योंकि लोगों को गलत बाट प्रयोग करने के कारण जो वे यह जान कर करते हैं कि वे सही बाटों का प्रयोग कर रहे हैं, दंड उठाना पड़ता है। इसलिए यदि इस विधान को उचित रूप में कार्यान्वित करना है और यह देखना है कि सीधेसाधे लोगों को हानि न हो तो इन बाटों और नापों के निर्माण के लिए सरकार को अपना एक कारखाना खोलना होगा। अन्यथा बड़ी कठिनाई होगी। गैर-सरकारी लोग उनके से ही नाप आदि बनायेंगे और लोगों को बड़ी कठिनाई होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरम्भ में सरकार बाटों और नापों का संभरण करेगी और बाद में फिर गैर-सरकारी व्यक्ति उनका निर्माण व विक्रय करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। बाटों और नापों का तो एक महत्वपूर्ण मामला है। अतः यदि सरकार आरम्भ में बाटों और नापों का संभरण करती है तो इन बाटों और नापों के निर्माण पर कम से कम अत्यधिक महत्वपूर्ण बाटों और नापों पर सरकार का ही एकाधिकार रहना चाहिए।

इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि यह एक सामान्य अभिलाषा है कि बाटों और नापों में एकरूपता हो फिर भी श्री के० सी० सोधिया जैसे कुछ सदस्य भारतीय बाटों और नापों के ही पक्ष में हैं। आजकल भारत में तीन प्रकार के बाट और नाप प्रचलित हैं अर्थात् अंग्रेजी नाप, भारतीय नाप और मीट्रिक-प्रणाली के नाप। मीट्रिक प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर स्वीकार कर लिया गया है और यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है और इसे सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में भी स्वीकार किया है। अतः हमें आशा है कि समिति जिसके सभापति श्री कानूनगो होंगे इन सब बातों पर विचार करेगी और मीट्रिक

[श्री एन० बी० चौधरी]

प्रणाली को देश में इस ढंग से लागू करेगी कि लोगों को नई प्रणाली अपनाने में कोई कठिनाई न हो। यहां यह कहा गया है कि इसको लागू करने के लिए १० या १५ वर्ष का समय लगेगा। परन्तु आरम्भ में क्या होगा? यह ठीक है कि उन्होंने कहा है कि आरम्भ में इस बात का प्रचार होगा। जनता का मत बनाया जायेगा और फिर धीरे-धीरे प्रणाली लागू की जायेगी। जहां तक बाटों और नापों का संबंध है, मीट्रिक-प्रणाली लागू होने से पहले टंकन की दाशमिक प्रणाली लागू होनी चाहिये। टंकन की दाशमिक प्रणाली इस प्रकार लागू करनी होगी कि जन-साधारण को हानि न हो।

इस बात के बारे में कि हमें अभी यह सुधार नहीं करना चाहिए—जैसा कि एक संशोधन में उल्लेख किया गया है—मैं यह कहना चाहता हूँ कि फ्रांस ने अत्यधिक कठिनाइयों के समय में ही अनेकों विषयों पर व्यापक विधान स्वीकार किये थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रान्ति के समय ही यह मीट्रिक प्रणाली अपनाई थी। अतः यदि हमारे समक्ष बड़ी समस्यायें भी हों तो भी हमें मीट्रिक प्रणाली लागू करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए।

अपने संशोधन संख्या (४) के बारे में मुझे केवल यह कहना है कि इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे बाटों और नापों के रखने के कारण लोगों को हानि न हो। इन बाटों को वापस लेने की पर्याप्त व्यवस्था किये बिना! इन बाटो को रखने वाले लोगों को दंड देना ठीक न होगा। चाहे इन बाटों को किन्ही प्राधिकारी को सौंपने के लिए कोई कालावधि निश्चित की भी गई हो और यदि इनमें से कोई भी बाट पाये भी जायें तो लोगों को केवल इस बात के लिए कि उनके पास ये बाट हैं, दण्ड देना उचित नहीं। हो सकता है कि असावधानी से कभी किसी के कमरेमें ऐसी कोई चीज़ पड़ी दिखाई दे। अनजाने में यदि किसी के पाससे ऐसे बाट मिलें और उस व्यक्ति को उसके लिए दण्ड भी दिया जाय तो कितना अनर्थ होगा। हमें इस बात का ध्यान रखंना चाहिए कि इस नई प्रणाली को शुरू करने से पहले हम किसी साधारण व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव न पड़ने दें। मैं बाटों और नापों की इस नई मीट्रिक प्रणाली का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों को सहयोग देने को कहा जाय और जन-साधारण को परेशान न किया जाय।

श्री के० सी० सोधिया (सागर): मैं सिद्धान्तों के आधार पर इस विधान पर आपत्ति करता हूं। आजकल यह एक सनक सवार हो रही है कि देश भर में एक ही प्रणाली प्रचलित हो किन्तु प्रायः एक प्रकार की प्रणाली से बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं। हो सकता है कि इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे छोटे-छोटे देशों में एक ही प्रकार की बाटों और नाप-तोल की प्रणाली चलती हो किन्तु भारत जैसे विशाल देश में एक अनुरूप प्रणाली चलाना कहां तक उचित है?

प्रस्तुत संकल्प में कहा गया है कि सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयत्न करना चाहिए और यह भी बताया गया है कि सरकार बहुत प्रयत्न करती रही है किन्तु चूंकि राज्य सरकारें हाथ नहीं बटातीं अतः इस दिशा में सुधार नहीं हो पाया है। हो सकता है कि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकी हों और वास्तव में वे ऐसा कर भी नहीं सकी हैं। गांव में क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि वहां इस दिशा में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। शायद ही कोई पटवारी या पुलिस का सिपाही कभी कभी वहां जाता हो—इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप जो कुछ भी करेंगे वह एक विशाल

दृष्टिकोण से, और सभी देश के हित के लिए होना चाहिए। स्वयं मैं समझता हूं कि मीट्रिक प्रणाली से हमारे बेचारे ग्रामीण बन्धुओं को धोखा लगेगा और वे लूटे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पीढ़ियों से गांवों में लोगों को रुपये-आने-पाई और सेर-छटांक को ही प्रयोग में लाने की आदत रही है। उनमें से बहुत से अच्छी तरह गिनती भी नहीं कर सकते। क्या वे मीट्रिक प्रणाली से अधिक अच्छी तरह गिनती कर सकेंगे? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय आय सर्वेक्षण ने ही यह सब स्पष्ट कर दिया है कि एक दशमलव के गलत होने से किस प्रकार बड़ी भारी हानि होगी। इन लम्बी चौड़ी बातों के हांकने से कोई लाभ नहीं। यदि हमने इस प्रणाली को देश भर में चलाया तो यहां के जनसाधारण हम से बिछड़ जाएंगे।

वास्तव में योजना आयोग ही सरकार पर शासन कर रहा है। योजना आयोग इस विधान पर एक करोड़ रुपया वार्षिक खर्च करना चाहता है जो कि बड़ी निन्दनीय बात है, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और हम ग्रामीण लोगों के लिये कुछ नहीं करते जोकि बड़े कष्ट सहन कर रहे हैं।

हमारे देश में साक्षरता का स्तर बहुत निम्न है। केवल बीस-प्रतिशत लोग साक्षर हैं और शेष ८० प्रतिशत सौ तक गिनती करना भी नहीं जानते फिर भी आप मीटर प्रणाली जारी करना चाहते हैं। इंगलैंड, फ्रांस और अन्य देशों ने इस प्रणाली को अपनाया परन्तु अमरीका ने नहीं क्योंकि लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यहां भी करोड़ों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये जबतक इससे सब का हित न हो अन्यथा व्यर्थ धन नष्ट होंगा।

हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हम प्रगति की दौड़ में अपनी जनता को बहुत पीछे छोड़ कर आगे बढ़ गये हैं।

इस बारे में व्यापारी वर्ग की भी सलाह नहीं ली गई। सरकार और योजना आयोग जनता की इच्छा और राय को जाने बिना ही निश्चय कर लेते हैं। इस विषय में सरकार बड़ी जल्दबाज़ी से काम कर रही है और इससे हानि पहुंचने का डर है। मैंने इस विषय में एक संशोधन की पूर्व सूचना दी है और मैं आग्रह करता हूं कि सरकार उस पर विचार करे।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर–उत्तर) : हमारे देश के लिये अपेक्षित एकरूप तोल माप के बारे में सरकार ने जो अनुसन्धान किया है उस बारे में शायद श्री के० सी० सोधिया को पता नहीं है।

वर्ष १८०१ में, भारत के लिये प्रमाणिक तोल माप जारी करने के बारे में विचार किया जा रहा था और उसके पश्चात केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने कई समितियां नियुक्त की भी हैं। इस प्रयोजन के लिये १८६७ और १८६८ में एक समिति नियुक्त की गई थी और उसके तीन सदस्यों ने विभिन्न टिप्पण दिया कि वे इस देश में मीटर प्रणाली जारी करना चाहते हैं।

उस समय की सरकार ने इस राय को स्वीकार करके एक विनियम सूत्रित किया परन्तु भारत के राज्य सचिव ने किन्हीं कारणों से अनुमति न दी। बाद में इसमें कुछ रूपभेद किये गये और विनियम पारित हुआ परन्तु उसे कभी लागू नहीं किया गया।

इस विषय में एकरूपता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव से हमारी वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ी अड़चन होती है। १९४० की राष्ट्रीय योजना समिति की निर्माता संथा, १९४६ में अखिल भारतीय

[श्री केशवैयंगार]

विज्ञान कांग्रेस संथा ने और भारतीय मानक संस्था के निर्देशक ने इसका समर्थन किया और इस प्रणाली को भारत के लिये हर प्रकार उपयुक्त पाया। श्री के० सी० सोधिया ने जिस कठिनाई का उल्लेख किया है मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि लोग शिक्षित नहीं हैं और इस कठिनाई को शीघ्र दूर करना चाहिये पर आप किसी भी गांव में जाकर किसी साधारण व्यक्ति से पूछें। वह इस सुविधा को ग्रहण करने से इन्कार नहीं करेगा। तोल और माप में एकरूपता लाने पर जो व्यय होगा उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिये क्योंकि लाभ उसकी अपेक्षा बहुत अधिक होगा।

सभापति महोदय : इस विषय पर काफी चर्चा की जा चुकी है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर रही है। मैं सभा का मत जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर अधिक चर्चा करना उचित होगा।

डा० सुरश चन्द्र (औरंगाबाद) : यदि कोई व्यक्ति संकल्प का विरोध करना चाहता हो तो चर्चा को जारी रखना चाहिये अन्यथा नहीं।

सभापति महोदय : यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने के विरोध में कुछ कहना चाहता है तो मैं उसे अवसर दूंगा किन्तु यदि सब सहमत हैं तो चर्चा को समाप्त करना ठीक होगा।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्री अच्युतन ने संकल्प को इस रूप में रखा है कि सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा विचार है कि संकल्प का प्रथम भाग, जिस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकार कर लिया जाये।

देश के मापों में एकरूपता नहीं है। किसी स्थान पर ८० तोले का एक सेर है और कहीं ११० तोले का। मेरा विचार है कि मीटर-प्रणाली आरम्भ करने से पहले सरकार को इनमें एकरूपता लानी चाहिये। इसमें समय अवश्य लगेगा। यदि विभिन्न स्थानों के सेरों में अन्तर रहेगा तो इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अतः मैं सुझाव देता हूँ कि श्री अच्युतन के संकल्प का प्रथम भाग स्वीकार कर लिया जाये ताकि कोई कठिनाई न हो और सारे देश में एकरूपता हो जाये।

सभापति महोदय : सरकार ने संकल्प के सिद्धान्त और मीटर-प्रणाली के बारे में संशोधन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। अब मैं प्रस्तावक का विचार जानना चाहता हूं। क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं।

श्री अच्युतन : जी हां।

सभापति महोदय : बजाये इसके कि माननीय सदस्य सभा से संकल्प वापस लेने की अनुमति मांगें मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि मल संकल्प के स्थान पर यह संकल्प रखा जाये :

> "This House is of the opinion that Government should take necessary steps to introduce uniform weights and measures throughout the country based on the metric system."

["इस सभा की राय है कि सरकार को सम्पूर्ण देश में मीटर-प्रणाली पर आधारित एकरूप बाटों तथा नापों

को चलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : क्योंकि यह संशोधन जो मूल संशोधन के स्थान पर है स्वीकार हो गया है अतः मैं मूल संकल्प तथा अन्य संशोधनों पर मत नहीं लेता ।

केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प

श्री एस० एन० दास (दरभंगा–मध्य) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने पेश करता हूं :—

"इस सभा की राय है कि देश में कृषि कार्यों के लिए ऋण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक केन्द्रीय कृषि वित्त निगम जिसकी शाखायें सारे राज्यों में हों स्थापित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये ।"

यह प्रश्न, जिसके बारे में मैंने इस सभा में यह प्रस्ताव रखा है, कुछ नया नहीं है । इस सम्बन्ध में पिछले पचास वर्षों में इस सभा भवन में और इसके बाहर अनेक बार विचार किया गया है । कई बार इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार भी इस समस्या के महत्व को समझती है ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : बहुत ।

श्री एस० एन० दास : बावजूद इस बात के कि वह इसकी आवश्यकता और वांछनीयता को समझती है, वह इस विषय में जल्दी करने की जरूरत को नहीं समझती है । हिन्दुस्तान सचमुच में गांवों का हिन्दुस्तान है । हिन्दुस्तान में सैकड़े में अस्सी आदमी देहात के रहने वाले हैं और सैंकड़े में सत्तर खेती पर निर्भर करने वाले हैं । हो सकता है कि उनमें से बहुत से लोग स्वयं खेती कर के न कमाते हों, लेकिन यह तथ्य है कि सकड़े में सत्तर आदमियों का जीवन खेती पर निर्भर करता है । राष्ट्रीय आय समिति ने हिन्दुस्तान की १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय का जो हिसाब लगाया है, उससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा खेती से आता है और अभी बहुत बरसों तक हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता खेती पर ही निर्भर करती रहेगी । यद्यपि हम सोचते हैं कि हम अपने देश में उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ायें, फिर भी जो अवस्था इस समय है और जो अवस्था अभी बहुत दिनों तक रहने वाली है, उसमें खेती की प्रधानता रहेगी ।

हमने अपने सामने कोआपरेटिव कामनवैल्थ का उद्देश्य रखा है, लेकिन किसी ने कहा है कि कोआपरेटिव कामनवैल्थ कैसे स्थापित हो सकता है जब तक कि कामन आदमी के पास धन न हो ? और फिर कामन आदमी रहने वाला कहां का है ? वह देहात का रहने वाला है । ऐसी हालत में सरकार ने इस बात की अहमियत और वांछनीयता को समझते हुए भी इस सम्बन्ध में अभी तक जो कार्यवाही की है उसको किसी भी हालत में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । मैं तो कहूंगा कि स्वराज्य के बाद सरकार ने अगर किसी प्रश्न की अत्यन्त उपेक्षा की है तो वह प्रश्न हिन्दुस्तान के गांवों में खेती के लिए ऋण की व्यवस्था करने का प्रश्न है और यह उपेक्षा इसलिए सहज होती है कि हिन्दुस्तान के गांवों के रहने वाले—सैंकड़े में अस्सी लोग जाग्रत नहीं हैं । अगर वे जाग्रत होते तो सरकार को यह उपेक्षा न करने देते । इसलिए आज मुझे अत्यन्त खुशी है कि इस प्रस्ताव को जिसको संसद् के सामने रखने के लिए मैं लगातार चार साल से प्रयत्न करता आ रहा हूं, इस बार प्रस्तावों के चिट्ठे में पहला स्थान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

सभापति महोदय, मैंने यह बताया है कि हिन्दुस्तान की जो खेती है, उसकी आवश्यकता

[श्री एस० एन० दास]

और महत्व दिनों दिन और भी बढ़ेगा। सेंसस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि १९५१ में, जब कि हमारी आबादी ३६ करोड़ थी, हम को साढ़े सात करोड़ टन अन्न की जरूरत हुई। उसने अंदाज़ा लगाया है कि १९६१ में हमें साढ़े आठ करोड़ टन अन्न की जरूरत होगी। इसी तरह से हिसाब लगाया गया है कि इस बढ़ते हुए पैमाने को देखते हुए १९७१ और १९८१ में अनाज की खपत बहुत अधिक बढ़ जायगी। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में इस समय प्रति आदमी चौदह औंस जो अनाज की खपत है, पौष्टिक दृष्टि से वह बहुत थोड़ी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है। उसी तरह से हम अपने देश में खाद्यान्न की उपज नहीं बढ़ाते जायेंगे, तो कुछ समय के बाद हमारे देश ऐसा समय आयेगा, जब कि हम देखेंगे कि यह समस्या हल होने के लायक नहीं रही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से हम उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्त का प्रबन्ध करते हैं—पैसे का प्रबन्ध करते हैं, उसी तरह हम खेती के लिए भी पैसे की व्यवस्था करें। हमने देखा है कि यद्यपि सरकार ने योजना में खेती के लिए अधिक से अधिक रुपया रखा है, लेकिन इसके बावजूद जब से हमारे देश में स्वराज्य हुआ है, तब से अब तक ऋण की व्यवस्था के लिए जो कार्यवाही की गई है, वह बहुत ही नाकाफी है। यह ठीक है कि नदियों में बड़े पैमाने पर बांध बना कर सिंचाई का इन्तजाम करना खेती के लिए लाभकर है और छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की योजना भी खेती के लिए लाभकर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने शुरू से ही खेती के लिए ऋण का प्रबन्ध किया होता तो "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में जो रुपया खर्च किया गया है—जिसका बहुत सा हिस्सा बरबाद गया है—हमारे ख्याल से उसको खर्च करने की आवश्यकता न होती। हिन्दुस्तान के किसान जिस अवस्था में अपनी खेती करते हैं, उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जब देश में राष्ट्रीय दल सरकार में आए और उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के किसान कर्ज़े के बोझ से दबे हुए हैं और उन्होंने खेती के लिए या खाने के लिए जो कर्ज लिया, वह इतना बढ़ गया है कि वे सहन नहीं कर सकते तो उन्होंने उत्साह में आकर विभिन्न राज्यों में मनी-लैंडिंग के सम्बन्ध में कुछ कानून बनाए। मैं समझता हूं कि वे कानून अच्छे थे और उनको बनाने वालों की नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन उन कानूनों को जब काम में लाया जाने लगा, तो एक नई समस्या ही खड़ी हो गई। सरकार ने इस बात का इन्तज़ाम नहीं किया कि मनी-लैंडिग के सम्बन्ध में जो कानून बनाए जाते हैं, उनका किसानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ऋण का व्यवस्था का क्या इन्तज़ाम होगा। इस सम्बन्ध में बिना कुछ सरकारी इन्तज़ाम किए हुए कानून बना दिए गए जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को खेती के लिए कर्ज़ नहीं मिला और अगर मिला, तो बहुत ऊंची दर पर। इसके अतिरिक्त कर्ज़ के तरीके में बहुत तरह के भ्रष्टाचार आ गए। एक रुपया प्रति सैंकड़ा प्रति मास से ज्यादा सूद न लिया जाय इससे बचने के लिए हिन्दुस्तान के महाजनों ने जिनके चुंगल में यहां के किसान इतने समय से फंसे हुए हैं—उनके चुंगल से वे कब निकल पायेंगे, इसका कुछ पता नहीं है—कई उपाय ढूंढ़ निकाले। किसान उनके चुंगल में और भी जकड़े गए। अगर किसी ने १०० रुपया लेना था तो १५० रुपए का कागज़ बना कर दिया जाता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऋण को कम करने के लिए या ऋण की सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए, उनका

उल्टा असर पड़ा और किसानों को कर्ज मिलने में कठिनाई हो गई। इसलिए उन्हें खेती में बड़ी असुविधा हो गई और उन्हें जो भी कर्ज़ मिला, वह बहुत ज्यादा सूद देकर और बहुत ज्यादा कठिनाई उठा कर मिला।

इसलिए जरूरत इस बात की थी कि जब सरकार ने मनी-लैंडिंग के सम्बन्ध में कानून बनाये तो साथ ही साथ गांवों में ऐसी संस्थाओं का निर्माण भी करती जिनके जरिये से किसानों को कम सूद पर, कम तरद्दुद से और समय पर कर्जा मिल सकता। इसका इन्तजाम अभी तक नहीं हो पाया है जो कि हिन्दुस्तान की सरकार के लिए सचमुच एक लज्जा की बात है। हिन्दुस्तान में ७० प्रतिशत जनसंख्या किसान है जो कि खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन खेती की तरक्की के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। योजना कमीशन का भी यह कहना है कि खेती का उत्पादन बढ़े और हिन्दुस्तान की यह ज़रूरत है। इसके लिए बड़े-बड़े बांध बनाकर सिंचाई का इन्तिजाम करना और हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग करना जरूरी है, पर इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि गांवों में किसानों के सहयोग से ऐसी संस्थायें बनाई जायें जो थोड़े सूद पर अधिक सुविधा से और समय पर कर्जे का इन्तजाम कर सकें। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। इसकी कितनी आवश्यकता है, इसका अब थोड़ा बहुत अन्दाजा लग पाया है। आज से चार साल पहले जब हम इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहते थे तो सरकार हमारा ध्यान इस बात की ओर खींचती थी कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया हिन्दुस्तान के कुल ६ सौ या ७ सौ गांवों का सर्वेक्षण कराने का इन्तिजाम कर रही है जिससे कि देश में ऋण व्यवस्था की जानकारी हासिल हो जायगी। उन्हीं लोगों का अन्दाजा है कि देश में खेती के लिए ७५० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि इस ७५० करोड़ में से सरकार का हिस्सा जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं ३ प्रतिशत है और जो वित्त कोआपरेटिव सोसाइटीज से मिलता है वह भी करीब ३ प्रतिशत है। कमर्शियल बैंक्स का हिस्सा तो नगण्य है। वह करीब एक प्रतिशत है। इस वित्त का ज्यादातर हिस्सा देहात के महाजनों से ही आता है, चाहेवे खेतिहर हों या व्यापार करने वाले हों या मनी-लैंडिंग करने वाले हों या बिजनेस करने वाले हों। तो इस वित्त का यह इन्तिजाम है। यह ७५० करोड़ का वित्त जो खेती के लिए आवश्यक है इसको किस हद तक सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए यह विचारणीय प्रश्न है। मैं यहां पर यह विचार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है उसके लिए किसान रिजर्व बैंक की निर्देशक कमेटी के सदस्यों के प्रति सदा आभारी रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम से सर्वेक्षण करके एक बहुत कीमती रिपोर्ट देश के सामने रखी है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने इन प्रश्नों पर कि देहात में खेती के लिए ऋण की क्या व्यवस्था हो और उसमें सरकार का क्या हिस्सा हो पूरा प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट को पूरे तौर पर मान कर आगे बढ़ने वाली है। मेरा ख्याल है कि सरकार इस समस्या की अहमियत को समझती है लेकिन जब काम करने का समय आता है तो इस प्रश्न की विशालता को देखकर घबरा जाती है। हिन्दुस्तान के किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करना कोई साधारण सवाल नहीं है और चूंकि यह एक साधारण सवाल नहीं है इसलिए उसकी विशालता को देखकर सरकार घबरा जाती है। सरकार यह नहीं समझती है कि हमने अपने विधान में जो निर्देशक सिद्धान्त रखे हैं उनमें हमने इस

[श्री एस० एन० दास]

बात का वायदा किया है कि हम हिन्दुस्तान के हर एक आदमी को काम देंगे। हमने यह वायदा भी किया है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं और खासकर जो हिन्दुस्तान के किसान गांवों में रहते हैं उनकी दशा को हम ज़ल्दी से जल्दी सुधारेंगे। लेकिन जब उस निर्देशक सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने का सवाल आता है और जब उनके लिए ऋण की व्यवस्था करने का सवाल आता है और उस काम के लिए संगठन करने का सवाल आता है तो सरकार उस कार्य की विशालता को देखकर घबरा जाती है। अब तक इस प्रश्न पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। जो प्रस्ताव मैंने रखा है यह तो इस प्रश्न का एक अंग है। यह प्रस्ताव तो मैंने इसलिए रखा है कि एक निगम की स्थापना की जाय जो सारे हिन्दुस्तान में खेती के लिए ऋण की व्यवस्था करे। यह उस सारे प्रश्न का एक छोटा सा अंश है। खेती से सम्बन्धित सारे प्रश्नों का यदि मैं जिक्र करूं कि किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाय, किस प्रकार उसका व्यापार किया जाय आदि आदि तो मेरे पास इतना समय नहीं है। आज हिन्दुस्तान में जो अन्न पैदा होता है उसके साथ केवल उत्पादन का ही सवाल नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके प्रासेसिंग का सवाल है, उसके व्यापार का सवाल है, उसके भंडार का सवाल है। यह सवाल इतने व्यापक हैं कि इन सब को हल किये बिना हम हिन्दुस्तान की जनता की गरीबी की समस्या को हल नहीं कर सकते। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कुछ कदम उठाये भी हैं।

अभी इस सभा के सामने रिजर्व बैंक आफ इंडिया बिल विचार के लिए आने वाला है और स्टेट बैंक आफ इंडिया बिल भी विचार के लिए इस सभा के सामने आने वाला है। ये दोनों इसी सिलसिले में हैं और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह कदम उठाया है तो इसके साथ-साथ आपको देखना होगा कि जो देहात में सहकारिता का आन्दोलन है वह भी ठीक से चले। इस आन्दोलन के बारे में केवल कागज में संख्या देखने से तो सुखद मालूम होती है। ऐसा मालूम होता कि सहकारिता आन्दोलन खूब तरक्की कर रहा है। लेकिन जो देहात में रहने वाले हैं या जो इसमें काम करते हैं उनको मालूम है कि हमारे देश में जो प्रारम्भिक कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं या जो यूनियन्स हैं या जो स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स हैं वे हिन्दुस्तान के किसानों की समस्या को छती तक नहीं हैं। और इनका संचालन किस प्रकार होता है यह भी एक सुखद अध्ययन नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की निर्देशक समिति ने बतलाया है कि हिन्दुस्तान के लिए यह कहा जा सकता है कि यहां पर सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है। लेकिन साथ ही साथ उस समिति ने कहा कि हमें इस आन्दोलन को सफल बनाना होगा। और जब हमने अपने सामने कोआपरेटिव कामन वैल्थ का आदर्श रखा है तो हमें हिन्दुस्तान में अधिक से अधिक संख्या में किसानों को सहकारिता के आधार पर सहायता पहुंचानी होगी। लेकिन जो हालत अभी है अगर उस हालत पर विचार किया जाय तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जहाँ इस आन्दोलन की असफलता का कारण यह है कि हमारे देश की जनता में शिक्षा का अभाव है तथा उनमें आर्थिक क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में मिल कर काम करने की भावना का भी अभाव है, वहां इसकी असफलता का यह भी कारण है कि जो इस कानून को बरतने वाले लोग हैं उनमें उत्साह की बहुत कमी है और सहकारिता आन्दोलन को चलाने के लिए जिस भावना और उत्साह की जरूरत है

और जिस तरह की मेहनत की ज़रूरत है उसका हमारे सरकारी कर्मचारियों और को-आपरेटिव विभाग के अधिकारियों में अभाव है। उस दृष्टि से वे इस आन्दोलन को नहीं चलाते हैं।

देश में कोआपरेटिव आन्दोलन चलाना एक मिशन का काम है और मिशन के काम के लिये नौकरशाही की मनोवृत्ति बहुत खतरनाक है। पचास वर्ष में यह हमारे देश में सहकारिता का आन्दोलन चलता रहा लेकिन वह देश के किसानों की इस समस्या को हल करने में असफल रहा। तो जहां इसका कुछ भार जनता के ऊपर भी सौंपा जा सकता है, वहां उसका ज्यादातर भार जो उसके संचालक हैं, उन पर जाता है। इसीलिये मैं आज इस सरकार से कहना चाहता हूं कि निर्देशक समिति ने जिस उत्साह और भावना के साथ काम करने के लिए सिफारिशें पेश की हैं, यह जरूरी है कि उनको उसी उत्साह और लगन के साथ लागू करना चाहिए। वक्त यहां कम है इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजकल कानून बनाना आसान है, लेकिन कानून बना करके उसको ठीक ढंग मे चलाना, उसके लिए संगठन कायम करना, उसके लिए संचालक बनाना, उसके लिए संचालकों में इस तरह की प्रेरणा भरना जो जनता के साथ हिलमिल कर जनता के सुख दुख में काम करके जनता के बीच में जा करके उस कानून को चलावें, यह भाव जल्दी नहीं आता है। इसीलिए केवल इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में कुछ संशोधन करके अगर आप देश की समस्या को हल करने का विश्वास रखते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। आपको चाहिए कि इस तरीके की ट्रेनिंग की व्यवस्था करें जो देश के गांव गांव में कोआपरेटिव के, सहकारिता के आन्दोलन का जो सिद्धान्त है, सहकारिता आन्दोलन के पीछे जो भावना है, सहकारिता से हिन्दुस्तान को जो लाभ होने वाला है, उस सब के भाव से ओतप्रोत हों और उसी भावना से प्रेरित हो करके जनता के बीच जनता के सेवक होकर जायं। ऐसी भावना का अभाव हमारे देश में बहुत से विभागों में या यूं कहिये कि अधिक से अधिक विभागों में है, जिस वजह से अच्छी से अच्छी स्कीमें अच्छी से अच्छी योजनायें भी हमारी सफल नही होती हैं।..

एक माननीय सदस्य : इसका इलाज क्या है ?

श्री एस० एन० दास : एक माननीय सदस्य पूछते हैं इसका इलाज क्या है ? इलाज यह है कि हमारे देश की जो केन्द्रीय सरकार है, हमारे देश की राज्य सरकारें हैं, हमारे यहां जो अभी कोआपरेटिव संस्थायें हैं और सब से ऊपर जो वित्त की व्यवस्था करने वाला हमारा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया है वे सब इस समस्या को बड़ी गहराई के साथ सोचें और हर एक अपनी-अपनी जगह पर रह कर जो अपना हिस्सा उसमें हो हिन्दुस्तान के लिये अच्छी खेती के लिये वित्त की व्यवस्था करना है, उसमें सब अपना-अपना हिस्सा अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे ढंग से देने के लिये तैयार हो जायं। गांवों में जो हमारे किसान हैं, खासकर छोटे किसान हैं, मध्यम दर्जे के किसान हैं, उनका संगठन होना चाहिए। अभी तक जितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां हमारे गांवों में चलती हैं, उससे स्पष्ट मालूम होता है उनमें

[श्री एस० एन० दास]

भी अधिक से अधिक व्यापारी वर्ग के लोग हैं या ऊंची श्रेणी के लोग हैं और जिनको कोआपरेटिव सोसाइटीज से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, वही लोग इसका संचालन करते हैं। अभी जरूरत इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और राज्य सरकारें इस समस्या पर जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, इस सिफारिश को अक्षरशः पूरा करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि इस समस्या के सफल होने में हम आगे बढ़ सकेंगे।

हमारी समस्या का एक पहलू यह भी है कि हमारे देश में जो गांव की परिस्थिति है, उस गांव की परिस्थिति में इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने में कठिनाई भी है और आर्थिक कठिनाई तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक कठिनाई भी कुछ कम नहीं है और इस सामाजिक कठिनाई को भी दूर करने का भार सरकार को अपने ऊपर लेना होगा। गांव के अन्दर जो महाजन लोग हैं, उन महाजनों के चंगुल से अगर देश के किसान को बचाना है तो हर गांव में कोआपरेटिव सोसाइटी कायम करनी पड़ेगी और उस कोआपरेटिव सोसाइटी को जैसे कि अब तक हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि समझा जाता है कि वह उनकी अपनी सोसाइटी है, वह स्वयं उसका नियन्त्रण करें यह सिद्धान्त में तो ठीक है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, लेकिन जिस अवस्था में यह आन्दोलन पड़ा हुआ है, उस अवस्था से इसको ऊपर उठाने के लिए, उसमें पुनर्जीवन लाने के लिये उसके पुनः संगठन के लिए, उसको फिर से क्रियाशील बनाने के लिए केन्द्र, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक सब को तैयार होना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दो एक बात और कह करके मैं खतम कर दूंगा। अब सरकार ने यह अनुभव कर लिया है कि इसका महत्व बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा अनुभव करने के साथ-साथ यह अनुभव नहीं किया है कि इसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, जब तक इस सवाल का हल अखिल भारतीय पैमाने पर नहीं किया जायगा तब तक सिर्फ केन्द्रीय सरकार और केन्द्र में जो कोआपरेटिव संगठन हैं, उन्हीं के जरिए से यह सवाल हल होने वाला नहीं है। वर्षों से लगातार खेती के लिए पूंजी के अभाव ने भारत के खती के व्यवसाय को बहुत बुरी अवस्था में ला दिया है, इस क्षेत्र में उन्नति और सुधार करने की आवश्यकता है। मेरे जो प्रस्ताव का विषय है कि एक एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन बनाया जाय जिसका कि काम वित्त की व्यवस्था करना होगा, साथ ही साथ एक दूसरे संगठन की भी जरूरत है, एग्रीकल्चरल खेती सम्बन्धी विकास के कामों के लिए और लम्बी अवधि के लिए कर्ज का इंतजाम करने के लिए एग्रीकल्चर डेवेलपमेंट कारपोरेशन भी मुकर्रर करने की जरूरत है और यह दोनों संस्थायें जब बन जायें, तो इन दोनों संस्थाओं के वित्त का साधन रिजर्व बैंक आफ इंडिया हो या राज्यीय बजट से धन राशि दी जाय और इसी प्रकार फिर हर प्रान्त में प्रान्तीय स्टेट एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन उसी ढंग से बनाया जाय कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का निर्माण किया गया है और फिर इस तरह नीचे जाकर गावों में जा कर जहां कोआपरेटिव सोसाइटियां न हों वहां जल्द से जल्द कोआपरेटिव सोसाइटियां

कायम करें और फिर जिस तरीके से शरीर के अन्दर हृदय से सारे अंग प्रत्यंग में खून का प्रवाह होता है और सारे शरीर में जीवन रहता है और जीवन क्रियाशील रहता है, उसी तरह से जो खेती रूपी शरीर है, उसमें केन्द्रीय निगमरूपी जो हृदय है, इस हृदय से रक्त का प्रवाह यानी वित्त का प्रवाह इस तरह से किया जाय कि बराबर हिन्दुस्तान में करोड़ों किसानों को खेती के लिये समय पर वित्त या कर्ज मिलते रहें और वे महाजनों के चंगुल में पड़ कर हर प्रकार की असुविधा उठाते हैं, हर तरह से वह तकलीफ उठाते हैं उससे वे बच जायं और वित्त के अभाव में हमारा उत्पादन भी कम होता है, कर्जे का भार बढ़ा चला जा रहा है उनको इन सब बातों से बचाने के लिये जरूरत है कि जल्द से जल्द इस तरह के निगम की स्थापना की जाय और जल्दी से जल्दी खेती के लिये जिस वित्त की आवश्यकता है, उस वित्त को पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

इस में श्री एन० बी० चौधरी का एक संशोधन है।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आरंभिक संकल्प के स्थान पर निम्न संकल्प रखा जाय :

"This House is of opinion that immediate steps be taken to establish a State Agricultural Finance Corporation with its branches in all districts all over the States to provide cheap credit facilities for agricultural operations and agricultural marketing"

["इस सभा की राय है कि कृषि कार्यों तथा कृषि पदार्थों की बिक्री के लिये सस्ते ऋण की व्यवस्था करने के हेतु एक राज्य कृषि वित्त निगम जिस की शाखायें समस्त राज्यों के सारे जिलों में हों स्थापित करने के लिय तुरन्त कार्यवाही की जाय"।]

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० बी० चौधरी : पंचवर्षीय योजना में "कृषि के लिये वित्त" नामक एक अध्याय में यह स्पष्टतः लिखा है कि वित्तीय स्रोतों के पर्याप्त न होने के कारण और आवश्यक समय पर उचित दरों पर ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त न होने के कारण किसान कृषि सम्बन्धी सुधार करना चाहते हुये भी, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार से सस्ते दरों पर ऋण सम्बधी सुविधायें प्राप्त न होने के कारण वे बेचारे साहूकारों के चंगल में जा फंसते हैं जो निर्धन किसानों का रक्त चूस लेने में संकोच नहीं करते। यद्यपि विभिन्न राज्यों में साहूकार अधिनियम और ऋण निबटारा बोर्ड बनाये गये हैं तथापि इनसे स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। राज्य की ओर से उन्हें जो ऋण दिया जाता है, वह अत्यन्त अपर्याप्त है। इसीलिये अपने कृषि कार्यों के लिये किसानों को गांव के साहूकारों की शरण लेनी पड़ती है। और ये भोले-भाले किसान इस ऋण के बदले अपनी भूमि को फंसा बैठते हैं। वे निर्धारित कालावधि में ऋण चुका नहीं सकते और इसके परिणाम-स्वरूप उनकी भूमि पर साहूकार का अधिकार हो जाता है और किसान भूमि-हीन हो जाते हैं।

[श्री एन० बी० चौधरी]

जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, यद्यपि इसमें ऐसा कहा गया था कि संस्थाओं के लिये अल्पकालीन ऋणों के लिये १०० करोड़ रुपया रखा जायेगा, परन्तु अभी तो बहुत कम धन राशि दी जा रही है। यद्यपि रक्षित बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और कृषि सम्बन्धी सहकारी समितियों द्वारा किसानों को कुछ धन राशि दे रहा है, तथापि वह राशि अपर्याप्त है। फिर एक और बात भी है रक्षित बैंक तो यह ऋण १ १/२ प्रतिशत के दर से देता है, परन्तु यह ऋण जब प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्राप्त होता है तो उन्हें १ १/२ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज अदा करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार तो निर्धन किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिये उन्हें १ १/२ प्रतिशत के दर से ऋण देती है, परन्तु उनसे इतने ऊंचे दर के हिसाब से ब्याज वसूल किया जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या यह अन्याय नहीं है?

योजना के अनुसार तो किसी भी किसान को अल्प-कालीन ऋण वापस लौटाने के लिये १५ मास की कालावधि दी गई है। परन्तु वास्तव में होता यह है कि प्रायः धन जून या जुलाई में दिया जाता है और फसल कटाई के उपरान्त ही वापस मांग लिया जाता है। जून-जुलाई में जब उन्हें धन मिलता है, उस समय बीज महंगे होते हैं और कटाई के उपरान्त अन्न बहुत सस्ता होता है। इस प्रकार से किसानों को बीज तो महंगे भाव खरीदने पड़ते हैं और अन्न शीघ्रता से सस्ते भावों पर ही बेच देना पड़ता है। इससे उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है।

हम एक राज्य बैंक स्थापित कर रहे है। मैं कह नहीं सकता कि इस बैंक की शाखाओं का सहकारी बैंकों से क्या सम्बन्ध रहेगा? इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प तो यह कहता है कि एक केन्द्रीय कृषि वित्त निगम की स्थापना की जाये। मैं अपने संकल्प के द्वारा इस संकल्प में कुछ संशोधन करना चाहता हूं। मेरा प्रथम संशोधन तो यह है कि इस निगम के नाम में परिवर्तन होना चाहिये—अर्थात् इसका नाम केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के स्थान पर राज्य कृषि वित्त निगम होना चाहिये। इससे लाभ यह होगा कि इसका नाम राज्य बैंक के अनुरूप ही होगा और इसमें राज्य सरकारों के भी अंश होंगे। मेरा द्वितीय संशोधन यह है कि केवल 'ऋण' के स्थान पर 'सस्ता ऋण' ये शब्द रखे जाने चाहियें। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि रक्षित बैंक तो १ १/२ प्रतिशत के हिसाब से ऋण देता है तथापि किसानों को इतने सस्ते दर पर धन नहीं मिलता। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें वास्तव में सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त हो।

तृतीय बात यह है कि मैंने अपने संशोधन में 'कृषि सम्बन्धी विपणन' ये शब्द भी रखे हैं अर्थात मैं चाहता हूं कि इन ऋणों के क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी विपणन भी सम्मिलित हों। आज कल फसल काटने से पूर्व किसान को धन की आवश्यकता पड़ने पर, स्थानीय दलाल या महाजन उन्हें कुछ धन अग्रिम रूप में दे देते हैं और फसल के कटते ही उस फसल को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, और किसान बेचारा सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य होता है। यदि आवश्यकता के समय सरकार उनकी वित्तीय सहायता करे तो वे अपनी फसलें इतने सस्ते दाम पर बेचने के लिये बाध्य न हों।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षित बैंक जो धन राशि देता है वह अपर्याप्त है—यह राशि बढ़ाई जानी चाहिये। सरकार ने योजना में ऋणों के सम्बन्ध में जितना धन उपबन्धित किया था, उसे ग्रामीण जनता के हित मे लगाने के बारे में पूरी-पूरी कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं में भी उचित सुधार करने के बारे में प्रयत्न किये जायें।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर–उत्तर) : कृषि सम्बन्धी ऋण तो कृषि प्रधान देश के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे कई एक अधिनियम पारित किये हैं जिनके द्वारा किसानों को पूर्ववर्ती सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त कर दिया गया है। तथापि स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है क्योंकि उनके नये ऋणों के लिये भी तो कोई उपाय होना चाहिये। बिना ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को प्राप्त किये वे फिर से साहूकारों के चंगुल में फंसे जा रहे हैं।

अतः यदि हम उनका उद्धार करना चाहते हैं तो सस्ते दरों पर कृषि ऋण प्रदान करने के बारे में कोई प्रबन्ध करना चाहिये। हमारे गोरखपुर जिले में कृषि ऋण का कोई प्रबन्ध नहीं। जून और जुलाई में जब कि बीज बोने का समय होता है उनके पास कोई धन नहीं होता जिससे वे बीज खरीद सकें। अतः उन्हें तकावी ऋणों पर निर्भर करना पड़ता है। परन्तु इस ऋण के दर इतने ऊंचे हैं कि कि बहुत से किसान इससे घबराते हैं। इस प्रकार से इस वर्ष ६ लाख एकड़ भूमि अच्छी प्रकार से जुती हुई होने के उपरान्त भी बिना बोये ही रह गई। बहुत शोर मचाने पर सरकार ने बीज दिये परन्तु वे उतनी देर पश्चात प्राप्त हुये थे कि बोने की ऋतु बीत चुकी थी। इस प्रकार से ६ लाख एकड़ भूमि बिना बीज बोये ही रह गयी।

इस प्रकार से गांवों की स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि कुछ पता नहीं कि किस समय क्या हो जाये। हमारे जिले में कुछेक पंजाबी साहूकारों ने ऋण देना ही अपना व्यापार बना रखा है। जब भी किसी किसान को धन की आवश्यकता होती है, वह उसके पास जाता है और कुछ ऋण लेता है। वह मूल धन बढ़ते बढ़ते कई गुना हो जाता है और जब वह किसान ऋण चुका नहीं सकता तो वे साहूकार उसकी भूमि पर अधिकार जमा लेते हैं और किसान बेचारा रोता रह जाता है। अतः यदि गांवों में उन किसानों को सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करने का कोई प्रबन्ध हो तो वे इन साहूकारों के पास जा कर न फंसें।

अन्य अनेक देशों में सहकारी समितियां ही इस प्रकार की समस्याओं को हल करने में पूरी सहायता करती हैं। विशेषतः चीन और रूस में ग्राम सहकारी संस्थायें अत्यधिक उन्नति कर रही हैं और गांव वालों की प्रत्येक आवश्यकता यही संस्थायें पूरी करती हैं। परन्तु हमारे देश में तो ये सहकारी संस्थायें भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश में किसान इन सहकारी संस्थाओं से जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि ये संस्थायें किसानों के लिये वरदान नहीं अपितु शाप बन गई हैं। किसानों को तब तक ऋण नहीं मिलता, और तब तक शुद्ध खाद नहीं मिलता, जब तक कि वे संस्था के क्लर्कों को घूस न दें। इस प्रकार से आज किसान इन संस्थाओं से भारी संख्या में त्याग पत्र दे रहे हैं।

अतः यदि हम चाहते हैं कि इस देश में सहकारी आन्दोलन सफल हों तो मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि वह सहकारी संस्थाओं

[श्री एस० एल० सक्सेना]

की त्रटियों की जांच करने के लिये कोई आयोग अथवा जांच समिति स्थापित करें, ताकि उन त्रुटियों को दूर किया जा सके। यदि यह नहीं किया गया तो लोग इन संस्थाओं के प्रति विश्वास खो बैठें, और फिर स्थिति को संभालना बड़ा कठिन हो जायेगा। सहकारी संस्थाओं का अधिक धन तो निदेशकों के निजी कामों पर लग जाता है। अतः यदि इसके सम्बन्ध में पूरी जांच की जाये तो इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है और तभी सहकारी बैंक और सहकारी संस्थायें हितकारी सिद्ध हो सकती हैं।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

मेरे माननीय मित्र ने एक केन्द्रीय कृषि वित्त निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब तो इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इस राज्य बैंक की शाखायें हर राज्य में स्थापित की जायें। मैं यह भी चाहता हूं कि यह बैंक सहकारी बैंकों को भी अपने अधीन ले ले।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका।

श्री एस० एल० सक्सेना: मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त यह बैंक सहकारी बैंकों को भी अपने अधीन ले ले, और ग्रामीण जनता को ऋण प्रदान करे।

श्री ए० सी० गुह : यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ४०० शाखायें स्थापित करेगा। परन्तु यह सहकारी बैंकों पर अधिकार नहीं कर सकता। सरकार इन सहकारी बैंकों का सुधार करने का प्रयत्न करेगी और देखेगी कि सारा धन व्यवस्थित रूप से सहकारी बैंकों से किसानों तक पहुंचे।

श्री एस० एल० सक्सेना : इसके सम्बन्ध मे मैं उस समय चर्चा करूंगा जब विधेयक सामने आयेगा। तो भी मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यदि सहकारी बैंकों को राज्य बैंक की ग्रामीण शाखाओं में ही मिला दिया जाये तो इससे दोहरा खर्च नहीं होगा, और वह राज्य बैंक अधिक परिमाण में ऋण दे सकेगा।

किसानों के लिये अन्न को संचित करने के लिये गोदामों की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः किसानों को कटाई के एकदम बाद ही अपने अन्न को सस्ते दामों पर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

श्री ए० सी० गुह : हम कृषि सम्बन्धी वस्तुओं को संभाल कर रखने के लिये गोदामों की व्यवस्था कर रहे हैं और उन किसानों को अग्रिम धन दिया जायेगा जो कि उन गोदामों में अपना अन्न रखेंगे।

श्री एस० एल० सक्सेना : यह बड़े हर्ष की बात है। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों का काम भी राज्य बैंक अपने अधीन ले लें ताकि दोहरा खर्च न हो।

श्री ए० सी० गुह : इस राज्य बैंक विधेयक के उपरान्त भारत का रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक प्रस्तुत हो रहा है जिसमें ये सभी सुझाव सम्मिलित हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना: यह तो बड़े हर्ष की बात है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि कई बार ग्राम बैंक जांच समि-

तियां नियुक्त की जा चुकी हैं तथापि ग्रामीण ऋण की समस्या अभी वैसी ही है ।

अतः मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस संकल्प को पारित करने का प्रयत्न करेंगे और इसके द्वारा ग्रामीण जनता का उद्धार करेंगे ।

श्री ए० सी० गुह : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य भी इस काम में सरकार क पूरी सहायता करेंगे ।

श्री एस० एल० सक्सेना : अवश्य, हर प्रकार से ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : जो प्रस्ताव अभी माननीय संसद् सदस्य ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सदन की एक ही सम्मति है । इसके महत्व के बारे में किसी को भी सन्देह नहीं है । जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमारे सामने आई है उससे भी यही मालूम होता है कि इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान बहुत है ।

इस सवाल का सम्बन्ध हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता के साथ है । हम जो कानून अपने देश की ३० प्रतिशत जनता के लिये बनाते हैं चाहे वे अमल में आयें या न आयें, लेकिन जो प्रस्ताव हमारे सामने हैं यदि हम उसको अमल में लायें तो उसका प्रभाव हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता पर पड़ेगा । हमारे देश में ६ आदमियों में ५ आदमी गांव में रहते हैं और जो लोग गांवों में रहते हैं उन में दस में से आठ आदमी खेती करने वाले हैं । इसलिये इस चीज का उन लोगों के लिये बहुत महत्व है । यदि हम इन लोगों को मदद दे कर इनकी खेती में सुधार कर सकें तो मैं समझता हूं कि हम देश का बहुत लाभ कर सकेंगे ।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा है, इसके बारे में विशेष बहस की इस समय आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि आगे स्टेट बैंक आफ इंडिया और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का जो बिल हमारे सामने आने वाला है, उस मौके पर हम इन सब बातों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक और विस्तारपूर्वक बहस कर सकेंगे ।

एक बात जो और कही गई है कि जो गांव के खेती करने वाले लोग हैं वह कितना ऋण इस समय लेते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि ३ प्रतिशत ऋण उनको गवर्नमेंट से मिलता है, ३ प्रतिशत जो गवर्नमेंट या दूसरी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनसे मिलता है और उसके बाद ४४ प्रतिशत तक जो किसान कर्ज लेते हैं वह कर्ज उन साहूकारों से जो साहूकार का पेशा करते हैं, उनसे गांव वालों को लेना पड़ता है और उसका नतीजा यह है कि गांव के किसान उस कर्ज के बोझ की वजह से दबते जा रहे हैं । तो यह जो कर्ज है जिस कर्ज के बोझ के नीचे किसान हमारे सदियों से दबते चले आ रहे हैं, उस कर्ज को हटाने के लिये हमें कोई न कोई तरीका करना पड़ेगा । कर्ज तो अभी भी गवर्नमेंट उनको देगी, एकदम से नहीं हटायेगी लेकिन उनको कुछ थोड़ी सहायता होगी । मैं कहना चाहता हूं कि जब पिछली दफा मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहा था तो किसानों की तरफ से बार-बार मेरे सामने यह शिकायत आई कि कोई भी ऐसा साधन आज तक नहीं बनाया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के आठ वर्ष बाद भी कोई ऐसा साधन नहीं किया गया जिससे किसानों को यदि उन्हें कोई साधन खरीदना है, कोई औजार वगैरह खरीदना है तो उन औजारों को खरीदने के लिये या तो फर्टिलाइजर खरीदने के लिये अथवा घर और सड़क बनाने के लिये जो साधन आवश्यक

[डा० सुरेश चन्द्र]

हैं, उनको खरीदने के लिये उनको कोई धन मिल सके, वह उनको अभी नहीं मिल सकता है ।

इस सम्बन्ध में एक आवश्यक बात है जो मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा जो विधान है, उस विधान को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो पता लगेगा कि उसके अन्दर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में साफ तौर पर लिखा है कि उन स्थानों के और उन लोगों के लिये जो कि कमजोर हैं,उन स्थानों के लिये उन क्षेत्रों में जिनको कि हम बैकवर्ड कहते हैं और जो पिछड़े हुए हैं और उन व्यक्तियों के लिये जो कि कमजोर हैं, उनको एक प्रायर्टी (प्राथमिकता) दी जाय तो यह एक प्राथमिकता की बहुत बड़ी जगह है, जहां पर कि कानून के विधान के अनुसार हम उन किसानों के लिये जो कि खेती करके सबको खिलाते हैं और जिनसे देश की कुल आमदनी का पचास प्रतिशत भाग मिलता है, उनके वास्ते यदि इसको अमल में नहीं ला सकेंगे तो यह विधान के प्रतिकूल बात होगी ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करें कि अमल में लाने का क्या तरीका है, यह आपने भी अभी तक नहीं बताया, सिर्फ यही कहा है हम कानून तो पास करते हैं लेकिन वे अमल में नहीं आते ।

डा० सुरेश चन्द्र : आप सब्र रखिये आपको तरीका मालूम हो जायेगा । मैं अभी उस पर आया ही था कि आपने टोक दिया, धीरज के साथ जो मैं कहना चाहता हूं, उसे सुनिये ! उसको अमल में लाने का तरीका यह है और जिसको कि रूरल क्रेडिट सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है और वह तरीका तो यह है जैसा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर इम्पलीमेंट करने का भार है वह अन-रिसपौंसिव है । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गावों के अन्दर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर रहता है, प्राविंशियल लेविल पर रहता है, सेंट्रल लेविल पर रहता है, लेकिन विलेज लेविल पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टच नहीं है और याद रखिये जब तक विलेज लेविल पर ऐडमिनिस्ट्रेशन अनरिसपौंसिव रहेगा, तब तक हम चाहे कितने ही कमीशन बनायें, हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा और हमारे खेतिहर भाई उन्नति नहीं करेंगे । एक तरीका यह है, जिस तरीके से यह जो आप कानून बनायेंगे, उस कानून को आप अमल में ला सकते हैं और उस तरीके से और भी अच्छी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को बनाने वाले लोग मैं समझता हूं आपसे और मुझसे भी ज्यादा गहराई से उन्होंने इस प्रश्न को देखा है और उसके बारे में अभी यहां बहस भी होगी । इसमें यह भी है कि फेमीन एरियाज़ के अन्दर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, गांवों की सड़कों को बनाने के लिये और जो वहां उनकी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिये कदम उठाना होगा । मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसके बारे में जल्दी से जल्दी आवश्यक कदम उठाये जिससे कि जो गांवों के लोग हैं वे खुशहाल हों और सरकार को यह देखना है कि विलेज का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, वह ऐसा हो जो गांवों के लोगों के टच में हो और वास्तव में जो कर्ज के हकदार हों और खेती करने वाले लोग हों, उनको यह कर्ज और सहायता मिल सके । बस इतना ही मेरा कहना है और सभानेत्री महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री ए० सी० गुह : मैं जानता हूं कि ग्रामीण ऋण के प्रश्न में सदस्य काफी रुचि

लेते हैं। वास्तव मे जब मैं गैर-सरकारी सदस्य था मैंने भी इस प्रश्न की चर्चा का कई बार अवसर दिया था और अब भी मुझे इसमें रुचि है। ग्रामीण ऋण की आवश्यकता और महत्व के बारे में कोई मतभेद नहीं है। मेरे विचार में सदन को ज्ञात है कि योजना आयोग ने यह हिसाब लगाया है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में ग्रामीण ऋण की वार्षिक आवश्यकता १३० करोड़ रुपये--१०० करोड़ रुपये, अल्पकालीन ऋण २५ करोड़ रुपये, मध्यम कालीन ऋण और ५ करोड़ रुपये दीर्घ कालीन ऋण--होना चाहिए। जब योजना आयोग ने लक्ष्य निर्धारित किया था तो सरकार आवश्यक राशियां उपलब्ध कराने के लिये तैयार होगी। यदि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो इसका कारण धन की कमी या सरकार की अरुचि नहीं है ; यह धन को वितरण के लिये उचित व्यवस्था स्थापित करने का और यह देखने का प्रश्न है कि कृषकों को उचित दरों पर और उचित समय पर ऋण मिल सके। सदन को विदित है कि भारत का रक्षित बैंक शीर्ष सहकारी बैंकों के द्वारा ब्याज की बहुत ही कम दर पर अर्थात् १½ प्रतिशत की दर से कृषि ऋण देता रहा है। किंतु यह ऋण कृषकों को १२½ प्रतिशत या इससे भी ऊंची दर पर मिलता है। किन्तु इसमें सरकार या रक्षित बैंक का इतना दोष नहीं जितना कि सहकारी समितियों का है। दोष से मेरा अभिप्राय यह नहीं कि वे लाभ कमाने के लिये इतना ब्याज लेती रही हैं। यह एक बहुत त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का परिणाम है। सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण के लिये केवल रक्षित बैंक से धन नहीं लेते। वे अन्य स्थानों से भी धन लेते हैं और ब्याज की अत्यधिक दर पर इसका उस दर पर भी प्रभाव पड़ता है जो सहकारी बैंक कृषकों से लेते हैं।

इसके अतिरिक्त शीर्ष बैंकों से धन केन्द्रीय बैंक के पास जाता है और उसके बाद प्राथमिक बैंक के पास। इस प्रकार तीन या चार स्तरों पर प्रशासनात्मक व्यय करना पड़ता है और इसलिये ब्याज की दर बहुत बढ़ जाती है। किन्तु मेरे विचार में पिछले दो वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब बहुत से राज्यों में ब्याज की सामान्य दर लगभग ६¼ प्रतिशत है। संभव है कि कुछ भाग 'ख' राज्यों और कुछ अविकसित भाग 'क' राज्यों में यह दर कुछ अधिक हो, किन्तु अधिकांश राज्यों में यह दर ६¼ प्रतिशत ही है। रक्षित बैंक ने सहकारी बैंकों को बार बार यें हिदायतें भेजी हैं कि वे ब्याज की दर ६¼ प्रतिशत से अधिक न बढ़ायें। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सहकारी बैंकों ने ब्याज की दर को कम करने का प्रयत्न किया है और बहुत से क्षेत्रों में ऐसा हो चुका है।

सदस्यों को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि रक्षित बैंक द्वारा दिये गये कृषि ऋण के अतिरिक्त इसके लिये अन्य अभिकरण भी हैं। उदाहरणतया "अधिक अन्न उपजाओ" निधि है। १९५३-५४ में इस आन्दोलन के लिये लगभग २५ करोड़ रुपये दिये गये थे। मेरे सहयोगी डा० पी० एस० देशमुख का कहना है कि यह राशि ३० करोड़ रुपये थी। भूमि बन्धक बैंक और राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ऋण भी हैं। अतः ग्रामीण ऋण के लिये हर दिशा से अधिक धन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही है। सदन को ज्ञात है कि रक्षित बैंक ने एक समिति - ग्रामीण कृषि ऋण सर्वेक्षण समिति स्थापित की थी। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और सरकार इसकी सिफारिशों को विशेषतया कृषि ऋण सम्बन्धी महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है। पहला पग इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसे भारत के राज्य बैंक में परिवर्तित करना है। इसके बाद भारत का

[श्री ए० सी० गुह]

रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। इन दो बैंकों के द्वारा ग्रामीण ऋण का ढांचा बनाया जायेगा। और ग्रामीण ऋण सम्बन्धी संस्थाओं के कार्य का समन्वय किया जायेगा। लगभग एक सप्ताह पहले दिल्ली में राज्यों के सहकारिता के प्रभारी मंत्रियों और पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं और वे अब अपने राज्यों में ग्रामीण ऋण सम्बन्धी संस्थायें स्थापित करने के लिये उत्सुक हैं।

केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारिता विकास बोर्ड स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। यह बोर्ड राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि का प्रशासन करेगा। एक केन्द्रीय गोदाम निगम स्थापित किया जायेगा और राज्यों में राज्य गोदाम कम्पनियां स्थापित की जायेंगी। मेरे विचार में गोदामों की व्यवस्था करना ऋण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। किसानों की अपनी फसल किसी भी दर पर और किसी भी समय बेचनी पड़ती है। यह एक प्रकार का बेबसी का विक्रय होता है और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल सकता। मध्य जन इस तरह काम करते हैं कि कृषकों को अपनी फसल कई बार बहुत ही कम दामों पर बेचनी पड़ती है और जब माल उनके हाथों से निकल जाता है तो मूल्य एकदम बढ़ जाता है। कलकत्ता की पटसन की मंडी में मैंने ऐसा होते हुए देखा है। यदि गोदामों की व्यवस्था की जाये तो कृषकों को विवश हो कर अपना उत्पाद नहीं बेचना पड़ेगा या कम से कम उतनी दर नहीं बेचना पड़ेगा। वे अपना माल गोदामों में जमा कर सकेंगे और इसके बदले में वे कुछ ऋण ले सकेंगे जिससे कि उन्हें मध्य जनों और महाजनों द्वारा निश्चित मूल्य पर अपना उत्पाद नहीं बेचना पड़ेगा।

फिर, रक्षित बैंक एक राष्ट्रीय ऋण (दीर्घ कालीन कार्य) निधि और एक राष्ट्रीय ऋण (स्थायीकरण) निधि स्थापित करेगा और इनमें क्रमशः ५ करोड़ रुपये और १ करोड़ रुपये के वार्षिक अंशदान देगा। वह राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कार्य) निधि के लिये १० करोड़ रुपये का प्रारम्भिक अनावर्त अंशदान अलग रखेगा। सहकारी समितियों के विकसित होने पर केन्द्रीय सरकार रक्षित बैंक को इन दो निधियों में अधिक रुपया देने की अनुमति देगी। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि कृषि ऋण के लिये धन की कमी नहीं होगी और उचित व्यवस्था किये जाने पर सरकार इन संगठनों को धन देने के लिये सदा तैयार रहेगी।

अब सहकारी समितियों के काम में राज्य भी भाग लेगा। राज्यों की सरकारें धन देंगी और राज्य सहकारी बैंकों अर्थात शीर्ष सहकारी बैंकों की अंश पूंजी का कुछ भाग देंगी। शीर्ष सहकारी बैंक केन्द्रीय बैंकों की अंशपूंजी का कुछ भाग देंगे और केन्द्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी बैंकों की अंशपूंजी का कुछ भाग देंगे।

अब मैं इस संकल्प को अर्थात् कृषि ऋण निगम की मांग को लेता हूं। मेरे विचार में माननीय सदस्य इस प्रकार के निगम के लिये विशेष रूप से उत्सुक हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि ऋण के लिये धन उपलब्ध कराया जाये। ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड जैसे कुछ विकसित देशों को छोड़कर, अन्य किसी देश में कृषि ऋण के लिये इस प्रकार की केन्द्रीय संस्था स्थापित नहीं की गई है। अविकसित देशों में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण की व्यवस्था करना अधिक सरल पाया गया है, विशेषकर भारत जैसे बड़े देश में जिसकी जन संख्या ३८ करोड़ है और जिसमें से ७०

प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं। किसी केन्द्रीय संगठन द्वारा कृषि ऋण की व्यवस्था करना बहुत कठिन होगा। कृषि ऋण निगम के ऊपरी ढांचे के लिये अभी तक कोई आधार या नींव नहीं है। हमारा विचार यह है कि पहले प्राथमिक और राज्य सहकारी संस्थाओं के रूप में नीव डाली जाये। राष्ट्रीय विकास निधि, गोदाम निगम विपणन बोर्ड और सहकारी बैंकों--प्रत्येक राज्य के सहकारी प्राथमिक बैंक, केन्द्रीय बैंक और शीर्ष बैंक के द्वारा ऋण देने का प्रबन्ध किया जायेगा।

मैंने संक्षिप्त रूप में यह बता दिया है कि सरकार किस प्रकार से कृषि ऋण की व्यवस्था करना चाहती है। इसी प्रयोजन के लिये सरकार भारत का राज्य बैंक विधेयक और भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक इसी सत्र में पारित कराने का प्रयत्न कर रही है। हम कृषि ऋण को बहुत महत्व देते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, किसानों पर निर्भर है और हम उनके हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके लिये कृषि ऋण की व्यवस्था करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य जानते हैं कि लगभग सभी राज्यों ने कृषि सुधार विधेयक पारित किये हैं। किन्तु जब तक किसानों को कृषि ऋण की सुविधा न दी जाये, इनसे कोई लाभ नहीं होगा।

मैं आशा करता हूं कि सभा यह अनुभव करेगी कि सरकार कृषि ऋण के मामले में वस्तुतः गम्भीर और उत्सुक है।

पंडित डी० एन० तिवारी : घड़ी में एक मिनट टाइम रह गया है और यह डिस्कशन दूसरे दिन कान्टीन्यू होगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अभी मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है, वह वैसे ही है :

क्या वर्षा जब कृषि सुखानी,
समय चूकि फिर क्या पछतानी।

जब कृषक मर जायेंगे और उनकी हालत दिनोंदिन अधिक खराब होती जायेगी, तब फिर उन्हें ज्यादा क्रेडिट दे कर क्या होगा ? समय से चेतना जरूरी है और इसलिये गवर्नमेंट को बहुत शीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये।

चूंकि अब पांच बज गये हैं, इसलिये मैं दूसरे दिन कान्टीन्यू करूंगा।

इसके पश्चात्, लोक-सभा शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।